Tuesday, 24 April, 1962

लोक-सभा
वाद-विवाद

तृतीय माला

खण्ड १, १९६२/१८८४ (शक)

[१६ से २७ अप्रैल, १९६२/२६ चैत्र से ७ वैशाख, १८८४ (शक)]

Chamber ... 18/X/23

3rd Lok Sabha

Preservation 14-5-92
Fumigated On 3.12.83
Parliament Library

पहला सत्र, १९६२/१८८४ (शक)

(खण्ड १ में अंक १ से १० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

लोक-सभा

मंगलवार, २४ अप्रैल, १९६२

४ वैशाख, १८८४ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण

श्री सत्यनारायण (पार्वतीपुरम)

श्री दशरथ देव (त्रिपुरा पूर्व)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

अलौह धातु

†*१३२. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मण्डल संघ (फेडरेशन आफ इण्डियन चेम्बर्स आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री) ने सुझाव दिया है कि अलौह धातुओं का आयात संघो द्वारा सामूहिक व्यवस्था के अन्तर्गत किया जाये जिस से विदेशी मुद्रा की बचत होगी और उसके साधनों का उत्तम तथा कुशल उपयोग करने में सुविधा होगी एवं छोटे उद्योगों को अपने उत्पादन का अधिक कुशल आयोजन करने में सहायता मिलेगी ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) ऐसा कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

श्री रघुनाथ सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार के पास ऐसा कोई सजेशन आया है ? अगर ऐसा सजेशन आया है और उसको मान भी लिया जाय तो क्या फारेन एक्सचेन्ज की कोई सेविंग होगी ?

†मूल अंग्रेजी में

श्री कानूनगो : सजेशन आये तो उसकी जांच कर के कुछ कहा जा सकता है ।

अध्यक्ष महोदय : सजेशन है ही नहीं तो मान क्या लिया जाय ?

श्री रघुनाथ सिंह : चैम्बर्स आफ कामर्स ने

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने तो नहीं भेजा, अगर मेम्बर साहब भेजना चाहें तो भेज दें ।

श्री रघुनाथ सिंह : मैं ने तो सवाल में ही भेज दिया है ।

अध्यक्ष महोदय : जब आप भेजेंगे तो उस का वह जबाब भी दे देंगे । अगला प्रश्न ।

†**श्री हिम्मतसिंहका :** श्रीमन मैं एक अनपूरक प्रश्न पूछना चाहता हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य प्रश्न पूछ सकते हैं ।

†**श्री हिम्मतसिंहका :** क्या माननीय मंत्री को ज्ञात है कि लोहे के और अलौह धातुओं के तार बनाने के लिये कुछ मशीनरी के आयात के लिये लाइसेंस दिये गये हैं किन्तु उन्हें कच्चा माल उपलब्ध नहीं किया जा रहा है ?

†**श्री कानूनगो :** कच्चे माल का अभाव उन्हें ही नहीं वरन् सभी लोगों को है ।

†**श्री जगन्नाथ राव :** अलौह धातुओं के आयात के लिये इस समय व्यवस्था क्या है ?

†**श्री कानूनगो :** उनका आयात प्रसिद्ध आयातकों द्वारा, जिनका सम्बन्ध उपभोक्ताओं से होता है, और राज्य व्यापार निगम द्वारा भी किया जाता है जो उसका संभरण उपभोक्ताओं को करता है ।

†**श्री रामनाथन् चेट्टियार :** देश अलौह धातुओं के विषय में कब तक आत्मनिर्भर हो जायेगा ?

†**श्री कानूनगो :** मेरा ख्याल है कि यदि इस बीच अलौह धातुओं की मांग न बढ़ी तो हम तीसरी योजना के अन्त तक आत्मनिर्भर हो जायेंगे ।

†**श्री हेम बरुआ :** श्रीमान, मेरा एक निवेदन है । कल मैं ने नागा लोगों की हिरासत में हमारी वायुसेना के अधिकारियों के बारे में प्रश्न पूछना चाहा तो आपने अगला प्रश्न ले लिया और कहा कि यदि सदस्य

†**अध्यक्ष महोदय :** मेरा भी यही ख्याल था किन्तु मैं इस तरफ देख रहा था और कोई माननीय सदस्य खड़े नहीं हुए । बाद में पता चला कि उस तरफ कुछ माननीय सदस्य खड़े थे जिन्हें मैं ने गलती से देखा नहीं । लेकिन जहां तक कल की बात है उस के बारे में अब कुछ नहीं किया जा सकता ।

---

†मूल अंग्रजी में

भेषजों[1] का निर्यात

†*१३३. { **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों को भेषजों का निर्यात करने का कोई विचार है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) भेषजों का निर्यात किस किस देश को होगा ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मन्त्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) और (ग) बर्मा, श्री लंका, पाकिस्तान, थाइलैन्ड, मलाया, अफगानिस्तान, कनाड़ा, अमरीका, ग्रेट ब्रिटेन, और कुछ अफ्रीकी देशों को भेषजों का निर्यात पहले ही किया जा रहा है ।

(ख) भेषजों के लिये एक निर्यात सम्वर्द्धन योजना लागू की गई है जिसके अन्तर्गत उत्पादकों –निर्यातकों को उन के द्वारा किये गये निर्यात कार्य के आधार पर कच्चेमाल के लिये अतिरिक्त आयात लाइसेंस दिये जाते हैं । आयात और निर्यात शुल्क का प्रत्याहरण भी करने दिया जाता है । एक निर्यात सम्वर्द्धन परिषद् भी है जिस ने दवाइयों और भेषजों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिये विभिन्न उपाय किये हैं ।

†**श्री श्यामलाल सर्राफ :** क्या मैं जान सकता हूं . . .

†**अध्यक्ष महोदय :** श्री सुबोध हंसदा । शुरू में मैं उस सदस्य को दो पूरक प्रश्न पूछने देता हूं जिस के नाम में प्रश्न है ।

†**श्री सुबोध हंसदा :** क्या राज्य व्यापार निगम सभी भेषजों का निर्यात करता है या इनका निर्यात अन्य अभिकरणों के ज़रिये किया जाता है ।

†**श्री मनुभाई शाह :** यह निर्यात अधिकतर निर्यातकों के ज़रिये किया जाता है , राज्य व्यापार निगम के ज़रिये नहीं ।

†**श्री सुबोध हंसदा :** इन भेषजों के निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** लगभग १ करोड़ रूपये :

†**श्री श्यामलाल सर्राफ :** इस समय देश से किन मुख्य भेषजों का निर्यात किया जा रहा है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** इस समय अधिकतर जड़ीबूटियों और अलकालायडों और सल्फा दवाइयों और अन्य वस्तुओं का निर्यात होता है ।

†**श्री हनुमन्तैया :** क्या अन्य देशों को निर्यात किये जा रहे आयुर्वेदिक भेषजों का निर्यात बढ़ाना संम्भव है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Pharmaceuticals

†**श्री मनुभाई शाह :** एक करोड़ रुपये में से कुछ आयुर्वेदिक भेषज और दवाइयों का निर्यात मलाया और श्रीलंका को किया जाता है।

†**श्री स० चं० सामन्त :** क्या ऐसी कुछ दवाइयों का आयात भी किया जाता है?

†**श्री मनुभाई शाह :** एक-दो मामलों में आयात किया गया है क्योंकि हम बाजार ढूंढ़ना चाहते थे। वास्तव में हमने हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स से पेनिसिलीन निर्यात करने के लिये कहा है यद्यपि हमें पेनिसिलीन का कुछ आयात करना पड़ता है। एक बार बाजार बन जाये तो हम वहां कभी भी जा सकते हैं।

औद्योगिक बस्तियां

†*१३४. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सहायक उत्पादों के उत्पादन के लिए सरकारी क्षेत्र के किस-किस उपक्रम ने औद्योगिक बस्तियां बनाई हैं;

(ख) क्या गैर-सरकारी क्षेत्र के बड़े पैमाने के औद्योगिक उपक्रमों ने कोई ऐसी योजना आरम्भ की है; और

(ग) क्या ये औद्योगिक बस्तियां बड़े पैमाने के उद्योगों के स्थानों पर बनती हैं या फैली हुई होती हैं?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मन्त्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) हिन्दुस्तान मशीन टूल्ज लिमिटेड, बंगलौर ने अपनी कुछ सहायक वस्तुओं के उत्पादन के लिये एक औद्योगिक बस्ती बनाई है।

हेवी इलेक्ट्रिकल्ज (इंडिया) लिमिटेड, भोपाल, प्राग टूल्ज कारपोरेशन और नेशनल इन्स्ट्रमेन्ट्स लिमिटेड, कलकत्ता ने सहायक औद्योगिक बस्तियों की स्थापना के लिये प्रारंभिक कार्यवाही की है।

(ख) जी, हां। गैर-सरकारी क्षेत्र के एक यूनिट से।

(ग) उपरोक्त सहायक औद्योगिक बस्तियां बड़े उद्योगों के स्थान के निकट बनाई जा रही हैं या जायेंगी।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** सरकारी क्षेत्र में औद्योगिक बस्तियां स्थापित करने के लिये है? सरकार का क्या कार्यक्रम है और कितनी औद्योगिक बस्तियों की स्थापना की संभावना है।

†**श्री मनुभाई शाह :** हमने सभी सरकारी उपक्रमों को निदेश दे दिया है कि तीसरी योजना में उन्हें कम से कम एक औद्योगिक बस्ती स्थापित करनी पड़ेगी जो प्रत्येक सरकारी उपक्रम से सम्बद्ध रहेगी।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : राज्य उपक्रमों को क्या प्रतिक्रिया है? प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर में कहा गया हैं कि ये औद्योगिक बस्तियां बड़े उपक्रमों के निकट स्थापित की जायेंगी। क्या निदेश में औद्योगिक बस्तियों के स्थान के बारे में भी कोई हिदायत दी गई है?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मनुभाई शाह :** जहां तक माननीय सदस्य के इस प्रश्न के दूसरे भाग का सम्बन्ध है, यह ठीक है कि हमने इस तरह की हिदायत दी है। जैसा कि मैं एक बार पहले कभी बता चुका हूं, जहां मुख्य उद्योग बहुत बड़ा हो वहां प्रबन्धकों के लिये परियोजना के क्षेत्र से बाहर जाना कठिन होता है । इसलिये पहली औद्योगिक बस्ती आम तौर तर परियोजना के क्षेत्र में ही बनाई जाती है। किन्तु बाकी बस्तियां और जगहों में बनाई जायेंगी।

†**श्री बासप्पा :** क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि रोजगार के दृष्टिकोण से ही नहीं वरन् कम खर्च की दृष्टि से भी सहायक यूनिट बड़े यूनिटों से बेहतर हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह :** यह सच है ।

†**श्री रामनाथन् चेट्टियार :** क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक बस्तियां बनाने जा रही है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** जी, हां। ग्रामीण क्षेत्रों में कई बस्तियां बनाई जायेंगी।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** विवरण में भाग (ख) के उत्तर में कहा गया है---"गैर-सरकारी क्षेत्र के एक यूनिट से"। यह कौन सा यूनिट है जिसने अनुमति मांगी है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** मदरास स्थित "दी एनफील्ड़ मोटर्स" ने अनुमति मांगी है।

श्री यलमन्दा रेड्डी : जो लोग सहायक औद्योगिक यूनिट में शामिल होते हैं उन्हें क्या सुविधायें दी जाती हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह :** वे पांच साल तक लगन से काम करने पर प्रसिद्ध हो जाते हैं।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** माननीय मंत्री ने कहा है कि राज्य उपक्रमों को औद्योगिक बस्तियों की स्थापना का निदेश दिया गया है। क्या उन्होंने बड़े पैमाने के उद्योगों के विनियमन का अधिकार प्राप्त करने के औचित्य पर विचार किया है ?

†**श्री मनुभाई शाह:** ऐसे अधिकारों की कोई आवश्यकता नहीं है। माननीय सदस्य तो जानते ही हैं कि वर्तमान १२० औद्योगिक बस्तियां, और तीसरी योजना के कार्यक्रम में रखी गई ३०० बस्तियां जिनमें जीवन बीमा निगम द्वारा ऋण के तौर पर १२ करोड़ रुपये की सहायता से बनने वाली बस्तियां शामिल नहीं हैं, १०० से लेकर २०० तक औद्योगिक बस्तियां गैर-सरकारी क्षेत्र के सहायक उद्योगों के विकास के लिये काम करेंगी।

भारतीय काफी का निर्यात

\+

†*१३५. **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री म० ल० द्विवेदी :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आजकल विदेशों को भारतीय काफी का निर्यात बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) समुद्रपार के देशों में काफी का विक्रय बढ़ाने पर पिछले तीन वर्षों में (वर्षवार) कितना व्यय हुआ; और

(ग) क्या भारत को विश्व मंडी में किसी देश के साथ मुकाबला करना पड़ रहा है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मन्त्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) जी, हां ।

(ख) १९५८--५९ ८,३९९ रु०
१९५९--६० ११,५१२ रु०
१९६०--६१ ४२,५१० रु०

इसके अतिरिक्त विदेशों में प्रदर्शन के लिये भारत में बनाई गई एक फिल्म पर ५८,००० रु० खर्च हुए हैं ।

(ग) जी, नहीं ।

†**श्री स० चं० सामन्त :** क्या यह सच है कि काफी बोर्ड द्वारा इकट्ठा की गई काफी देश और विदेश की खपत के लिये वितरित की जाती है ? काफी बोर्ड ने देश में काफी की खपत के बजाय काफी के निर्यात को क्यों बढ़ावा दिया ?

†**श्री मनुभाई शाह :** उसका कारण यह है कि काफी का निर्यात जितना बढ़ाया जा सकता है, बढ़ाया जाये । काफी की "अरेबिका" किस्म की काफी मांग है ।

†**श्री सुबोध हंसदा :** विश्व के काफी के कौन-कौन से मुख्य उत्पादक देश भारत से मुकाबला कर रहे हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह :** उदाहरण के तौर पर ब्राजील का नाम लिया जा सकता है । हमारा काफी उत्पादन विश्व के उत्पादन के एक प्रतिशत से भी कम है ।

†**श्री जगन्नाथ राव :** विवरण से यह स्पष्ट है कि काफी के निर्यात सम्वर्द्धन पर होने वाला व्यय बढ़ रहा है । इस व्यय की वृद्धि के साथ विदेशी मुद्रा की आय में कितनी वृद्धि हुई है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** जी, हां । माननीय सदस्य का कथन सही है । वास्तव में यह व्यय बहुत थोड़ा है और हम विदेशों में अपनी काफी तथा निर्यात की अन्य वस्तुओं के प्रचार पर काफी धन खर्च करने का इरादा रखते हैं ।

†**श्री बासप्पा :** क्या राज्य व्यापार निगम काफी बोर्ड को निर्यात व्यापार में सहायता दे रहा है और यदि हां, तो किस हद तक ?

†**श्री मनुभाई शाह :** काफी का निर्यात इतना थोड़ा होता है कि राज्य व्यापार निगम द्वारा सहायता देने का प्रश्न अब तक उत्पन्न नहीं हुआ है । किन्तु यदि ऐसी कोई आवश्यकता हुई तो राज्य व्यापार निगम निर्यात सम्वर्द्धन में सहायता देगा ।

†**श्री वारियर :** काफी के निर्यात से देश में काफी के मूल्यों में कितनी वृद्धि हुई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मनुभाई शाह :** इन दोनों में परस्पर–सम्बन्ध तो अवश्य है किन्तु जैसा कि माननीय प्रधान मंत्री ने एक बार कहा था कि हमें अपने यहां कुछ स्वार्थत्याग भी करना पड़े तब भी हमें विदेशों को कुछ निर्यात करना होगा।

बम्बई में टेलिविजन का केन्द्र

†१३६. **श्री विभूति मिश्र:** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि बम्बई में एक टेलिविजन केन्द्र खुलने वाला है;

(ख) यदि हां, तो वह कब खुलेगा; और

(ग) टेलिविजन केन्द्र पर कितनी राशि व्यय होगी?

†**सूचना और प्रसारण मन्त्री (डा० ब० गोपाल रेड्डी) :** (क) हां, श्रीमान्।

(ख) विदेशी मुद्रा मिल गई, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना काल के अन्त में खुलेगा।

(ग) लगभग ४० लाख रु०।

†**श्री विभूति मिश्र :** क्या सरकार हिन्दुस्तान के अन्य शहरों जैसे कलकत्ता, मद्रास, कानपुर और बंगलौर आदि में भी टेलिविजन केन्द्र खोलने के बारे में सोच रही है?

†**डा० बे० गोपाल रेड्डी :** तीसरी पंचवर्षीय योजना में नहीं।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** क्या टेलिविजन केन्द्र हमारे ही प्रयासों से खुलेगा या उसमें कोई विदेशी सहयोगी होगा जैसा कि दिल्ली में है?

†**डा० बे० गोपाल रेड्डी :** मैं समझता हूं कि वह हमारा ही होगा। शायद हम अन्य विदेशी टेक्निसियनों से परामर्श करें?

†**श्री हरिविष्णु कामत :** क्या मंत्री जी को विदित है कि संसार के अनेक देशों में, जिनमें ब्रिटेन, अमरीका और शायद रूस भी शामिल ह, सर्वथा बरदान सिद्ध नहीं हुआ ह और बालकों तथा नवयुवकों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ा है...

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न क्या है?

श्री हरिविष्णु कामत : यह प्रश्न का ही भाग है। जब तक प्रश्न की पृष्ठ भूमि न बताई जाये तब तक प्रश्न को समझना मुश्किल है।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न पूछने का उद्देश्य केवल जानकारी प्राप्त करना होता है; वह प्रश्न पूछ सकते हैं।

†**श्री हरिविष्णु कामत :** क्या यह सच नहीं है कि उन देशों के अधिकारी टेलिविजन का विस्तार करने के बारे में दूसरा विचार कर रहे हैं?

†**अध्यक्ष महोदय :** यह प्रश्न हुआ।

†**डा० बे० गोपाल रेड्डी :** मुझे कोई जानकारी नहीं है। मुझे यह जानकारी माननीय सदस्य से मिल रही है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री त्यागी** : क्या इस टेलिविजन योजना का प्रयोग विद्यार्थियों को शिक्षा देने के लिए भी किया जायेगा ?

†**डा० बे० गोपाल रेड्डी** : हां, निश्चय ही ऐसा होगा जैसा कि दिल्ली में होता है।

†**श्री त्यागी** : मेरा अभिप्राय सामान्य अर्थात स्कूल और कालिज की शिक्षा से है ?

†**डा० बे० गोपाल रेड्डी** : दिल्ली में ऐसा हो रहा है ?

†**श्री अन्सार हरवानी** : क्या सूचना मंत्रालय का विचार बम्बई में टेलिविजन के इस कार्य के लिए फिल्म उद्योग की सहायता लेने का है ?

†**डा० ब० गोपाल रेड्डी** : मैं नहीं जानता कि फिल्म उद्योग टेलिविजन के लिए क्या कर सकता है। हम संभावनाओं का पता लगायेंगे।

†**श्री अन्सार हरवानी** : वे टेक्निकल जानकारी दे सकते हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य प्रश्न पूछ सकते हैं। कुछ माननीय सदस्य नहीं समझ पाये हैं कि उनका क्या प्रश्न था। मैं भी नहीं समझा कि उन्होंने क्या कहा ?

†**श्री अन्सार हरवानी** : मेरा प्रश्न यह था कि क्या सूचना और प्रसारण मंत्रालय बम्बई टेलिविजन परियोजना के लिए बम्बई में फिल्म उद्योग की सहायता लेना चाहता है ?

†**डा० ब० गोपाल रेड्डी** : यदि आवश्यक हुआ तो हम फिल्म उद्योग की भी सेवाओं का प्रयोग करने की सारी संभावनाओं का पता लगायेंगे।

†**श्री रघुनाथ सिंह** : इस वक्त टेलिविजन सेट अधिक महंगा है। क्या कोई सस्ता टेलीविजन सेट तैयार करने का प्रयत्न किया जायेगा, ताकि वह साधारण लोगों को उपलब्ध हो सके?

†**डा० बे० गोपाल रेड्डा** : शायद वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री इस प्रश्न का उत्तर दे सकेंगे।

†**श्री नाथ पाई** : क्या देश में टेलिविजन सेट का उत्पादन आरम्भ करने के लिए कोई योजना सरकार के विचाराधीन है। क्या उनका विचार इनका आयात करने का है और यदि हां तो कितने मूल्य पर और विदेशी मुद्रा क्या है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मन्त्री (श्री मनुभाई शाह)** : टेलिविजन सेट की मांग थोड़ी रही है, जैसा कि मैंने सभा में पहिले बताया था, इसलिए देश में टेलिविजन सेट का निर्माण करने का कोई प्रोग्राम नहीं है ?

†**श्री प्रभात कार** : यहां टेलिविजन की स्थापना पर कितनी विदेशी मुद्रा व्यय होगी ?

†**डा० बे० गोपाल रेड्डी** : २८.१७ लाख रु०।

---

†मूल अंग्रेजी में

अनुशासन संहिता

†१३७. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे, डाक व तार, प्रतिरक्षा विभाग तथा केन्द्रीय सरकार के अन्य उपक्रमों ने अनुशासन संहिता स्वीकार कर ली है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

†**श्रम और रोजगार मन्त्रालय में श्रम मन्त्री (श्री हाथी) :** (क) और (ख). रेलवे मंत्रालय इस आधार पर संहिता स्वीकार करना आवश्यक नहीं समझता कि रेलों में विवाद आदि निपटाने के लिए व्यवस्थित विभाग सन्तोषजनक काम कर रहा है। प्रतिरक्षा उपक्रमों में संहिता अपनाने के प्रश्न पर मजदूरों के प्रतिनिधियों के परामर्श से आगे कार्यवाही की जा रही है। औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ के अन्तर्गत आने वाले केन्द्रीय सरकार के अन्य सभी विभागीय उपक्रमों पर संहिता लागू होती है। डाक तथा तार के मामले में, संहिता कारखानों, विना तार के तार–घरों, स्टोर, आदि जैसे औद्योगिक संस्थापनों पर लागू होती है।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** क्या प्रतिरक्षा संस्थापनों में यह संहिता लागू करने में कोई कठिनाई हुई है, और क्या उन्होंने कोई कठिनाई उत्पन्न की और, यदि हां, तो वे कठिनाइयां क्या हैं ?

†**श्री हाथी :** प्रतिरक्षा मंत्रालय कर्मचारियों से बातचीत कर रहा ह। वे संहिता अपनाने के प्रश्न पर आगे कार्यवाही कर रहे हैं।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** क्या यह अनशासन संहिता अनेक निगमों, हवी इलैक्ट्रिकल्स तथा अन्य उपक्रम जैसे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में लागू की जायेगी ?

†**श्री हाथी :** हां, लागू की जायेगी।

श्री दाजी : श्रम मंत्रालय के विचारों के बारे में रेलवे मंत्रालय के क्या विचार हैं क्योंकि श्रम मंत्रालय ने यह स्पष्ट रूप से कहा ह कि रेलवे और प्रतिरक्षा मंत्रालयों को संहिता तत्काल लागू करनी चाहिये ?

†**श्री हाथी :** रेलवे मंत्रालय के साथ भी मामले पर विचार विमर्श किया जा रहा है परन्तु रेलवे मंत्रालय का विचार है कि उसका एक विभाग है जो पर्याप्त है और उसकी एक नियम संहिता भी है। फिर भी, श्रम मंत्रालय रेलवे मंत्रालय के साथ इस मामले में आगे कार्यवाही कर रहा है।

†**श्री प्रभातकार :** क्या यह सच है कि जीवन बीमा निगम और रिजर्व बैंक आफ इण्डिया ने अनुशासन संहिता में एक संशोधन करने का प्रस्ताव किया है और सरकार पर अपने विचारों के बारे में दबाव डाला है और यही कारण है कि उन्होंने अनुशासन संहिता स्वीकार नहीं की है ?

†**श्री हाथी :** नहीं, में यह नहीं समझता।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री प्रभात कार :** क्या मैं यह समझूं कि सरकार को इसकी जानकारी नहीं है ?

†**श्री हाथी :** यह संशोधन करने का प्रश्न नहीं है। हां, कुछ सुझाव दिये गये हैं।

†**श्री प्रियगुप्त :** एक दिन रेलवे मंत्री ने जिस व्यवस्था का उल्लेख किया था, उसके बदले में क्या व्यवस्था निश्चित की है, और क्या अखिल भारतीय रेल कर्मचारी फीड्रेशन तथा प्रत्येक खण्ड रेलवे के संबंधित मजदूर संघों से इसे लागू करने या अनुशासन संहिता के लाभ व हानियों पर चर्चा करने से पहले, परामर्श ले लिया गया है ?

†**श्री हाथी :** इसे स्वीकार न करने का यह भी एक कारण था। उन्होंने कहा है कि इस संहिता की रचना करते समय मजदूर संस्थाओं को शामिल नहीं किया गया था और इसलिये वे इनसे भी परामर्श करना चाहते हैं।

†**श्री प्रियगुप्त :** मेरे प्रश्न के पहिले भाग का उत्तर नहीं दिया गया। रेलों में इसकी क्या व्यवस्था है ?

†**श्री हाथी :** विवादों को निपटान के लिए त्रिस्तरीय व्यवस्था है।

†**श्री प्रिय गुप्त :** तीसरा स्तर क्या है ? न्यायाधिकरण, जो तीसरा स्तर है, कार्य नहीं करता और न ही कभी उसने काम किया है।

†**अध्यक्ष महोदय :** शान्ति, शान्ति।

†**श्री त्रिदिव कुमार चौधरी :** यह अनुशासन संहिता बनाने से पहिले, जो लगभग दो वर्ष पहिले त्रिदलीय श्रम सम्मेलन में स्वीकार की गई थी, क्या श्रम मंत्रालय ने मजदूरों से काम लेने वाले अन्य मंत्रालयों से परामर्श नहीं किया था, और उनकी क्या प्रतिक्रिया थी, और उनकी सहमति के बिना, यह संहिता कैसे बन सकी ?

†**योजना तथा श्रम और रोजगार मन्त्री (श्री नन्दा) :** यह अनुशासन संहिता मुख्यकर श्रमजीवी वर्गों के विभिन्न संगठित निकायों और मालिकों के प्रतिनिधियों के परामर्श से बनाई गई थी। हां, सरकारी क्षेत्र के प्रतिनिधियों से भी कुछ परामर्श किया गया था। वे इन बैठकों में प्राय भाग लेते हैं। बाद में, एक सम्मेलन हुआ जिसमें सरकारी क्षेत्र के उपक्रम के सारे प्रतिनिधि उपस्थित थे और निश्चय ही उन सबने इसे स्वीकार किया। केवल प्रतिरक्षा और रेलवे के उपक्रमों के प्रतिनिधि नहीं थे। जैसा कि मेरे साथी ने कहा है, यह बताया गया था कि मजदूर विद्यमान व्यवस्था से सन्तुष्ट हैं। अब अनेक सम्मेलनों में मैंने कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से कहा कि यदि वे सन्तुष्ट नहीं है तो हमें बताये। उनमें से कुछ ने मुझे बताया है कि वे अनुशासन संहिता स्वीकार करना चाहते हैं। अतः इसके लिए कार्यवाही की जा रही है ?

†**श्री काशी नाथ पांडे :** क्या यह सच है कि रेलवे कर्मचारी भी रेलों में अनुशासन संहिता के लागू किये जाने के पक्ष में नहीं हैं ?

†**श्री नन्दा :** जहां तक मुझे विदित है, जो व्यक्ति मेरे पास आये हैं उन्होंने अनुशासन संहिता को पसन्द किया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

मूल्य स्तर

†*१३८. { **श्री मोहसिन :**
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मूल्य के स्तर को स्थिर रखने के लिये और क्या कार्यवाही की गई है; और

(ख) क्या जनवरी, १९६१ से अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्य बढ़ गये हैं ?

†**योजना तथा श्रम और रोजगार मन्त्री (श्री नन्दा) :** (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) और (ख). पिछले एक वर्ष मूल्य काफी नियन्त्रण में रहे हैं। मार्च, १९६२ के लिये थोक मूल्य के सामान्य देशनांक मार्च, १९६१ के स्तर से ३.१ प्रतिशत कम थे। जनवरी, १९६२ और १० मार्च, १९६२ के बीच खाद्य पदार्थों और सूती कपड़े जैसी कुछ अत्यावश्यक पणय वस्तुओं के थोक मूल्य कुछ बढ़े हैं। १० मार्च, १९६२ के खाद्य पदार्थ देशनांक १२०.९ से घट कर मार्च, के अन्त में ११८.४ रह गये। सूती कपड़े के देशनांक उसी अवधि में १२८.५ से घट कर १२८.१ हो गये।

देश में कपास की उपलब्धि बढ़ाने के लिये सरकार ने अपेक्षित किस्म की कपास का बड़ी मात्रा में आयात करने के लिये कार्यवाही की है। सरकार के पास अनाज के बड़े स्टाक हैं और आवश्यकता होने पर वह अनाज दिया जा सकता है।

उत्पादन बढ़ाने और मूल्य स्थिर रखने के लिये अपनाये गये उपाय तथा नीतिया प्रायः काफी रही हैं। स्थिति का निरंतर पुनरीक्षण होता है।

†**श्री मोहसिन :** क्या यह सच नहीं है कि वर्तमान निर्वाह-व्यय, वर्त्तमान मूल्यों में, भारत का औसत मजूरी पाने वाला व्यक्ति दिन में एक बार भी भोजन मुश्किल से कर सकता है

†**श्री नन्दा :** नहीं, श्रीमान।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** विवरण में उल्लेख है "उत्पादन बढ़ाने और मूल्यों को स्थिर रखने के लिए किये गये उपाय व नीतियां प्रायः पर्याप्त रहे हैं" क्योंकि मूल्य बढ़ गये हैं, जनवरी से मार्च तक उनकी प्रवृत्ति बढ़ने की रही है, क्या सरकार का विचार कोई निश्चित मूल्य-नीति अपनाने और इसके लिये मूल्य आयोग नियुक्त करने का है ?

†**श्री नन्दा :** मूल्य नीति तीसरी पंच वर्षीय योजना सम्बन्धी कागजों में स्पष्ट रूप से निर्धारित की गई है और जैसा कि विवरण में बताया गया है इस वर्ष थोक-मूल्य ३.१ प्रतिशत कम हुए हैं। प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†**श्री रामनाथन् चेट्टियार :** क्या मूल्यों की जांच करने के लिये योजना आयोग में मूल्य सम्बन्धी कोई विशेष उपभाग (सैल) हैं; यदि हां, तो क्या वह उपभाग मूल्यों की जांच करने तथा उन्हें नियन्त्रित कर सकता है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री नन्दा :** पूरा एक डिविज़न है जो आर्थिक डिविज़न कहलाता है और जिसका सम्बन्ध मूल्यों के उतार व चढ़ाव से है। योजना आयोग को समूचे रूप में उन सब पहलुओं का ध्यान रखना पड़ता है जिनका प्रभाव मूल्यों पर पड़ता है।

†**श्री मलमन्दा रेड्डी :** क्या सरकार को विदित है कल के कराधान के प्रस्तावों से निर्वाह-व्यय बढ़ जायेगा, यदि हां, तो सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

†**श्री नन्दा :** मुझे ठीक से यह गणना करने का समय नहीं मिला है कि यह ०.१ प्रतिशत होगा या इससे भी कुछ कम होगा। जहां तक मैं समझ सकता हूं यह बहुत ही महत्वपूर्ण होगा।

†**श्री त्रिदिव कुमार चौधरी :** इस बात को ध्यान में रख कर कि खाद्य पदार्थों के मूल्य कुछ बढ़े हैं--थोक मूल्यों में केवल थोड़ी कमी हुई है --सरकार ने किन कारणों से रिजर्व बैंक आफ इण्डिया को खाद्य पदार्थ पर ऋण देने का "मार्जिन" बढ़ाने के निदेश दिये जो कि पिछले वर्ष निर्धारित की गई नीति के विरुद्ध है ?

†**श्री नन्दा :** हां, श्रीमान्। वह नीति काफी समय तक लागू रही और उसका अच्छा प्रभाव पड़ा। फिर यह समझा गया कि क्रय विक्रय की सामान्य आवश्यकताओं के कारण कुछ ढील देना आवश्यक हो गया है। यह नीति लचीले ढंग से लागू रही है।

†**श्री हेम बरुआ :** इस बात को ध्यान में रख कर कि विवरण में उल्लेख है कि इस वर्ष १९६२ के आरम्भ में पण्य खाद्य-वस्तुओं, सूती कपड़ा जैसी कुछ पण्य वस्तुओं के मूल्य बढ़े थे, और उसके बारे में माननीय मंत्री ने अन्तरिम आय-व्ययक पर अपने भाषण में कहा था कि मूल्यों को बढ़ने से रोक लिया गया है, मैं जानना चाहता हूं कि ये दोनों बातें एक दूसरी से कैसे मेल खाती हैं और क्या योजना मंत्रालय तथा वित्त मंत्रालय के बीच इस बारे में कोई सम्बन्ध नहीं है ?

†**श्री नन्दा :** यह प्रश्न जो भी कहा गया है उसे ठीक से समझने का है। मैंने आंकड़े दिये हैं और वे सुविदित हैं। इस अवधि में, अर्थात् तीसरी योजना के आरम्भ से थोक मूल्य कुछ गिर गये हैं। यह भी सच है कि पहली अवधि में मूल्य कुछ बढ़ गये थे जिसका प्रभाव अब मूल्य गिरने से समाप्त हो गया है। मैं माननीय सदस्य की उत्सुकता से सहमत हूं और समझता हूं कि हम मूल्यों के बारे में सन्तुष्ट नहीं हो सकते, विशेष फुटकर मूल्यों के बारे में जिनका प्रभाव उपभोक्ता को निर्वाह-व्यय के देशनांक पर पड़ता है। यद्यपि अगस्त से निर्वाह व्यय के देशनांक स्थिर रहे हैं और बढ़े नहीं हैं--हां, पहिले कुछ बहुे थे--मैं समझता हूं कि हमें उपभोक्ता मूल्यों के बारे में बहुत सतर्क व सावधान रहना है।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** मूल्य स्थिर करने का यह प्रश्न उस समय तक निश्चित नहीं होता जब तक कि सरकार हमें यह नहीं बताती कि वह कितना मूल्य स्थिर करना चाहती है। मूल्य प्रति मास और प्रति वर्ष बढ़ रहेहैं और हम हमेशा ही मूल्य स्थिर करने की बात करते रहे हैं। हम कितना मूल्य स्थिर करना चाहते हैं ?

†**श्री नन्दा :** मूल्य नीति सम्बन्धी दस्तावेज में यह बात निश्चित रूप से कही गई है कि मल्यों को किस स्तर पर स्थिर बनाया जाये। फिर भी, हमारा विश्वास है कि उस स्तर पर भी मूल्य अधिक हैं। अतः हम मूल्य का और बढ़ना, विशेष कर जनता द्वारा उपयोग की जाने वाली

---

†मूल अंग्रेजी में

अत्यावश्यक पण्य वस्तुओं के मूल्यों का बढ़ना, सहन नहीं कर सकते। अतः उन मूल्यों का उस स्तर से अधिक बढ़ना ठीक नहीं है।

†**अध्यक्ष महोदय :** अगला प्रश्न।

†**श्री त्यागी :** क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिय मैं निवेदन करता हूं कि इसके लिये थोड़ा समय और दिया जाये।

†**अध्यक्ष महोदय :** इसी कारण तो मैंने इस प्रश्न को लगभग सात मिनट दिये हैं। यदि माननीय सदस्य सारा प्रश्न-काल इसी प्रश्न पर बिताना चाहते हैं, तो वह दूसरी बात है। अन्यथा, मैं अन्य प्रश्नों को कैसे समय दे सकता हूं ? अच्छा, अगला प्रश्न।

छंटनी किये गये अनुसूचित जाति के कर्मचारी

*१३९. **श्री बाल्मीकी :** क्या **निर्माण, आवास और सम्भरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूतपूर्व पुनर्वास मंत्रालय के कितने अनुसूचित जाति के कर्मचारियों (तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी) की मार्च, १९६२ तक छंटनी की गई; और

(ख) इनको अन्य विभागों में पुनः नियुक्त करने के लिये क्या कार्यवाही की गई।

निर्माण, आवास और सम्भरण मन्त्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) और (ख). जानकारी एकत्रित की जा रही है और उपलब्ध होने पर सभा की मेज़ पर रख दी जायेगी।

श्री बाल्मीकी : क्या इससे यह प्रतीत नहीं होता कि जो हमारे अनुसूचित जातियों के कर्मचारी इस मंत्रालय में हैं, जिस का, वर्क्स, हाउसिंग और सप्लाई मिनिस्ट्री में विलय हो गया है, उनको काम पर लगाने के लिये बहुत मन्द गति से ध्यान दिया जा रहा है ?

श्री मेहर चन्द खन्ना : पहली बात तो यह है कि मिनिस्ट्री कायम है, खत्म नहीं हुई है। नई मिनिस्ट्री के दो डिपार्टमेंट्स हैं, एक वर्क्स, हाउसिंग और सप्लाई और दूसरा रिहैबिलीटेशन। मेम्बर साहब ने ३१ मार्च तक के बारे में पूछा है, यानी पन्द्रह, बीस दिन पहले तक, कि इस मंत्रालय से, जो कि कलकत्ते में भी है, दंडकारण्य में भी है, दिल्ली में भी है, हिन्दुस्तान के हर हिस्से में है, कितने हरिजन भाई गये और कितनों को काम मिला। वह आंकड़े हम इकट्ठा कर रहे हैं। जैसे ही मिल जायेंगे, मैं दे दूंगा। लेकिन मैं अर्ज करता हूं कि उनके साथ हमारी पूरी हमदर्दी है। होम मिनिस्ट्री के खास कवायद हैं उनके लिये, और जहां तक हो सकता है, हम उनकी सहायता करते हैं।

श्री बाल्मीकी : क्या कोई अधिकारी नियुक्त किये गये हैं इस काम को चलाने के लिये ?

श्री मेहर चन्द खन्ना : मेरे मंत्रालय के ऐडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के डिप्टी सेक्रेटरी हैं जो कि इस को देखते रहते हैं। पुरानी बात है।

श्री बूटा सिंह : मैं जानना चाहता हूं कि इन आंकड़ों को एकत्र करने में कितने महीने लगेंगे ?

श्री मेहर चन्द खन्ना : महीनों का सवाल नहीं है। अगर दो, चार महीने पहले के बारे में पूछा जाता तो मैं अभी दे देता। लेकिन आप ३१ मार्च तक के बारे में पूछ रहे हैं

---

†मूल अंग्रेजी में

और आज सिर्फ २४ अप्रैल है। तमाम हिन्दुस्तान से आंकड़े इकट्ठे करने हैं। हम गलत बात तो बतला नहीं सकते। लेकिन बहुत जल्दी दे देंगे।

श्री प्रिय गुप्त : इन लोगों को डिस्चार्ज करने से पहले सर्प्लस लोगों की लिस्ट को क्या दूसरी मिनिस्ट्रीज में सर्कुलेट किया गया कि उन लोगों को ऐवजार्व करने की कितनी गुंजाइश है ?

श्री मेहर चन्द खन्ना : मैं इस ऐवान में बहुत दफे अर्ज कर चुका हूं कि जहां तक इन कर्मचारियों का ताल्लुक है, जो कि उस आर्जी मिनिस्ट्री में हैं, जिस का काम खत्म हो रहा है, उन के लिये हमारा एक स्पेशल सेल है। होम मिनिस्ट्री उनमें दिलचस्पी ले रही है, लेबर मिनिस्ट्री भी दिलचस्पी ले रही है, और बहुत से भाई जो वहां से गये हैं उनको नौकरियां दे दी गई हैं। बहुत कम ऐसे लोग हैं जिन को हम नौकरियां नहीं दे सके।

रूस को भारतीय तम्बाकू

\+

†*१४०. { **श्री वारियर :**
श्री वासुदेवन नायर :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष अधिक भारतीय तम्बाकू खरीदने के लिये रूस के साथ कोई नया व्यापार करार हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो तम्बाकू की किस किस्म के बारे में करार हुआ है और उसका क्या मूल्य है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मन्त्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) तम्बाकू सोवियत संघ के साथ विद्यमान व्यापार समझौते में शामिल है, जिसके अनुसार रूसी व्यापार प्रतिनिधि तथा विशेषज्ञ व्यापारियों से तथा राज्य व्यापार निगम से खरीदते हैं। इस वर्ष रूसी क्रेता बहुत अधिक होने की आशा की जाती है।

(ख) ये वाणिज्यिक सौदे हैं, जिनकी मात्राएं तथा भाव भिन्न २ हैं।

†**श्री वारियर :** क्या यह क्रय राज्य व्यापार निगम के द्वारा किया जाता है अथवा सीधे किसानों से और किसान के लिये कौन सा तरीका अधिक लाभदायक है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** तंबाकू के कुछ सौदे, जहां हमने निर्यात की क्रमवद्ध व्यवस्था की है, राज्य व्यापार निगम के द्वारा होंगे, किन्तु बहुत बड़ी मात्रा में माल रूसी प्रतिनिधियों द्वारा गैर-सरकारी व्यापारियों से खरीदा गया हैं।

†**श्री वासुदेवन नायर :** क्या इस नवीन व्यापार समझौतों के परिणामस्वरूप उत्पाकों को अब तम्बाकू का मूल्य उनको पहले मिलने वाले मूल्य से अधिक मिलता है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** यह सच है। अधिकांश संविदाओं में ऐसा ही है।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** कच्चे तम्बाकू के अतिरिक्त, क्या सरकार ने अब तक, भारतीय नसवार के प्रसिद्ध गुणों के बारे में रूसी मित्रों की दिलचस्पी पैदा करने के लिये

---

†मूल अंग्रेजी में

कोई गंभीर प्रयत्न किया है, जिस से छोटी गलतफहमियां दूर होने तथा भारत-रूस मैत्री और बढ़ने में सहायता मिल सके ?

†**अध्यक्ष महोदय :** पहले भी जब मैंने उन से प्रश्न तक सीमित रहने की प्रार्थना की, तो माननीय सदस्य ने कहा कि जब तक ये चीजें न कही जाएंगी, माननीय मंत्री के लिये प्रश्न को समझना संभव नहीं होगा । ये आवश्यक विश्लेषण नहीं है जिन का वह प्रयोग कर रहे हैं । अपेक्षित जानकारी प्राप्त करने के लिये इनकी आवश्यकता नहीं है ।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** यदि आप समझते हैं कि इनकी जरूरत नहीं है तो मैं इनका उल्लेख नहीं करूंगा । किन्तु मैंने समझा था कि उन्हें प्रश्न समझने में इसकी आवश्यकता होगी ।

†**अध्यक्ष महोदय :** वह सीधा प्रश्न पूछ सकते हैं । प्रश्न में तर्क, निष्कर्ष, विडंम्बनात्मक अभिव्यक्ति, आरोप, विश्लेषण या अपमानजनक वक्तव्य नहीं होने चाहिये ।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** माननीय मंत्री के वक्तव्य के अनुसार, इस करार में शामिल कच्चे तंबाकू के अतिरिक्त क्या सरकार ने भारतीय नसवार के प्रसिद्ध गुणों में हमारे रूसी मित्रों की दिलचस्पी बढ़ाने के लिये अब तक कोई गम्भीर प्रयत्न किया है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** नसवार में उन्होंने काफी दिलचस्पी नहीं दिखलाई । किन्तु मैं सभा को आश्वासन दे दूं कि सुखाये गये और तैयार किये गये तंबाकू में उनकी दिलचस्पी बढ़ रही है ।

†**श्री जयपालसिंह :** मैं आशा करता हूं कि मेरी बात को गलत नहीं समझा जाएगा । क्या हम रूसियों को तेज तंबाकू दे रहे हैं या नर्म ?

†**श्री मनभाई शाह :** तंबाकू का इस प्रकार श्रेणीकरण नहीं है । इस के कई ग्रेड हैं और कुछ मात्रा में निकोटीन की प्रतिशतता । उन्हें तीनों ग्रेडों में दिलचस्पी है ।

श्री भागवत झा आजाद : बड़े पैमाने पर खरीद में कितने प्रतिशत वृद्धि की आशा की जाती है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** मैं अभी मात्रा बताना नहीं चाहता । किन्तु यह मूल मात्रा से काफी अधिक है ?

†**श्री अब्दुल वहीद :** क्या अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री यह प्रयत्न करेंगे कि रुपये में खरीदा गया भारतीय तम्बाकू सस्ते दामों पर पश्चिम ब्लाक को नहीं बेचा जाता जिस से पश्चिम ब्लाक को हमारी सीधी बिक्री पर तथा हमारी विदेशी मुद्रा की कमाई पर प्रभाव पड़े ?

†**श्री मनुभाई शाह :** व्यापारी हल्कों में यह एक शंका है किन्तु मैं सभा को आश्वासन दे सकता हूं कि रूसियों ने कभी ऐसा नहीं किया है । हम इसके लिये उत्सुक हैं कि रुपये क्षेत्र की बजाय अन्य क्षेत्रों को अधिकाधिक संभव मात्रा तक इस प्रकार माल जाने की प्रवृत्ति को रोका जाए ।

†**श्री दाजी :** इस व्यापार समझौते का कुल कितना अनुमानित मूल्य होगा ? क्या मूल्य निर्धारण सरकार द्वारा किया जाता है या सीधे गैर-सरकारी व्यापारियों द्वारा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मनुभाई शाह :** यह वही प्रश्न दूसरे ढंग से पूछा गया है । मैं मूल्य या मात्रा बताना नहीं चाहता । किन्तु मूल्य बहुत उचित है और पहले की अपेक्षा कुछ अधिक है ।

†**श्री दाजी :** मेरा प्रश्न यह था कि क्या मूल्य व्यापारियों से सीधे तय किया जाता है या सरकार के द्वारा किया जाता है ।

†**श्री मनुभाई शाह :** जहां पर गैर-सरकारी व्यापारियों का संबंध है यह सीधे व्यापारियों के द्वारा किया जाता है । जहां राजकीय व्यापार निगम का संबंध है यह उसके द्वारा किया जाता है ।

योजना प्रचार प्रदर्शनी

†***१४१. श्री बासप्पा :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुम्भ मेले के लिये हरिद्वार जाने वाले तीर्थयात्रियों के लिये फ्लाइंग फाक्स आईलैण्ड में योजना प्रचार प्रदर्शनी का आयोजन किया था ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर कितना धन व्यय हुआ ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० बे० गोपाल रेड्डी) :** (क) सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के अधीन ज्ञापन तथा दार्ष्टिक प्रचार निदेशक द्वारा हरिद्वार में कुम्भ मेला में एक योजना प्रचार प्रदर्शनी स्थापित की गई थी, किन्तु इस प्रदर्शनी का स्थान फ्लाइंग फौक्स आइलैंड नहीं था बल्कि कोरी आईलैंड था । फ्लाइंग फौक्स आईलैंड में, इस मंत्रालय के अधीन क्षेत्रीय प्रचार निदेशक ने एक स्टाल लगाया, जिस में योजना प्रचार के संबंध में फिल्म चित्र दिखाये, नाटक किये गये और अन्य कार्यक्रम पेश किये गये ।

(ख) दोनों चीजों पर हुआ वास्तविक व्यय अभी मालूम नहीं, किन्तु योजना प्रचार प्रदर्शनी के लिये अनुमानित व्यय ३८,२०० रुपये था तथा पैविलियन और नाटकों आदि पर १६,००० रुपये था ।

†**श्री बासप्पा :** इस प्रदर्शनी का कितने लोगों ने लाभ उठाया है और क्या महत्वपूर्ण मेलों और यात्रा क्षेत्रों में इस प्रकार की प्रदर्शनियां करने का विचार है ?

†**डा० बे० गोपाल रेड्डी :** लगभग १,१०,००० लोगों ने लाभ उठाया है ।

†**श्री बासप्पा :** अन्य स्थानों के बारे में क्या बात है ?

†**डा० बे० गोपाल रेड्डी :** जहां कहीं महत्वपूर्ण त्योहार होगा हम अवश्य करेंगे ।

†**श्री अन्सार हरवानी :** क्या सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय ने भारत साधू समाज को भी कोई सहायता दी जो कुंभ मेले में हरिद्वार गया था ?

†**डा० बे० गोपाल रेड्डी :** हमें सूचना नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली में दुकानों के काम के घंटे

+

*१४२. **श्री भक्त दर्शन :**
श्री श्रीनारायण दास :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री अ० सिं० सहगल :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ समय पहिले दिल्ली व नई दिल्ली की दुकानों को खोलने व बन्द करने का जो समय निर्धारित किया गया था, उस में परिवर्तन करने के कुछ सुझाव सरकार को मिले हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनके बारे में क्या निश्चय किया गया है ?

श्रम और रोजगार मन्त्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी) : (क) दिल्ली दूकान और संस्थान कानून, १९५४ के अमल की जिम्मेदारी दिल्ली प्रशासन की है । उन्हें इस बारे में दरखास्तें प्राप्त हुई हैं ।

(ख) दिल्ली प्रशासन ने अभी तक कोई फैसला नहीं किया है ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन् क्या दिल्ली प्रशासन से इस बात का भी पता लगाने की कोशिश की गई है कि उस बारे में निर्णय करने में इतनी देरी क्यों हो रही है ?

श्री हाथी : दिल्ली प्रशासन ने इस के बारे में सोचा है और जो लेबर ऐडवाइजरी कमेटी है उस के साथ बातचीत कर रहा है । ९ अप्रैल को उनकी मीटिंग हुई थी । अब वह निर्णय लेंगे ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, इस सम्बन्ध में निर्णय करते समय क्या भारत सरकार अथवा दिल्ली प्रशासन इस बात का ख्याल रखेगा कि केवल दुकानदारों व उनके कर्मचारियों के हितों का ही ध्यान न रक्खा जाये बल्कि खरीददारों के हितों का भी ध्यान रक्खा जाये ?

श्री हाथी : सब का ध्यान रक्खा जायेगा ।

†**श्री श्रीनारायण दास :** किस प्रकार के सुझाव दिये जायेंगे और सरकार द्वारा किये गये मूल फैसले से वे कहां तक भिन्न हैं ?

†**श्री हाथी :** जहां तक दुकान खोलने और बंद करने के घंटों का संबंध है कुछ लोगों ने ९ से ७, कुछ ने ९ से ८, कुछ ने १० से ८, और कुछ ने १० से ७ का सुझाव दिया है ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या यही समय छोटे रैस्टोरां और होटलों में भी लागू किया जाएगा ?

†**श्री हाथी :** यह उन दुकानों और प्रतिष्ठानों पर लागू होता है, जिन पर अधिनियम लागू होता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री विभूति मिश्र : श्रीमन् क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि दुकानों का जो अभी समय लागू किया गया है उस से खरीददारों को बड़ी तकलीफ होती है और क्या हमारे मंत्री महोदय नहीं जानते कि मेम्बर लोगों को उस के कारण कितनी तकलीफ और असुविधा होती है ?

श्री हाथी : खरीददारों ने वही निवेदन किया है ।

†**श्री द्वा० ना० तिवारी :** क्या इन दुकानों को रविवार को खोल कर किसी और दिन बंद करने का कोई सुझाव है, क्योंकि दिल्ली तथा अन्य स्थानों पर अधिकांश दफ्तर रविवार को बन्द रहते हैं। और इसलिये उनको रविवार को खरीदने की उत्तम सुविधायें हो सकती है ?

†**श्री हाथी :** जहां तक इस मामले का संबंध है यह केवल खोलने और बन्द करने के समय का प्रश्न है।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** क्या यह सही नहीं है कि विभिन्न स्थानों पर इनको खोलने और बन्द करने के भिन्न २ समय चाहते हैं?

†**श्री हाथी :** जैसा कि मा० सदस्य ने अभी कहा, बहुत से दृष्टिकोणों का सुझाव दिया गया है ।

†**श्री अ० ना० विद्यालंकार :** क्या इन मामलों पर समय समय पर सरकार को मंत्रणा देने के लिये कोई संयुक्त सलाहकार समिति है और यदि हां, तो उनकी क्या मंत्रणा है ?

†**श्री हाथी :** दिल्ली प्रशासन के लिये श्रम सलाहकार समिति है, जिस में मालिकों और श्रमिकों के प्रतिनिधि हैं ।

†**श्री अ० ना० विद्यालंकार :** उनकी मंत्रणा क्या थी ?

†**श्री हाथी :** उनकी ९ तारीख को बैठक हुई थी। उन्होंने कोई फैसला नहीं किया और मुख्य आयुक्त को सलाह नहीं दी ।

†**श्री जयपालसिंह :** क्या ग्रीष्मकाल में ठंडे समय में दुकाने खोलने का स्पेन के तरीके को कमी सोचा गया है, अर्थात् ग्रीष्म कालीन महीनों में मध्याह्न को दुकानें बन्द कर देना, ताकि सायंकाल को ठंडे समय खरीदने बचने का समय हो ?

†**श्री हाथी :** इसी कारण ये सुझाव हैं कि वे ८ बजे बन्द की जानी चाहिये ।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी :** क्या सरकार का ध्यान उच्चतम न्यायालय द्वारा समर्थित पंजाब उच्च न्यायालय के हाल के फैसले की ओर आकर्षित किया गया है कि छोटे मजदूरों को भी अपनी मजदूरी वाली दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं है ?

†**श्री हाथी :** मैंने उसे देखा है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को भी मंत्रणा दी है कि जैसा दिल्ली में है उस की तरह काम करने के घंटे जारी करने के लिये कानून बनायें और यदि हां, तो राज्य सरकारों की प्रतिक्रिया क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हाथी :** विभिन्न राज्यों में विविध अधिनियम हैं । इस प्रश्न का केवल दिल्ली प्रशासन से संबंध है।

†**श्री वारियर :** क्या काम के घंटों को कम करने के उद्देश्य से तथा खरीदने वाली जनता की कठिनाई को दूर करने की दृष्टि से, पारी प्रणाली लागू करने का कोई सुझाव है ?

†**श्री हाथी :** मैं समझता हूं कि अभी तक ऐसा कोई सुझाव उनकी ओर से नहीं आया ।

†**वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मन्त्री (श्री मनुभाई शाह) :** आपकी आज्ञा हो तो प्रश्न संख्या १४४ और १४३ को इकट्ठे ले लिया जाए क्योंकि दोनों का विषय एक ही है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** दोनों का इकट्ठा उत्तर दिया जाएगा ।

सूत के मूल्य

†*१४३. { **श्री कुन्हन :**
श्री अ० क० गोपालन :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के हथकरघा उद्योग के सामने सूत के मूल्य बढ़ने से भारी संकट उत्पन्न हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो सूत के मूल्य कम करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मन्त्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) और (ख). विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

हथकरघा उद्योग में किसी भारी मन्दी की कोई सूचना सरकार को नहीं मिली। जब कपड़े पर मूल्य नियंत्रण की स्वैच्छिक प्रणाली भारतीय कपड़ा मिल संघान द्वारा १ जनवरी १९६१ से प्रभावी घोषित की गई थी, दक्षिण भारत मिल मालिक संस्था ने भी धागा की कीमतों की अनुसूची तैयार की, जिस पर, धागा हथकरघा बुनकरों समेत उपभोक्ताओं को दिया जाना था । धीरे धीरे स्वैच्छिक नियंत्रण काफी संतोषजनक ढंग से चलता रहा ।

सूती कपड़ा निर्माण, (जिसमें सूती धागा शामिल हैं) संबंधी विभिन्न समस्याएं और मूल्य पूर्ण जांच के लिये प्रशुल्क आयोग को भेजे जा चुके हैं। प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है, । कमीशन का प्रतिवेदन आने तक सरकार स्वैच्छिक मूल्य नियंत्रण की वर्तमान प्रणाली पर लगातार पुनर्विचार करती रहती है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

हथकरघा सहकारी समितियां

†*१४४. **श्री कुन्हन :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तीसरी पंचवर्षीय योजना काल में हथकरघा सहकारी समितियों को प्रोत्साहन देने के लिये हथकरघा बोर्ड ने कितना धन आवंटित किया है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मन्त्री (श्री मनुभाई शाह) :** भारत के रक्षित बैंक जैसे संस्था अभिकरणों द्वारा किये गये चालू पूंजी ऋणों को छोड़कर, ३४ करोड़ रुपये की राशि तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में हथकरघा उद्योग के विकास के लिये अस्थायी तौर पर आवंटित की गई है । इस आवंटन का बड़ा अंश हथकरघा उद्योग के सहकारी क्षेत्र में खर्च किया जाएगा, क्योंकि केन्द्रीय सहायता सहकारी क्षेत्र तक सीमित है ।

†**श्री प० कुन्हन :** क्या सरकार का ध्यान अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड के सदस्य श्री एम० एस० ए० मजीडे के वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि सूती धागे के अधिक दाम होने के कारण उद्योग भारी संकट में है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** मैं ने उनका वक्तव्य नहीं देखा। किन्तु मैंने कुछ किस्मों के धागों के दामों में कुछ बड़ौती संबंधी शिकायतें सुनी हैं। हमने मामले पर ग़ौर किया है। दक्षिण मिल मालिक संथा द्वारा लिये गये अधिकतर दाम स्वीकार किये गये दामों के अनुरूप हैं। कुछ मामलों में दाम अवश्य बढ़े हुए हैं, जिन के बारे में हम ध्यान दे रहे हैं।

†**श्री प० कुन्हन :** क्या सरकार ने धागे के बढ़े हुए दामों के कारणों की जांच की है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** मैंने ठीक यही कहा है । यही शिकायत दूसरी ओर से भी आई है और हम इस की जांच कर रहे हैं।

†**श्री उमानाथ :** क्या मिल मालिकों की संख्या द्वारा निर्धारित मूल्यों से अधिक मूल्य प्रतिदिन समाचारपत्रों में उसी संथा के सदस्यों द्वारा स्वयं प्रकाशित करवाये जाते हैं? यदि हां, तो मा० मंत्री कैसे यह बात कहते हैं कि स्वैच्छिक मूल्य नियंत्रण संतोषजनक है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** प्रकाशित मूल्य थोड़ी मात्रा के पैकिटों के बारे में होती हैं; बड़े संभरण के संबंध में नहीं । हम अधिकतर सहकारी संस्थाओं द्वारा दी गई कीमत की जांच कर रहे हैं, जो पहले से हमारे रजिस्टर में है । सहायता की बड़ी राशि उनको जाती है । उनकी जांच कर के हम अनुभव करते हैं, कि समूचे तौर पर, स्वैच्छिक मूल्य नियंत्रण संतोषजनक ढंग से चल रहा है ।

श्री नम्बियार : क्या सरकार ने सूती वस्त्र के धागे तथा हथकरघा उद्योग की स्थिति को जानने में दिलचस्पी ली है कि ताकि हथकरघा पक्ष पर बल दिया जाए ताकि उसको इस संकट से बचाया जा सके ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मनुभाई शाह :** सरकार के अध्ययन का यह विषय रहा है । जैसा कि सभा जानती है, तीसरी पंचवर्षीय योजना में, देश में कपड़े की आवश्यकताओं के बड़े विस्तार हथकरघा को आवंटित किये गये हैं । ३० लाख अधिक तकवों के लाइसेंस दिये गये हैं। धागों का उत्पादन बढ़ाने के लिये पहले ही बहुतेरे लाइसेंस जारी किये जा चुके हैं ।

श्री बड़े : क्या यह सत्य है कि रॉकाटन की प्राइसिज़ पर कंट्रोल होने के कारण काटन यार्न की प्राइस बढ़ गई है ?

श्री मनुभाई शाह : मेम्बर साहबान को पता है कि काटन की प्राइस कंट्रोल्ड है। उसका फ्लोर भी है और सीलिंग भी है और वैरायटी-बाइज़ भी कंट्रोल है । लेकिन चूंकि कई दफ़ा रूई की कमी थी, इसलिए प्राइस सीलिंग को थोड़ा सा क्रास कर गई इसीलिए यह तकलीफ़ हुई ।

श्री बड़े : मेरा प्रश्न यह नहीं है । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या गवर्नमेंट के द्वारा रॉ काटन की नई प्राइस फ़िक्स करने और उस की कीमत बढ़ाने के कारण काटन यार्न की प्राइस बढ़ गई है ।

†**श्री मनुभाई शाह :** अभी कोई नई कीमत नहीं बढी है ।

†**श्री सरफ :** क्या उस राशि में जो हथकरघा उद्योग के लिये अलग रखी जायगी, जिसका प्रश्न संख्या १४४ में उल्लेख है, सूती और अन्य हथकरघा शामिल हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह :** इसमें सूती हथकरघा शामिल है, किन्तु रेशमी और ऊनी हथकरघा के लिये पृथक योजनाएं हैं ।

†**श्री रामनाथन् चेट्टियार :** क्या गैर-सहकारी क्षेत्र के हथकरघा बुनकरों को उचित दामों पर धागा प्राप्त करना कठिन हो रहा है और यदि हां, दो सरकार उनको उचित दामों पर धागा देने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** जहां तक धागे की सामान्य स्थिति का प्रश्न है, हमने सहकारी क्षेत्र तथा उसके अन्तर्गत आने वालों के बाहर के हथकरघों के बीच कोई भेद नहीं किया । परन्तु जैसा कि सभा को पता है राष्ट्रीय नीति सहकारी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने की है । सभा को यह जान कर प्रसन्नता होगी कि काम करने वाले हथकरघा बुनकरों में लगभग ६० प्रतिशत सहकारिता के अन्दर आ जाते हैं ।

श्री का० रा० गुप्त : जो याने कोआपरेटिव सोसाइटीज़ को मिलता है वह उनको उनकी जरूरत के मुताबिक मिलता है या नहीं मिलता है और साथ ही क्या उसी काउंट का मिलता है जिस काउंट का वे चाहती हैं ?

श्री मनुभाई शाह : ज्यादातर तो उनकी जरूरत को हम पूरा करने की कोशिश करते हैं । लेकिन एक्सपेंशन हो रहा है जैसा कि तीसरे प्लान में कहा गया है । हमने ३० लाख स्पिंडल्ज़ की तकरीबन सौ मिलों को जो कि खाली यार्न को बीव करेंगी, लाइसेंस किया है ।

श्री बड़े : जिस प्रकार से रॉ काटन की कीमतें फिक्स की गई हैं, उसी प्रकार से क्या काटन यार्न की प्राइसिस भी फिक्स्ड हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री मनुभाई शाह : बिल्कुल ऐसा ही लिखा गया है। जैसे काटन की प्राइस होती है उसमें जितनी लागत आती है, जितनी मजदूरी लगती है, मैनेजमेंट का जितना खर्चा होता है, उसको देखते हुए प्राइस लगती है। ज्यादातर हैंडलूम्ज़ को यार्न उसी दाम पर मिलता है जिस को वालेंटरी प्राइस कंट्रोल कहा जाता है और दाम छपा होता है। थोड़ी सी वैराइटीज़ हैं जो हमारे नोटिस में आई हैं जिन के अन्दर आ दाम महंगे हो गये हैं और उनके बारे में भी हम सोच रहे हैं।

पाकिस्तानियों द्वारा पश्चिमी बंगाल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक दल (नेशनल वालण्टियर फोर्स) के सदस्य का अपहरण

+
†*१४५. { **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री स० मो० बनर्जी : }

क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी पाकिस्तान की सरकार से पश्चिमी बंगाल सरकार के उस विरोध पत्र का उत्तर प्राप्त हो गया है जो उसने १५ मार्च, १९६२ को भारतीय राज्य क्षेत्र से पश्चिमी बंगाल के राष्ट्रीय स्वयंसेवक दल (नेशनल वालंटियर फोर्स) के एक सदस्य के अपहरण के बारे में लिखा था ;

(ख) यदि हां, तो उनका क्या उत्तर है; और

(ग) क्या अपहृत व्यक्ति को छुड़वा लिया गया है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) जी नहीं ;

(ख) सावल पैदा नहीं होता।

(ग) जी नहीं।

†**श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या केन्द्रीय सरकार ने यह मामला पाकिस्तान सरकार से उठाया है और यदि हां, तो क्या परिणाम निकला है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन :** नहीं। पश्चिमी बंगाल सरकार ने पाकिस्तान सरकार के साथ यह मामला उठाया है।

†**श्री प्र० चं० बरुआ :** क्योंकि पाकिस्तानियों द्वारा भारतीय लोगों का अपहरण बढ़ौती पर है, सरकार ने इसे रोकने के लिये क्या कदम उठाये हैं या उठाने का विचार करती है और क्योंकि हमारे विरोध पत्र बेकार रहे हैं, क्या सरकार इस मामले में किसी अन्तर्राष्ट्रीय निकाय की मंत्रणा या सद्‌भावना का लाभ उठाने का विचार करती है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन :** सामान्य प्रक्रिया का पालन किया जाता है और मैं इसकी कोई आवश्यकता नहीं समझता कि हमें किसी की सद्‌भावना का लाभ उठाना चाहिये, जिसका मा० सदस्य ने उल्लेख किया है।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** क्या इस विशिष्ट लड़के, श्री दास का अता पता भारत सरकार को है और क्या वह पाकिस्तानी कब्जे में सुरक्षित है ?

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : वह पाकिस्तानी कब्जे में है। हमने सब संभव साधनों से यह जानने का प्रयत्न किया है कि वह किन हालतों में है; किन्तु हमें पाकिस्तान सरकार से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

†**एक माननीय सदस्य** : क्या वह जीवित है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : वह जीवित है। हमें बताया गया था कि हमें हमें कल सूचना मिल जाती। किन्तु हमें वह सूचना नहीं मिली।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल** : ये सब संभव साधन क्या हैं, जिनका सरकार ने उपयोग किया है ताकि हमारे राष्ट्रजन को पाकिस्तान के कब्जे से छड़ाया जाए ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : अब वह ले जाया गया उसके तुरन्त पश्चात् हमने मामला स्थानीय अधिकारियों से उठाया, अर्थात् पाकिस्तान पुलिस से। पश्चिमी बंगाल सरकार ने विरोध-पत्र भी भेजा है और ढाका स्थित हमारे उप उच्च आयुक्त ने पाकिस्तान सरकार से युवक की हालत के बारे में सूचना मांगी है।

†**श्री नाथ पाई** : प्रतीत होता है कि हमारे पाकिस्तानी पड़ौसियों की वैध कर्त्तव्य पर भारतीय लोगों का अपहरण करने की आदत बन गई है। कुछ समय पूर्व, कर्नल भट्टाचार्य का अपहरण किया गया था। यदि हमने उस समय उसको छड़ाने के लिये कोई जोरदार कार्रवाइ की होती, तो इस प्रकार का अपहरण बन्द हो गया होता। कर्नल भट्टाचार्य की रिहाई की क्या स्थिति है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : वह सर्वथा दूसरी चीज है।

†**श्री हिर विष्णु कामत** : कर्नल भट्टाचार्य की घटना के बाद भी, क्या सरकार सीमा पर गश्ती कार्रवाई एवं सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत नहीं कर सकी है, ताकि इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जाए ?

†**प्रधान मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री तथा अणु शक्ति मन्त्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : ये सीमा सम्बन्धी सुरक्षा व्यवस्था के सामान्य प्रश्न हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य ऐसी घटनाओं को रोकने के लिये किये गये विशेष उपाय जानना चाहते हैं।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : सुरक्षा उपाय अच्छे होने चाहिये, किन्तु मैं नहीं उमझता कि इस सीमा के प्रत्येक भाग की निगरानी रखी जा सकती है कि कोई घुस न आये। पारस्परिक आरोप यह लाया जाता है कि सीमा पार की गई है। यह सही हो सकता है या गलत ? इसके दो चित्र होते हैं। हम कहते हैं कि व्यक्ति हमारी सीमा में पकड़ा गया है, और वे कहते हैं कि वह सीमा पार कर गया था।

कर्नल भट्टाचार्य का मामला सर्वथा भिन्न प्रश्न है। किन्तु मैं बता दूं कि उस पर अभियोग चलाया गया और जैसा कि सभा को पता है उसे लंबा कारावास दंड डिदया गया। वह किसी किस्म की अपील कर रहा है। मुझे पता नहीं कि सैनिक शासन में किस प्रकार की अपील हो रही है। मैं समझता हूं कि उसने अभी उस पर हस्ताक्षर किये हैं और यह वहां अधिकारियों को भेजी जा रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हेम बरुआ** : क्या यह सही है कि इस सतत समस्या के प्रति हमारे उदार रवैये को पाकिस्तान में हमारी कमजोरी समझा जाता है और तभी घटनाएं कम होने के स्थान पर बढ़ती जा रही हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सरकार का मत भी पूछा नहीं जाना चाहिये, किन्तु अब पाकिस्तान सरकार का मत पूछना रहा है कि क्या वे इसे हमारी कमजोरी समझते हैं।

†**श्री हेम बरुआ** : अपने देश में भी यह विचार है कि इस उदार रवैये को इस ढंग से समझा जाता है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मा० सदस्य का यह मत हो सकता है । मैं यह कह रहा था कि हम यह नहीं पूछ सकते कि क्या पाकिस्तानी अधिकारियों की ऐसी धारणा या मत है ?

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या श्री दास के परिवार के सदस्योंको कोई वित्तीय सहायता दी गई है या यदि सैनिक विधि के अधीन उस पर अभियोग चलाया गया तो क्या उसे कोई विधि सम्बन्धी सहायता दी जाएगी ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : जिस दिन वह उठाया गया उससे पहले दिन वह स्वच्छिक दल में शामिल हो गया था ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : यदि वह सेना का बरिष्ठ सदस्य नहीं है, तो क्या उसे यह सहायता नहीं दी जाएगी ? तब कोई भी सेवा में शामिल नहीं होगा।

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : हमें पता नहीं कि आया कोई वित्तीय सहायता दी गई है।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : क्या अभी तक सीमा में औपचारिक तथा अन्तिम रूप में सीमा निर्धारण नहीं किया गया है, क्योंकि हर बार विवाद होना है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : इसके अधिकांश भाग का सीमा निर्धारण हो चेका है; छोटे टुकड़ों का नहीं हुआ । परन्तु सीमानिर्धारण हो चुकने के बाद भी, प्रश्न पैदा होता है कि जब व्यक्ति पकड़ा जाता है या अपहरण किया जाता है तो वह कहां था । मतभेद होता है, साक्ष्य लिया जाता है—दस गज इस ओर या कुछ गज दूसरी ओर ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : राष्ट्रीय स्वयंसेवी दल का यह सदस्य हमारी सीमा के कितना अन्दर था जब वह पकड़ा गया और जब वे गश्त करते हैं तो क्या अकेले होते हैं या दस्तों में ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : हमारी सूचना के अनुसार वह हमारी सीमा में ५० गज अन्दर था ।

श्री त्यागी : क्या वह अकेला था या समारोह में था ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : हमें पता नहीं कि आया वह अकेला घूम रहा था ।

पाकिस्तानियों द्वारा छापा

†***१४६. श्री लोलाधर कटकी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ३ अप्रैल, १९६२ को पूर्वी पाकिस्तान में तेलूलियां के कुछ पाकिस्तानी राष्ट्रजन भारतीय क्षेत्र में राजोंगल थाने के इलाके में अवैध रूप से घुस आये थे और उन्होंने दो भारतीय नागरिकों पर हमला किया था ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या पिछले कुछ महीनों में जलपाईगुड़ी जिले की भारत-पाकिस्तान सीमा के भारतीय राज्य-क्षेत्र में पाकिस्तानी शरारती व्यक्ति बार बार अवैध रूप से आये हैं और ढोर तथा अन्य सम्पत्ति चुरा कर ले गये हैं; और

(ग) इन घटनाओं की रोक थाम के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) जी, हां। ३ अप्रैल, १९६२ को रायगंज पुलिस थाने के इलाके में अवैध रूप से घुस आये पाकिस्तानी नागरिकों द्वारा भारतीय नागरिकों पर हमले की एक वारदात हुई है।

(ख) पिछले कुछ महीनों में पूर्वी सीमा से, जिसमें पश्चिम संगाल / पूर्व पाकिस्तान की जलपाईगुड़ी जिले की सीमा शामिल है, ढोर तथा अन्य चुरा ले जाने की खबर मिली है।

(ग) ऐसी घटनाओं के सम्बन्ध में सीमा पर, तैनात पुलिस और जिले के अधिकारी "ग्राउंड रूल्स" के अनुसर कार्यवाही करते हैं।

†**श्री लीलाधर कटकी** : पाकिस्तानी नागरिक जो ढोर तथा अन्य सम्पत्ति चुरा ले गये हैं क्या इस बीच वह बरामद कर ली गई है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : जहां तक इस वारदात का ताल्लुक है, उन्होंने ढोर चुराने की कोशिश तो की लेकिन नाकामयाब रहे।

†**श्री हेम बरुआ** : मैं जानता हूं कि पूरी सीमा की रखवाली करना कठिन है। किन्तु सीमा पर भी कुछ स्थान ऐसे हैं जहां से आसानी से घुस जा सकता है। क्या सरकार ऐसे स्थानों की रक्षा का भार स्थानीय पुलिस की बजाय सेना को सौंपने का इरादा रखती है ताकि ऐसी वारदातें न होने पायें ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : सीमा पर सेना तनात तो की जाती है लेकिन उसे आवश्यकता पड़ते पर ही बुलाया जाता है। वह ढोरों की तथा अन्य सम्पत्ति की चोरियों को रोकने के लिये गश्त वगैरा नहीं दिया करती। कोई गंभीर घटना होने पर ही उससे कार्रवाई करने के लिये कहा जाता है।

श्री प्रिय गुप्त : गांव में किसकी ड्यूटी होती है ?

†**श्री दाजी** : क्या सरकार उन सब लोगों को जिनके ढोर चुरा लिये जाते हैं या परिवार का कोई सदस्य भगा लिया जाता है, मुआवजा देने के बारे में विचार करेगी ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : क्या यह बात भारत में होने वाली किसी चोरी या डकैती को लागू होगी ?

†**श्री प्रिय गुप्त** : इसकी डकैती से तुलना नहीं की जा सकती।

†**अध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति। सभी व्यक्ति एक साथ न बोलें। श्रीमती रेणु चक्रवर्ती।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : इस बात को देखते हुए कि पूर्व पाकिस्तान–पश्चिम बंगाल की पूर्व सीमापर कुछ गंभीर घटनायें हुई हैं और सीमा के निर्धारण के समय भी हमारे नागरिक

---

†मूल अंग्रेजी में

भगा ले जाये जाते हैं और उनका सामान नक्शे चुरा लिये जाते हैं, क्या केन्द्रीय सरकार ने इस बात की कोई जांच की है कि ये घटनायें किस प्रकार की हैं और इस प्रकार की घुसपैठ को, जिससे कुछ मामलों ; गंभीर परिणाम हुए हैं, रोकने के लिये और क्या कार्यवाही की जा सकती है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू**: यदि माननीय महिला सदस्य ने किसी सामान्य जांच का निर्देश किया हो तो मेरा ख्याल है कि ऐसी कोई जांच नहीं की गई लेकिन हर वारदात की जांच की गई है। यह तो मैं नहीं जानता कि इन सब घटनाओं में कोई बात समान है या नहीं। किन्तु हमें यह जान लेना चाहिये कि दो तरह की घटनायें होती हैं। इनमें से एक तरह की घटनायें वे हैं जो बहुत आपत्तिजनक समझी जा सकती हैं---ये घटनायें राजनीतिक होती हैं या जिनमें किसी प्रकार की राजनीतिक सहायता या बढ़ावा दिया जाता है; दूसरी वे हैं जो सिर्फ चोरी, डकैती, ढोरों की चोरी वगैरा हैं। इस प्रकार की घटनायें देश में, होती है लेकिन आन्तरिक मामले होने की वजह से हमारा ध्यान उनकी तरफ नहीं जाता। ऐसी चोरियां अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर आसानी से की जा सकती हैं क्योंकि वहां घुसपैठ हो सकती है। राजनीतिक दृष्टि से ये घटनायें गंभीर तो नहीं हैं लेकिन उनसे लोगों का नुकसान जरूर होता है।

श्री हेम बरुआ : अध्यक्ष महोदय, औचित्य के प्रश्न पर मेरा निवेदन है कि प्रधान मंत्री ने अभी कहा कि देश में चोरियां, डकतियां होती रहती हैं। मैं अत्यन्त नम्रता के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री के इस प्रकार के कथन से सीमा पर रह रहे पाकिस्तानियों को चोरी आदि करने के लिये बढ़ावा मिल सकता है।

†**अध्यक्ष महोदय** : औचित्य का क्या प्रश्न है ?

†**श्री हेम बरुआ** : मैं वही बताने जा रहा हूं। मैंने देखा है कि ऐसे मामलों में प्रधान मंत्री का रवैया क्रिकेट की मैच के अम्पायर जैसा होता है।

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे खेद है। इस में औचित्य का कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

श्री हेम बरुआ : श्रीमान, मैंते अपनी बात अभी खत्म नहीं की।

†**अध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति। अगर उन लोगों को बढ़ावा मिलने का आशंका हो सकती है तो वह माननीय सदस्य के कथन से ही है न कि प्रधान मंत्री के कथन से।

श्री रघुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, हमने सवाल नम्बर १५८ को पूछने के लिये नोटिस दिया है। उसको ले लिया जाये।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं यह पहले ही कह चुका हूं कि प्रश्न जिस क्रम में प्रश्न-सूची में हैं उसी क्रम में लिये जायेंगे। कोई प्रश्न अपनी बारी से पहले नहीं लिया जायेगा।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : श्रीमान, मेरा निवेदन है कि पुलिस के डी० आई० जी० की मृत्यु के बारे में जो प्रश्न है वह बहुत महत्वपूर्ण है और कुछ सदस्यों ने तो ध्यान दिलाने वाली सूचनायें भी दी हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैंने सदस्यों को बहुत से प्रश्न पूछने दिये हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री स० मो० बनर्जी** : श्रीमान् मैं प्रश्न संख्या १५८ का उल्लेख कर रहा हूं जिसके बारे में श्री रघुनाथ सिंह ने कहा है। वह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और कुछ सदस्यों ने उसके बारे में ध्यान दिलाने वाली सूचनायें भी दी हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होगा किन्तु अन्य प्रश्न भी महत्वपूर्ण हैं। हमने निर्णय कर लिया है कि प्रश्न-सूची के क्रम में प्रश्न लिये जायेंगे तो किसी प्रश्न के बारी से पहले लिये जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता।

अगला प्रश्न।

चाय बोर्ड द्वारा सर्वेक्षण

+

†*१४७. **श्री बिशन चन्द्र सेठ :**
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि चाय बोर्ड ने जनता द्वारा चाय के उपभोग का सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या संबंधित आंकड़े सरकार को भेज दिये गये हैं;

(ग) क्या सर्वेक्षण सारे देश में किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो किन किन राज्यों में सर्वेक्षण पूरा हो चुका है?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). देश में चाय के उपभोग के ढांचे का सही मूल्यांकन करने हेतु चाय बोर्ड ने देश के विभिन्न भागों के, जिनमें जम्मू और काश्मीर तथा केन्द्र-शासित क्षेत्र त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, मनीपुर और अंडमान तथा निकोबार द्वीप शामिल नहीं हैं; चुने हुए नगरों में यादृच्छिक सर्वेक्षण को एक नियमित कार्यक्रम के रूप में अपना लिया है। दिल्ली में हाल में इस प्रकार का एक सर्वेक्षण आरंभ किया गया है। बोर्ड के वार्षिक प्रकाशन "टी सर्वेज" में यह जानकारी तथा प्रत्येक वर्ष के दौरान सर्वेक्षण किये गये निष्कर्ष प्रकाशित किये जाते हैं।

श्री बिशनचंद्र सेठ : अगर सर्वे हो जाने के बाद यह पता लग जाता कि देश में खपत होने वाली चाय के बाद कितनी टी हमारी सरप्लस रहती है और जिसको कि हम फौरेन कंट्रीज को भेज सकते हैं तो बहुत ही आसानी हो जाती ?

श्री मनुभाई शाह : मैं माननीय सदस्य को बतला देना चाहता हूं कि देश के अंदर का कंजम्प्शन घटे अथवा बढ़े, जितनी भी चाय ऐक्सपोर्ट हो सकती है वह सारी क्वांटिटी ऐक्सपोर्ट के लिए ऐवेलेबुल की जायगी।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : ये सर्वेक्षण किस प्रकार किये जाते हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मनुभाई शाह** : ये सर्वेक्षण अधिकतर परिवारों के नमूना सर्वेक्षण होते हैं। यदि माननीय सदस्य इन आंकड़ों को देखें तो उन्हें पता चलेगा कि कुछ क्षेत्रों में चाय की खपत बढ़ती जा रही है जब कि अन्य क्षेत्रों में वह लगभग उतनी ही रहती है।

अल्प-सूचना प्रश्न और उत्तर

रुई का अभाव

\+

†**अल्प सूचना प्रश्न संख्या २.** { **श्री रा० गि० दुबे :**
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री दाजी :
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत को रूई के अभाव का सामना करना पड़ रहा हैं जैसा कि समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो हमारी कपड़ा मिलों की वार्षिक आवश्यकता कितनी है और कपास का भाव कितना है ; और

(ग) सरकार इस संकट का सामना करने हेतु कौन से कदम उठाने जा रही है।

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (ग). वर्तमान मौसम में (१ सितम्बर, १९६१ से ३१ अगस्त, १९६२) मिलों की रूई की आवश्यकता अनुमानतः ५५–५६ लाख गांठें हैं। रूई की उपलब्ध मात्रा और रूई के आयात की व्यवस्था परिणामस्वरूप मिलों की जरूरतें पूरी की जा सकेंगी ऐसा ख्याल है। लेकिन अगले साल के लिये रखे गये स्टाक में कोई १० लाख गाठों का अभाव मौसम के शुरुआत में रहेगा ऐसा अनुमान है। सरकार विभिन्न साधनों से, जिनमें अमरीका का पी० एल ४८० कार्यक्रम, वस्तुविनियम, रूस तथा पूर्व अफीका के देशों के साथ किये गये व्यापार करार शामिल हैं, आयात करके कपास के इस अभाव को पूरा करने की संभावनाओं की खोज कर रही है।

†**श्री रा० गि० दुबे** : क्या पूर्व भारत के कपास संगठन का एक प्रतिनिधि मण्डल इस सम्बन्ध में मंत्री महोदय से मिला था तथा क्या उसने उनका ध्यान इस बात की ओर दिलाया कि कपास की विभिन्न किस्मों का अधिकतम मूल्य बाजार भाव से कम है और कपास के अभाव का एक कारण यह भी है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : उक्त प्रतिनिधि मण्डल ने मुझ से मुलाकात की और हमने इस विषय पर विस्तार से चर्चा की थी। हमने उन्हें यकीन दिलाया कि सुझावों पर

---

†मूल अंग्रेजी में

विचार किया जायेगा। जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का सम्बन्ध है, यह सही नहीं है। जिस अधिकतम मूल्य सबसे कम थे उस समय देश में पैदावार सब से अच्छी हुई।

†**श्री रा० गि० दुबे** : फिलहाल क्या विशिष्ट व्यवस्था की गई है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : उस समय हमें उम्मीद थी कि पी० एल० ४८० कार्यक्रम के अंतर्गत हमें काफी रूई मिल जायेगी और सभा को, देश को तथा उद्योग को आश्वासन देता हूं कि सरकार उत्पादन बनाये रखने के लिये ही नहीं वरन् आयात के बढ़ जाने के खयाल से रूई की आश्यकताओं की पूर्ति के सम्बन्ध में पूर्ण रूप से सचेत हैं।

†**श्री पु० र० पटेल** : क्या यह सच है कि कपास के वर्तमान मूल्य किसानों के लिये प्रेरक नहीं हैं और इस कारण वे मूंगफली जैसी लाभप्रद फसलें उगाने लगे हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह** : मैं सरकार के निर्णय के बारे में अभी कुछ कह नहीं सकता। हमने किसानों को आश्वासन दे दिया है कि नयी फसल आने से पहले सरकार की नीति की घोषणा कर दी जायेगी। माननीय सदस्य द्वारा निकाला गया निष्कर्ष सही नहीं है।

†**श्री रामनाथन चेट्टियार** : क्या इस वर्ष हम रूई का अधिक आयात करेंगे यदि हां, तो कितनी रूई आयात की जायेगी ?

†**श्री मनुभाई शाह** : इस वर्ष हम सभी उपलब्ध सूत्रों से, जिनमें पी० एल० ४८० कार्यक्रम का पहला भाग शामिल है, अधिक रूई आयात करने वाले हैं। अभाव पूरा करना ही होगा। इतना ही नहीं, हम स्टाक रखने और बड़े स्टाक बनाने के प्रस्ताव पर भी विचार कर रहे हैं। ताकि इस महत्वपूर्ण उद्योग का लगातार विकास हो और अगले दस वर्षों तक देश की जरूरत पूरी हो अन्य देशों को निर्यात भी किया जा सके।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : १९६० में भी हमें रूई के अभाव का सामना करना पड़ा था और कपड़े के दाम भी बढ़ गये थे। अब भी हमारे समक्ष यही स्थिति है। क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय ने इस विषय पर खाद्य तथा कृषि मंत्रालय से चर्चा करके कोई निर्णय किया है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : सभा को ज्ञात ही है कि तीसरी योजना के दौरान देश में रूई की खपत के लक्ष्य ७२ लाख गांठें तक बढ़ा दिये गये हैं और आवश्यक हुआ तो इस में और भी वृद्धि कर दी जायेगी। किन्तु देश में आन्तरिक खपत और निर्यात सम्वर्द्धन दोनों की मांग तेजी से बढ़ती जा रही है। संभव है कि कुछ समय तक हमें कपास की कुछ किस्मों का आयात करना पड़े।

†**श्री श्रीनारायण दास** : इन अस्थायी उपायों के अतिरिक्त क्या अभाव दूर करने के लिये कोई दूरगामी उपाय किये जायेंगे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मनुभाई शाह :** यही मैंने अभी कहा है । हम स्टाक रखने और बड़े स्टाक बनाने का विचार कर रहे हैं ताकि यह अत्यन्त महत्वपूर्ण उद्योग और पटसन उद्योग भी निरन्तर प्रगति करता रहे ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या यह सच है कि भारत का वस्त्रोद्योग बढ़िया कपड़े के उत्पादन के लिये प्रधानत: आयात किये गये रूई पर निर्भर रहता है और यदि हां, तो सरकार ने रूई की किस्म को उन्नत करने के लिये क्या कदम उठाये हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह :** आयात की गई किस्मों में १.२५ इंच से लम्बे रेशे वाला कपास होता है किन्तु इससे छोटे रेशे का कपास भी आयात किया जाता है। हम दोनों दिशाओं में प्रयत्नरत हैं। हमारी जमीन छोटे धागे के कपास की खेती के लिये अधिक उपयुक्त होने से इस प्रकार के कपास की ज्यादह किस्में बोई जाती हैं किन्तु एक इंच से लम्बे रेशे वाले कपास की कुछ किस्में उगाने की कोशिश की जा रही है ।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** हम विभिन्न देशों से अलग अलग आधार पर कपास का आयात करने वाले हैं । इस देश में कपास के मूल्यों पर नियंत्रण किस प्रकार रखा जायेगा ?

†**श्री मनुभाई शाह :** जैसा कि माननीय सदस्यों को ज्ञात है कि निर्यात सम्वर्द्धन योजना और कुछ ऐसी किस्मों के आयात के बीच जो निर्यात सम्बर्द्धन में प्रत्यक्षत: योग नहीं देती, एक प्रकार का सम्बन्ध है । इसलिये इस स्तर मूल्य समान कर दिये जाते हैं ।

†**श्री इकबाल सिंह :** हम विदेश के बाजारों से किस भाव पर खरीद रहे हैं और भारत के मूल्यों की तुलना में ये भाव कैसे बैठते हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह :** मैं प्रत्येक देश के भाव तो नहीं बता सकता लेकिन आज देश में जो भाव हैं वे आम तौर पर आयात किये कपास के मूल्यों से कुछ ज्यादह हैं ।

†**श्री दाजी :** क्या यह सच है कि इस वर्ष का कपास का उत्पादन गत वर्ष के और उससे पहले के वर्ष से कम रहा है और यदि हां, तो क्या सरकार ने भारतीय कपास की पैदावार घटने के कारण पता लगाये हैं और उत्पादन बढ़ाने के लिये उसने क्या कदम उठाये हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह :** इसके अधिकांश कारण वर्षा की अनिश्चितता से संबंधित हैं । कहीं तो बाढ़ आई और कहीं सूखा पड़ गया । लेकिन हम आने वाले वर्षों में प्रकृति की दया पर आश्रित न रहगे । हम स्टाक रखने और बड़े स्टाक बनाने जैसे लाभप्रद कदम उठा रहे हैं । देश का उत्पादन बढ़ाने के लिये कृषि कार्यक्रम तथा अन्य उपाय भी काम में लाये जा रहे हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रश्नों के लिखित उत्तर

आविष्कार प्रोत्साहन योजना

†*१४८. **श्रीमती मैमूना सुल्तान** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६१ में आविष्कार प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत क्या क्या महत्व-पूर्ण आविष्कार किये गये ;

(ख) इस वर्ष योजना पर कितना धन व्यय हुआ ;

(ग) आगामी वर्ष में इन योजनाओं के लिए क्या उपबन्ध करने का विचार है ; और

(घ) वे महवत्पूर्ण आविष्कार क्या हैं जिन के बारे में आजकल अध्ययन हो रहा है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (घ). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

आविष्कार प्रोत्साहन बोर्ड ने १९६१–६२ में जिन आविष्कारों को पुरस्कार दिये उनका विवरण एक पुस्तिका में दिया गया है जो संसद् पुस्तकालय में रख दी गई है । इन पुरस्कारों के अलावा बोर्ड ने इसी अवधि के दौरान ७२ आविष्कारों पर कार्य कर रहे लोगों को आर्थिक सहायता दी है । इस समय संभाव्य आविष्कारों के बारे में आर्थिक सहायता देने के लिये बोर्ड के विचाराधीन ४२ प्रस्ताव हैं।

(ख) १,४५,२७१ रु०

(ग) २,००,००० रु०

भूटान के लिये भारतीय मजदूर

†*१४९. **श्री नाथ पाई** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भूटान सरकार ने भारत सरकार से २६,००० अप्रवीण भारतीय मजदूरों की सेवाओं की मांग की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने भूटान की मांग पर विचार कर लिया है; और

(ग) इस बारे में ठेके की क्या शर्तें होंगी ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) जी, नहीं । भूटान सरकार ने भारत सरकार से अप्रवीण मजदूरों की सेवाओं की कोई मांग नहीं की है ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†पश्चिम बंगाल के शिविरों में विस्थापित व्यक्ति

†*१५०. **श्री मुहम्मद इलियास** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अकर्म वेतन (डोल) बन्द किये जाने पर भी अब पश्चिमी बंगाल के विभिन्न शिविरों में कितने विस्थापित व्यक्ति हैं ;

(ख) क्या इन विस्थापित व्यक्तियों के बारे में सरकार को पश्चिमी बंगाल की सरकार से कोई सुझाव मिला है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) पश्चिम बंगाल में आखिरी पांच शिविर फरवरी, १९६२ में बंद कर दिये गये और अब कहीं भी किसी भी सहायता शिविर में कोई विस्थापित व्यक्ति नहीं है ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ?

कार्मिक संघ

†*१५१. **श्री नम्बियार** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कार्मिक संघों को मान्यता प्रदान करने के लिए उनकी सदस्य संख्या की जांच करने की प्रक्रिया उन कारखानों और संस्थापनों में, जिनके मालिक और प्रबन्धक सरकार के विभिन्न मंत्रालय हैं, एक जैसी है, और

(ख) यदि नहीं तो, सब मंत्रालयों में एक जैसी प्रक्रिया अपनाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी)** : (क) प्रतिरक्षा और रेलवे मंत्रालयों को छोड़कर अन्य सभी सरकारी विभागीय उपक्रमों में संघों की सदस्य-संख्या की जांच करने की प्रक्रिया एक जैसी है ।

(ख) प्रतिरक्षा और रेलवे मंत्रालयों द्वारा अनुशासन संहिता स्वीकार कर लेने पर यह प्रक्रिया एक जैसी हो जायेगी । रेलवे ने अभी यह संहिता स्वीकार नहीं की है किन्तु प्रतिरक्षा उपक्रम सम्बन्धित कार्मिक संघों के साथ इस प्रश्न पर विचार कर रहे हैं।

कृषि, उद्योग तथा चिकित्सा में अणु शक्ति का प्रयोग

†*१५२. { **श्री हरि विष्णु कामत** :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अणुशक्ति के कृषि, उद्योग तथा चिकित्सा में प्रयोग के सम्बन्ध में बुनियादी अनुसन्धान से ऐसे क्या परिणाम निकले हैं जिन को क्रियात्मक रूप दिया जा सकता है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) उन देशों के क्या नाम हैं जिन के साथ भारत इस प्रकार के तथा अणु शक्ति के अन्य प्रयोगों से संबंधित अनुसंधान में सहयोग दे रहा है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)**: (क) अणुशक्ति के कृषि, उद्योग तथा चिकित्सा में प्रयोग के सम्बन्ध में विभिन्न देशों में अनुसन्धान किये जा रहे हैं और काफी प्रगति की गई है । किसी प्रश्न के उत्तर में इस प्रकार के अनुसन्धान के परिणाम की जानकारी देना संभव नहीं है । किन्तु संक्षेप में कहा जा सकता है कि कृषि में रेडियो आइसोटोप--तथा विकिरण (रेडिएशन) पौधों की नयी मिश्र किस्मों के उत्पादन और प्रत्येक पौधे, का उत्पादन बढ़ाकर उत्पादन बढ़ाने, फसल तथा संग्रह किये गये अनाज को नष्ट करने वाले कीटों के नाश और "स्टेरिलाइज़ेशन" तथा "पाश्चराइज़ेशन" की प्रक्रिया से खाद्यान्न को अधिक समय तक बनाये रखने के लिये काम में लाये जाते हैं। चिकित्सा में रेडियो आइसोटोप का प्रयोग रोगों के निदान व चिकित्सा के लिये भी किया जाता है। विकिरण का विकिर चिकित्सा में भी प्रयोग किया जाता है । उद्योग में विकिरण का जांच, पता लगाना, नापजोख और नियंत्रण के लिये प्रयोग होता है । विकिरण के साधनों को पुर्जों की घिसाई और उनके लिये आवश्यक चिकनाई का पता लगाने, जटिल यंत्रों और स्टोर की खामियों का पता लगाने, इस्पात और धातु की अन्य वस्तुओं में दरारों का पता लगाने, पाइप-लाइनों प्रवाहों, रासायनिक प्रक्रिया के संयंत्रों, द्रव प्रणालियों में प्रवाह का पता लगाने के लिये काम में लाया जाता है । वे कई वस्तुओं की किस्म को बढ़िया और अधिक सुरक्षित बनाने में भी सहायक होते हैं।

(ख) भारत अणुशक्ति के कृषि, उद्योग और चिकित्सा में प्रयोग के लिये किसी अन्य देश के साथ किसी विशिष्ट परियोजना में सहयोग नहीं दे रहा है । इसके लिये किसी विशिष्ट व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सभी परिणाम बिना किसी रोक टोक के प्रकाशित किये जाते हैं। भारत ने कनाड़ा, फ्रान्स, हंगरी, स्वीडन, ग्रेट ब्रिटेन, अमरीका और सोवियत संघ के साथ सहयोग की व्यवस्था की है । इसके अलावा भारत ने कई अन्य मित्र देशों के साथ, जिन के साथ कोई औपचारिक करार नहीं किया गया है, इस प्रकार की व्यवस्था की है ।

चाय साफ करने वाली मशीनें

†*१५३. { **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार चाय को साफ करने की मशीनों का अब भी आयात कर रही है ; है ;

(ख) यदि हां, तो किन देशों से;

(ग) प्रतिवर्ष कितने मूल्य की ऐसी मशीनों का आयात किया जाता है ; और

(घ) आयात शीघ्र बन्द करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) चाय को साफ करने की उन्हीं मशीनों को आयात करने दिया जाता है जिनकी बनावट और कार्य विशेष प्रकार का होता है और जो देश में नहीं बनाई जातीं।

(ख) ग्रेट ब्रिटेन, पश्चिम जर्मनी और किसी हद तक जापान से।

		लाख रु०
(ग)	१९५९–६०	१४.३६
	१९६०–६१	३.१२
	१९६१–६२ (दिसम्बर, १९६१ तक)	२.२५

(घ) चाय साफ करने की जो मशीनें भारत में बनती हैं उनका आयात पहले ही रोक दिया जा चुका है।

एशियाई आर्थिक सहयोग संगठन

†*१५४. **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एशिया तथा सुदूर पूर्व के लिये आर्थिक आयोग (इकाफे) के सचिव यू० न्यून ने एशियाई आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या उन्होंने यह भी सुझाव दिया है कि 'इकाफे' के देश अपने आर्थिक विकास के लिये टेक्नीकल व्यक्तियों और संसाधनों का 'पूल' बनायें ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ग). प्रश्न के भाग (क) और (ग) में जिन सुझावों का निर्देश है सर्वप्रथम विशेषज्ञों के सलाहकार दल ने, जो "इकाफे" के कार्यपालक सचिव द्वारा प्रादेशिक व्यापार सहकार के व्यवहारिक तरीकों की जांच के लिये नियुक्त किया गया था, दिये थे। उक्त सचिव ने सुझावों का समर्थन किया था।

(ख) इन सुझावों के पीछे जो उद्देश्य है उसे सरकार सिद्धान्ततः स्वीकार करती है। किन्तु सरकार की राय है कि ऐसी किसी भी योजना की सफलता के लिये सम्बन्धित सरकारों से काफी समर्थन प्राप्त होना चाहिये और इस सम्बन्ध में जो ब्यौरे हैं उन पर सरकारों के प्रतिनिधियों की बैठक में विचार किया जाना चाहिये।

कार्य कुशलता संहिता

†*१५५. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री श्रीनारायण दास :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, हिन्द मजदूर सभा तथा यूनाइटेड

---

†मूल अंग्रेजी में

ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने कार्य-कुशलता संहिता को लागू करने का विरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) क्या सरकार ने इस योजना को छोड़ दिया है ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी)** : (क) जी, हां। अक्तूबर, १९६१ में हुए भारतीय श्रम सम्मेलन में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रतिनिधि ने इस संहिता को लागू करने का विरोध किया किन्तु हिन्द मजदूर सभा और युनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रतिनिधि ने संहिता के पीछे निहित सिद्धान्त से सहमति व्यक्त की किन्तु उनकी राय में यह योजना अभी लागू करना ठीक न होगा।

(ख) और (ग). भारतीय श्रम सम्मेलन में किये गये निर्णय के अनुसार इस संहिता पर त्रिदलीय समिति की बैठक में विचार किया जायेगा।

भूतपूर्व पुनर्वास मंत्रालय के कर्मचारी

***१५६. श्री बाल्मीकी** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भूतपूर्व पुनर्वास मंत्रालय के प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के कितने कर्मचारियों को अन्य स्थानों पर लगा लिया गया है; और

(ख) मंत्रालय की समाप्ति तक कितने कर्मचारियों को अन्य स्थानों पर नहीं लगाया गया था ?

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) और (ख). जानकारी एकत्रित की जा रही है और उपलब्ध होने पर सभा की मेज पर रख दी जायेगी।

कोयला खान भविष्य निधि योजना

†*१५७. { **श्री अ० क० गोपालन** :
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कोयला खान भविष्य निधि योजना में अंशदान की दर किस तिथि से ६ प्रतिशत से बढ़ा कर ८ प्रतिशत करने का विचार है ; और

(ख) कर्मचारी भविष्य निधि योजना जिन उद्योगों पर लागू है उनमें से किन उद्योगों में बढ़ी हुई दर पर अंशदान किया जायेगा?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी)** : (क) अभी कोई तारीख निश्चित नहीं की गई है। अंशदान की दर कुल वेतन के ६¹/₄ प्रतिशत बढ़ाकर ८ प्रतिशत करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

(ख) कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, १९५१ के अन्तर्गत भविष्य-निधि की दर मूल वेतन, मंहगाई भत्ते और संधारण भत्ते, यदि कोई हो तो, के ६¹/₄ प्रतिशत से बढ़ाकर

†मूल अंग्रेजी में

८ प्रतिशत करने और प्रारंभ में निम्नलिखित ४ उद्योगों को लागू करने का प्रस्ताव है:—

(१) सिगरेट;

(२) बिजली, यंत्र या सामान्य इंजीनियरिंग वस्तुएं;

(३) लोहा और इस्पात; और

(४) कागज।

नागालैण्ड में पुलिस के डी० आई० जी० की मृत्यु

†*१५८० **श्री मुहम्मद इलियास :**
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंहजी :
श्री अंजनप्पा :
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री दाजी :
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उस अग्निकांड के कारणों की जांच की है जिसमें मध्य प्रदेश के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल आफ पुलिस, श्री जौहर की ६ अप्रैल, १९६२ की मृत्यु हो गई थी; और

(ख) यदि हां, तो जाँच के क्या परिणाम निकले?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : नागालैण्ड प्रशासन ने एक प्रारंभिक जांच की थी जिससे पता चलता है कि नागालैण्ड में वोरखा के निकट मध्य प्रदेश पुलिस के शिविर में आग अकस्मात् लगी थी जिसके फलस्वरूप मध्य प्रदेश के डी० आई० जी० पुलिस श्री आई० जे० जौहर की मृत्यु हुई। इस सम्बन्ध में एक विस्तृत न्यायिक जाँच करने का आदेश दे दिया गया है।

तिरुचिरापल्लि में आकाशवाणी के लिए भवन

†१५९. **श्री नम्बियार :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि तमिलनाड में तिरुचिरापल्लि में आकाशवाणी के लिये नये भवन के निर्माण में विलम्ब हो रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) नये भवन को कब खोलना संभव होगा?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० बे० गोपाल रेड्डी)** : (क) और (ख). जी, नहीं। भवन बन चुका है; यंत्र आदि लगाये जा रहे हैं।

(ग) जून, १९६२ तक।

---

†मूल अंग्रेजी में

रेयन के कारखानों में काम के घंटे

†*१६०. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेयन के कारखानों के कार्यवहन की जाँच के लिये नियुक्त समिति ने एक दिन में पांच घंटे काम की सिफारिश की है; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने इसको स्वीकार कर लिया है ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी) :** (क) यह सिफारिश कारखानों सम्बन्धी मुख्य सलाहकार ने अपने संगठन द्वारा अध्ययन किये जाने के बाद की थी।

(ख) काम के घंटों को कम करने की अब तक आवश्यकता नहीं हुई है।

मजूरी बोर्ड

†*१६१. **श्री मुहम्मद इलियास :**
श्री अ० सि० सहगल :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लोहा, इस्पात, चाय और जूट उद्योगों के मजूरी बोर्डों के काम में कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) मजूरी बोर्डों को अपना काम पूरा करने में कितना समय लगेगा?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी) :** (क) लोहा और इस्पात उद्योग के मजूरी बोर्ड ने हाल में ही अपना काम शुरू किया है। चाय और जूट उद्योगों के मजूरी बोर्डों ने मजूरी की अन्तरिम वृद्धि की सिफारिश कर दी है और वे अब मजूरी के सामान्य प्रश्न पर सम्बन्धित पक्षों के विचार सुन रहे हैं।

(ख) मजूरी बोर्डों को अपना काम पूरा करने में कितना समय लगेगा यह बताना संभव नहीं है।

पश्चिमी पाकिस्तान से लॉकर

†१२७. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च, १९६२ तक पश्चिमी पाकिस्तान से कितने लॉकर लाये गये ; और

(ख) उनमें से कितने अब तक वैध मालिकों को दिये जा चुके हैं ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) :** (क) और (ख). भारत को अब तक ७७८ लॉकर और सेफ डिपाजिट वस्तुएं दी गई हैं। सम्पत्ति के लौटाये जाने के बारे में प्राप्त ४०४ वस्तुओं के लिये आवेदन-पत्रों में से २८५ वस्तुएं सौंपी जा चुकी हैं।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

पंजाब में ग्रामीण औद्योगिक बस्तियां

†१२८. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तृतीय पंचवर्षीय योजना-काल में पंजाब में स्थापना की जाने वाली मंजूरशुदा ग्रामीण औद्योगिक बस्तियों की क्या संख्या है ;

(ख) क्या इस व्यवस्था का पंचायत समिति के सदर मुकाम में छोटी ग्रामीण औद्योगिक बस्तियाँ स्थापित करने के लिये उपयोग किया जा रहा है ;

(ग) क्या पंजाब के लिये तृतीय पंचवर्षीय योजना में पहले से व्यवस्थित ग्रामीण औद्योगिक बस्तियों की संख्या में वृद्धि हुई है ; और

(घ) यदि हाँ, तो कितनी वृद्धि हुई है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) तृतीय पंचवर्षीय योजना-काल में पंजाब में ७२ ग्रामीण औद्योगिक बस्तियाँ स्थापित करने की मंजूरी दी गई है ।

(ख) पंचायत समिति के सदर मुकाम को कोई प्राथमिकता नहीं दी जाती ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

आन्ध्र प्रदेश में खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड

†१२९. **श्री इ० मधुसूदनराव :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान आन्ध्र प्रदेश में खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड को कुल कितना अनुदान दिया गया ; और

(ख) तृतीय पंचवर्षीय योजना में कितनी धनराशि का अनुदान दिया जायेगा ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) आन्ध्र प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड वर्ष १९५९–६० में स्थापित किया गया था और द्वितीय पंचवर्षीय योजना-काल में इसको खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग ने २९·६० लाख रुपये का अनुदान दिया था ।

(ख) राज्य बोर्डों को वर्षवार पिछले कार्य और आगामी वर्ष में प्रस्तावित कार्यक्रम के आधार पर निधि का आवंटन किया जाता है । प्रथम पंचवर्षीय योजना के पपले वर्ष में बोर्ड को २०·४४ लाख रुपये का अनुदान दिया गया ।

खादी

†१३०. **श्री इ० मधुसूदन राव :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६१–६२ में कुल कितने मूल्य की खादी खरीदी गई; और

(ख) उसी अवधि में कुल कितने मूल्य की खादी बेची गई ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). मैं समझता हूं कि जानकारी खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली के बारे में मांगी गई है। भवन ने वर्ष १९६१–६२ में लगभग ६२ लाख रुपये की खादी खरीदी और उस वर्ष लगभग ६२ लाख रुपये की खादी बेची।

पाकिस्तानियों द्वारा मारे गये भारतीय

†१३१. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत के पश्चिमी और पूर्वी सीमान्त क्षेत्रों में पाकिस्तानी सशस्त्र दलों, हमलावरों अथवा अन्य व्यक्तियों द्वारा कितने भारतीय मारे गये अथवा जख्मी किये गये ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : जानकारी एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जावेगी।

जम्मू तथा काश्मीर में पाकिस्तानियों द्वारा महिला का मारा जाना

†१३२. { **श्री रघुनाथ सिंह** :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि मार्च, १९६२ के अन्तिम सप्ताह में जम्मू से ४० मील दूर चम्बा सीमा पर एक गांव में सशस्त्र पाकिस्तानियों के एक दल ने एक महिला को मार दिया था ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : जी, हां। ३० मार्च, को ३ बजे अखनूब से ६ मील दक्षिण की ओर बरसाला गांव में २५ वर्षीय महिला को कुल्हाड़ी से घायल किये जाने का समाचर मिला है। प्राथमिक परिचर्या के बाद उसको सिविल अस्पताल, चम्बा ले जाया गया जहाँ उसकी मृत्यु हो गई

सरकारी क्षेत्र के उपक्रम

†१३३. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय सरकारी क्षेत्रीय उपक्रमों में (१) व्यापार प्रबन्ध पूल, (२) केन्द्रीय सरकार, (३) राज्य सरकारों और (४) मंत्रालय द्वारा और संगठन द्वारा स्वयं सीधे भर्ती किये गये पदाधिकारियों की क्या संख्या है ;

(ख) अगले ४ वर्ष के लिये उनकी क्या आवश्यकता आंकी गई है और इसको किस प्रकार पूरा किया जायेगा; और

(ग) सभा पटल पर एक व्याख्यात्मक विवरण रखा जायगा ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) अब तक औद्योगिक प्रबन्ध पूल के १३० पदाधिकारियों को पूल में भाग लेने वाले मंत्रालयों/विभागों के नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्रीय उपक्रमों में रखा गया है। सरकारी उपक्रमों में केन्द्रीय सरकार के और राज्य सरकार के पदाधिकारियों के बारे में जानकारी एकत्र की जा रही है। उन पदाधिकारियों के बारे में भी आंकड़े एकत्र किये जा रहे हैं जिन्हें संगठनों ने स्वयं सीधे

†मूल अंग्रेजी में

नियुक्त किया और जिनका मूल वेतन ५०० रुपये या उससे अधिक है। सरकारी उपक्रमों के लिये मंत्रालय ने कोई 'पदाधिकारी' नियुक्त नहीं किये।

(ख) और (ग). सरकार ने अभी ऐसा कोई मूल्यांकन नहीं किया है। परन्तु पृथक् उपक्रम इस मामले पर विचार करेंगे।

अग्निकांड पीड़ितों के लिये नेपाल सरकार को सहायता

†१३४. **श्री विभूति मिश्र :**
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेपाल सरकार को भारत सरकार ने अग्निकांड से पीड़ित लोगों की सहायतार्थ कुछ राशि इस साल दी है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इस प्रकार की सहायता की मांग नेपाल सरकार ने की थी; और

(ग) सहायता का ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री तथा मंदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) से (ग). नेपाल में बिराटनगर नामक स्थान पर मार्च, १९६२ में जो अग्निकांड हुआ था, उसके पीड़ितों के लिये भारत सरकार ने नेपाल सरकार के अनुरोध पर २ लाख रुपये का अंशदान, वस्तुओं के रूप में दिया। नीचे लिखी जरूरत की चीजें भेजने का इंतजाम कर दिया गया है :

(१) खादी के कपड़े (पुरुषों, स्त्रियों और बच्चों के लिये)—मूल्य ५०,००० रु०

(२) नलीदार लोहे की चादरें—१०० टन

(३) सीमेंट—३०० मीट्रिक टन।

नोट : ऊपर लिखा वस्तुओं पर १,७१,००० रु० लागत आएगी, इसमें भेजने का खर्च भी शामिल है। बाकी २९,००० रु० उन वस्तुओं की व्यवस्था करने पर खर्च किए जायेंगे, जिनकी नेपाल सरकार को बाद में आवश्यकता पड़ेगी।

कानपुर में श्रमिकों को भविष्य निधि की बकाया का भुगतान

†१३५. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानपुर में कुछ मालिकों द्वारा भुगतान न की गई भविष्य निधि की बकाया रकम का तब से भुगतान कर दिया गया है ;

(ख) यदि हाँ, तो १ दिसम्बर, १९६० को बकाया भुगतान की क्या रकम थी ;

(ग) अब कितनी रकम का भुगतान किया गया है ;

(घ) अभी भी कितनी रकम का भुगतान किया जाना बाकी है ; और

(ङ) सरकार ने कर कदम उठाये हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी)** : (क) अधिकांश मालिकों ने भविष्य निधि की बकाया रकम का भुगतान कर दिया है।

(ख) १६,५५,८३८.०४ रुपये ।

(ग) ९,८२,३६९.०४ रुपये (२८-२-१९६२ तक) ।

(घ) ६,७३,४६९ रुपये ।

(ङ) प्रत्येक दोषी मालिक के खिलाफ वसूली की कार्यवाही की गयी ।

मध्य प्रदेश में अल्युमीनियम संयंत्र

†१३६. **श्रीमती मैमूना सुलतान** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश में बोक्साइट के निक्षेपों के उपयोग के बारे में पिछले वर्ष अगस्त के सत्र में लोक सभा में उठाये गये प्रश्न के बाद से मध्य प्रदेश में अल्युमीनियम संयंत्र स्थापित करने के लिये बाद में लाइसेंस देने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो किस सार्थ/निगम को;

(ग) संयंत्र की निर्धारित क्षमता क्या है; और

(घ) ये संयंत्र सरकारी क्षेत्र में स्थापित किये जायेंगे या गैर-सरकारी क्षेत्र में ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : (क) से (घ). मध्य प्रदेश में सरकारी क्षेत्र में हंगरी के सहयोग से प्रति वर्ष २५,००० टन अल्युमीनियम गलाने की क्षमता वाला एक नया संयंत्र स्थापित करने के लिये उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९६१ के अधीन लाइसेंस देने का निर्णय किया गया है । गलाने वाले संयंत्र के बारे में हंगरी के विशेषज्ञों से परियोजना प्रतिवेदन प्रतीक्षित है ।

मध्य प्रदेश में अल्युमीनियम गलाने का कारखाना लगाने के लिये एक गैर-सरकारी सार्थ से प्राप्त प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया गया है क्योंकि राज्य में एक से अधिक कारखाना लगाये जाने की गुंजायश नहीं है ।

विस्थापित व्यक्तियों के लिये संस्थाओं आदि को वित्तीय सहायता

†१३७. **श्री बासप्पा** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९६१-६२ में विस्थापित व्यक्तियों की आवश्यकताओं को पूरा करने वाली वैज्ञानिक, चिकित्सा और सांस्कृतिक संस्थाओं को सरकार ने कितनी वित्तीय सहायता दी ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : ६६.१२ लाख रुपये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

उर्दू में कार्यक्रम

†१३८. **श्री मोहसिन** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) धारवाड़ और बंगलौर में आकाशवाणी केन्द्रों में उर्दू कार्यक्रम के लिये कितना समय आवंटित किया गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि मैसूर राज्य की अधिकांश जनता उर्दू जानती है; और

(ग) यदि हां, तो उर्दू में पर्याप्त कार्यक्रम आयोजित न करने के क्या कारण हैं ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० बे० गोपाल रेड्डी)** : (क) बंगलौर स्टेशन से उर्दू कार्यक्रम सप्ताह में तीन बार ३५ मिनट के लिये प्रसारित किये जाते हैं । धारवाड़ स्टेशन से उर्दू कार्यक्रम प्रसारित नहीं किये जाते ।

(ख) जहा तक सरकार को पता है मैसूर राज्य की केवल थोड़ी ही जनता उर्दू जानती है ।

(ग) इस समय बंगलौर केन्द्र से प्रसारित किये जा रहे उर्दू कार्यक्रम पर्याप्त समझे जाते हैं ।

नयी औद्योगिक परियोजनाओं के लिये लाइसेंस

†१३९. **श्री अंजनप्पा** : क्या वाणिज्य **तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने हाल के वर्षों में नयी औद्योगिक परियोजनाओं के लिये कई लाइसेंस जारी किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि वे लाइसेंसधारी नयी परियोजनायें लगाने के लिये 'कार्यकारी कदम' उठाने में असफल रहे हैं ; और

(ग) ऐसे लाइसेंसों पर सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है या करेगी ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) माननीय सदस्य ने उस अवधि का जिक्र नहीं किया है जिसके लिये वे जानकारी चाहते हैं । पिछले तीन वर्षों में उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अधीन नयी औद्योगिक परियोजनाओं के लिये १४७४ लाइसेंस जारी किये गये ।

(ख) और (ग) उपरोक्त १४७४ लाइसेंसों में से ८० लाइसेंस रद्द कर दिये गये क्योंकि ये पक्ष कार्यकारी कदम उठाने अथवा लाइसेंस लागू करने में असफल रहे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रारम्भ करने के प्रस्तावित निश्चय के बारे में ; तथा
नागा विद्रोहियों द्वारा पकड़े गये भारतीय वायु सेना के
अधिकारियों के बारे में वक्तव्य

सार्थों के नाम 'काली सूची' में दर्ज किया जाना

†१४०. **श्री मुरारका** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले १० वर्षों में कितने सार्थों के नाम 'काली सूची' में दर्ज किये गये ;

(ख) उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या उन में से किसी ने सरकार के निर्णय के विरुद्ध कोई अभ्यावेदन किया है; और

(घ) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** :(क) ८५८ (१–१–१९५२ से ३१–१२–१९६१ तक) ।

(ख) आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, १९४७ के उपबन्धों और उसके अधीन बनाये गये आदेशों के उल्लंघन के लिये ।

(ग) जी, हां ।

(घ) ऐसे अभ्यावेदनों पर ध्यानपूर्वक विचार किया जाता है और जहां कहीं आवश्यक होता है 'काली सूची' में उनके नाम लिखने के पूर्व निर्णय में संशोधन कर दिया जाता है ।

(i) संयुक्त राज्य अमेरिका के परमाणु परिक्षणों को पुनः प्रारम्भ करने के प्रस्तावित निश्चय के बारे में ; तथा

(ii) नागा विद्रोहियों द्वारा पकड़े गये भारतीय वायु सेना के अधिकारियों के बारे में वक्तव्य

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : अमरीका द्वारा आणविक परीक्षण पुनः प्रारम्भ करने और इस परीक्षण के फल-स्वरूप भारत प्रभावित होने के कारण जो स्थिति उत्पन्न होगी उसके बारे में एक वक्तव्य देने के लिये लोक सचिवालय से एक सूचना मुझे प्राप्त हुई है । मुझ से कहा गया है कि मैं कल इस बारे में वक्तव्य दूं किन्तु कल मैं यहां नहीं रहूंगा अतः उस बारे में आज ही संक्षेप में कुछ बताने के लिये आपकी अनुमति चाहता हूं ।

पहली बात तो यह है कि यदि ये परीक्षण हुए तो हवा के रुख के अनुसार रेडियो-धर्मी धूल के किसी भी दिशा में जाने की संभावना रहेगी । यदि ये परीक्षण अधिक संख्या में किये गये तो कठिनाई और भी अधिक होगी । इसके अलावा इस प्रकार के परीक्षणों का होना हमारे लिये बड़ी चिंता की बात है । दुर्भाग्यवश गत वर्ष सोवियत संघ ने परीक्षण प्रारम्भ करके परीक्षण न किये जाने के करार को खत्म कर दिया था और तब से कुछ

---

†मूल अंग्रेजी में

अन्य देशों द्वारा भी कुछ परीक्षण किये गये हैं । परीक्षणों के सम्बन्ध में पारस्परिक होड़ बहुत खेदजनक है विशेषकर, जब कि जेनेवा में निःशस्त्रीकरण के सम्बन्ध में विचार करने के लिये सम्मेलन हो रहा है । यदि इन मामलों पर हो रही चर्चा के समय कोई परीक्षण किये जाते हैं तो उनका सम्मेलन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा और कम से कम निकट भविष्य में किसी करार का हो सकना अत्यंत असंभव सा हो जायेगा।

जेनेवा सम्मेलन में सम्मिलित कुछ तटस्थ देशों ने कुछ प्रस्ताव पेश किये थे जिन पर अणुशक्ति वाले देशों ने विचार करना स्वीकार कर लिया था । चर्चा की समाप्ति के पूर्व यदि कोई परीक्षण किया जाता है तो वह उस चर्चा में बहुत बाधक होगा ।

प्रत्येक परीक्षण से कुछ हानि अवश्य होती है। रेडियोधर्मी धूल की मात्रा हन परीक्षणों के कारण निरंतर बढ़ती जा रही है । और एक समय आयेगा जब कि यह बहुत खतरनाक सिद्ध होगी । असली बात तो यह है कि इन परीक्षणों से वातावरण क्रमशः खराब होता जायेगा और वास्तविक युद्ध छिड़ जाने की संभावना रहेगी । यही कारण है कि जेनेवा में एक बैठक हो रही है । मुझे डर है कि इस प्रकार के परीक्षणों से करार होने की संभावना कम हो जाती है । तथा निःशस्त्रीकरण सम्मेलन की असफलता की संभावना और भी अधिक बढ़ जाती है । अतः मेरा विचार है कि मेरा ही नहीं बल्कि इस सभा के प्रत्येक सदस्य का यह विचार होगा कि ये आणविक परीक्षण न हों और विशेष रूप से उस समय जब कि जेनेवा में एक निःशस्त्रीकरण सम्मेलन होने जा रहा है । जब सवाल यह उठता है कि ये परीक्षण क्यों होते हैं तो ऐसा मालूम पड़ता है कि ये परीक्षण सैनिक कारणों से किये जाते हैं । शायद हर दल यह सोचता है कि इन परीक्षणों के बाद यह मालूम हो सकेगा कि किसके पास कितने शक्तिशाली हथियार हैं । तथा उन हथियारों को और किस प्रकार प्रभावी ढंग से प्रयुक्त किया जा सकता है । हो सकता है कि इसमें कोई सैनिक न्यायसंगति हो लेकिन मेरे विचार से तो इसके अलावा भी कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं । मेरा तो विचार है कि यदि यह होड़ जारी रही तो दोनों पक्ष अधिकाधिक भयंकर हथियार तैयार कर लेंगे जो न केवल दूसरे पक्ष को नष्ट करेंगे वरन् स्वयं उनको और समस्त विश्व को ही नष्ट कर देंगे । अतः अणुशक्ति वाले देशों से मेरी अपील है कि वे ऐसे परीक्षण न करें और जेनेवा सम्मेलन को कोई समझौता कर लेने का मौका दें ।

अतः हमें इस बात से बहुत चिंता है कि ये परीक्षण पुनः किये जायेंगे क्योंकि यह भी संभावना है कि यदि अमरीका ने प्रारम्भ किया तो रूस भी फिर करेगा। यह सवाल किसी खास दल का नहीं है। अतः मेरा यही निवेदन है कि ये परीक्षण इस समय न किये जायें।

†**अध्यक्ष महोदय** : इस सिलसिले में क्या प्रधान मंत्री श्री हेम बरुआ के पत्र का उल्लेख करेंगे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : श्री हेम बरुआ ने अपने पत्र में लिखा है कि नागा विद्रोहियों द्वारा हमारे "एयरमैनों" को बन्दी बनाने के सम्बन्ध में प्रतिरक्षा मंत्री ने जो वक्तव्य दिया है उसमें कुछ भलें हैं ।

यह भूल इस कारण हुई है कि कुछ अतिरिक्त जानकारी बाद को मिली । इस सम्बन्ध में कोई निश्चित सूचना देना बहुत कठिन है । इतना ही कहा जा सकता है कि बर्मी राज्य क्षेत्र में बर्मी सैनिकों की नागा विद्रोहियों से टक्कर हुई थी और उन्होंने एक दल को घेर लिया था । यह संभव है कि नागा विद्रोहियों ने हमारे जो एयरमैन पकड़ लिये थे वे उनमें शामिल हों इसके अतिरिक्त कोई और सही बताना बड़ा मुश्किल है क्योंकि हम कुछ जानते नहीं । हम बर्मा जा नहीं सकते हमें उन्हें अपनी सीमा पर ही रोकना है । हम केवल वर्मी प्राधिकारियों की सहायता से ही वहां जा सकते हैं । और वे ऐसा नहीं चाहते । फिर भी वे हमारी सहायता कर रहे हैं और वहां जाने वाले नागाओं के विरुद्ध कार्यवाही कर रहे हैं ।

†**श्री नाथ पाई** (राजापुर) : प्रधान मंत्री ने जैसा कि बताया है कि सरकार इस प्रकार के परीक्षणों के बारे में चिंतित है तो क्या वह चिन्ता अमरीकी सरकार को बताई गई है ? और यदि हां, तो इस बारे में उनकी क्या प्रतिक्रिया हुई ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : हमने कई बार तथा विभिन्न विभिन्न अवसरों पर इस बारे में अपने मत प्रकट किये हैं । हां, हमने अमरीका को इस बार कुछ नहीं लिखा है वह भी इस कारण से कि वह हमारे विचारों से भली भांति परिचित हैं और कई बार हम अपने विचार विभिन्न अवसरों पर प्रकट भी कर चुके हैं । फिर भी मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि यह बात भी उनके कानों तक पहुंच जायेगी । यह तो मैं नहीं जानता कि वे निर्णय क्या करेंगे किन्तु इतना अवश्य है कि हमारी संसद् में क्या कहा गया है इस पर काफी ध्यान देते हैं ।

प्रोफेसर रसेल से हमें सूचना प्राप्त हुई है कि हम वहां एक युद्धपोत भेंजे और हो सकता है कि इस युद्ध पोत के कारण यह परीक्षण रुक जायें । किन्तु मेरी समझ में यह बात कुछ आई नहीं ।

†**श्री हेम बरुआ** (गोहाटी) : मैंने अपने पत्र में स्पष्ट रूप से लिखा है कि विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री ने जो वक्तव्य राज्य सभा में दिया है तथा प्रतिरक्षा मंत्री ने जो वक्तव्य दिया है उसमें कुछ भूल है । लेकिन फिर भी मैं यह जानना चाहता हूं कि ये "एयरमैन" आजकल कहां हैं क्या वे बर्मी सीमा में हैं अथवा अब भी नागा विद्रोहियों के बंदी हैं ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैंने अभी बताया है कि वास्तविक स्थिति क्या है अभी तक इसका पता नहीं चल सका है । कुछ नागा विद्रोहियों का कहना है कि वे अब भी बर्मी सीमा में हैं तथा कुछ लोगों का कहना है कि उन्हें छोड़ दिया गया है लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हुई है । इसलिये सही बात क्या है । इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता । यह अभी तक संदेहजनक है कि उनको छोड़ दिया गया है अथवा उन्हें भविष्य में छोड़ा जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

मालदा जिले के सीमान्त क्षेत्र में उपद्रव

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बैरकपुर) : नियम १९७ के अधीन मैं गृह-कार्य मंत्री का ध्यान, पश्चिमी बंगाल में मालदा जिले के सीमान्त क्षेत्रों में निरंतर होने वाले उपद्रवों से उत्पन्न स्थिति के बारे में आकर्षित करती हूं और निवेदन करती हूं कि वे इस बारे में एक वक्तव्य दें।

†**गृह कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : यह मामला पश्चिम बंगाल से सम्बन्धित है। हमने उनसे पूरी रिपोर्ट मांगी है जो हमें एक या दो दिन में मिल जाने की आशा है। अभी जो सूचना हमारे पास है वह यह है कि ये उपद्रव सर्वप्रथम होली के दौरान रंग छिड़के जाने के कारण प्रारम्भ हुए थे। उस समय स्थिति पर नियंत्रण कर लिया गया था और दो तीन सप्ताह तक कोई दुर्घटना नहीं हुई थी। बाद में १६ अप्रैल को एक और उपद्रव शुरू हुआ और दोनों पक्षों की ओर से हमले किये गये। पश्चिम बंगाल सरकार ने आवश्यक कार्यवाही की और बहुत सी गिरफ्तारियां (लगभग ७६) की गईं। जहां तक हमें जानकारी प्राप्त है स्थिति पर नियंत्रण कर लिया गया है। पश्चिम बंगाल के पुलिस मंत्री ने माल्दा जिले का दौरा किया और बताया है कि वहां स्थिति अब ठीक है। यह आरोप कि माल्दा जिले से कुछ मुसलमान पूर्वी पाकिस्तान चले गयें हैं सर्वथा निराधार बताया गया है। चूंकि यह मामला राज्य सरकार का है अतः वे इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही कर रहे हैं।

†**श्री सरकार मुरमू** (बुलरघाट) : साम्प्रदायिक दंगों के बराबर जारी रहने तथा पुलिस की देखभाल की कमी के कारण उस क्षेत्र की जनता के मन में सुरक्षा की भावना कम हो गई है। क्या केन्द्रीय सरकार इसके बारे में ध्यान देगी तथा राज्य सरकार की सहायता करेगी ताकि वहां इस प्रकार की भावना समाप्त हो जाये ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : मेरा विचार है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने बड़ी कार्यवाही की है। वह सरकार काफी सतर्क है और उन्होंने हम से कोई सहायता नहीं मांगी है।

सभा की कार्यवाही का तत्काल अनुवाद करने के बारे में

†**श्री हो० ना० मुकर्जी** (कलकत्ता-मध्य) : जैसा कि हमने अभी देखा है कि हिन्दी और अंग्रेजी न समझने वाले माननीय सदस्यों को अपनी भाषा में और विशेष रूप से आदिम जाति के सदस्यों को अपनी भाषा में अपने विचार व्यक्त करने में कठिनाई होती है। और उनकी भाषा का तत्काल अनुवाद करने का यहां कोई प्रबन्ध नहीं है। मेरा निवेदन है कि बंगाली तथा तामिल भाषा के अनवाद की व्यवस्था अवश्य की जाये क्योंकि यहां इसके बोलने और समझने वाले काफी संख्या में हैं। भूतपूर्व अध्यक्ष ने एक बार संकेत किया था लोकतंत्रीय विकास के साथ यह आवश्यक हो जाता है कि कुछ बहुभाषी क्षेत्रीय भाषाओं के तत्काल अनुवाद की यहां व्यवस्था की जानी चाहिये मैं इस बारे में इसी समय तो कोई निर्णय नहीं चाहता किन्तु इतना निवेदन अवश्य है कि इस प्रार्थना पर विचार किया जाये। इस समस्या के बारे में राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव के समय भी चर्चा की गई थी।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : यह एक अहम प्रश्न है। इस बारे में कई बार विचार किया गया है किन्तु कुछ व्यावहारिक कठिनाइयां हैं। ऐसे अनुवादक मिलना भी कठिन है जो कि तत्काल अनुवाद कर सकें। लेकिन फिर भी यह एक ऐसा प्रश्न है जिस पर अलग से विचार किया जा सकता है।

अगर तत्काल अनुवाद की व्यवस्था की भी गई तो वह सभी भाषाओं के लिये तो संभव नहीं है किन्तु कुछ ऐसी भाषाओं के सम्बन्ध में संभव है जो कि यहां अधिक मात्रा में बोली और समझी जाती है।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** : हम प्रारम्भ तो कर सकते हैं और बाद में इसका विस्तार किया जा सकता है।

†**अध्यक्ष महोदय** : इस पर अलग से विचार किया जाये ?

सभा पटल पर रखे गये पत्र

समवाय अधिनियम १९५६ के अधीन आदेश और खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग (तृतीय संशोधन) नियम, १९६२

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : मैं सभापटल पर निम्न पत्रों की एक एक प्रति रखता हूं :—

(१) समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ८९ की उप-धारा (४) के अन्तर्गत दिनांक २४ मार्च, १९६२ के आदेश संख्या १८ (१)—सीएल—चार/६० की एक प्रति।

(२) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, १९५६ की धारा २६ की उपधारा (३) के अन्तर्गत दिनांक ७ अप्रैल, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ४४३ में प्रकाशित खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग (तीसरा संशोधन) नियम, १९६२ की एक प्रति।

[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये क्रमशः संख्या एल० टी०-२५/६२ और एल० टी० २६/६२।]

राज्य सभा से संदेश

†**सचिव** : मुझे सभा को यह बताना है कि मुझे राज्य सभा के सचिव से एक संदेश प्राप्त हुआ है जिसके साथ उन्होंने राज्य सभा द्वारा अपनी १९ अप्रैल, १९६२ की बैठक में पारित किये गये भेषज (संशोधन) विधेयक, १९६२ की एक प्रति संलग्न की है।

---

†मूल अंग्रेजी में

भेषज (संशोधन) विधेयक

राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में सभा पटल पर रखा गया

†**सचिव** : श्रीमान, मैं राज्य सभा द्वारा पारित भेषज (संशोधन) विधेयक, १९६२ की प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

सभा में स्थानों के नियतन के बारे में

†**श्री तिम्मय्या** (कोलार) : मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि स्थानों का नियतन यहां उचित ढंग से नहीं किया गया है । कृपया आप इस सम्बन्ध में कुछ करें ।

†**अध्यक्ष महोदय** : इस बारे में आप मुझसे मेरे कमरे में मिलें । लेकिन फिर भी मैं यह बता देना चाहता हूं कि कांग्रेस दल के सदस्यों के लिये हमने एक ब्लाक नियत कर दिया है । यदि फिर भी कोई शिकायत है तो यह उनके दल का मामला है ।

धनबाद के निकट हुई रेलवे दुर्घटना के बारे में वक्तव्य

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : मैं एक गम्भीर दुर्घटना के बारे में एक वक्तव्य देना चाहता हूं ।

कल रात को जो दुखद घटना हुई है उसका मुझे महान खेद है । ऐसा हुआ कि २३ अप्रैल, १९६२ की शाम को लगभग ६.४५ पर जब कि धनबाद के गुड्स यार्ड में शंटिंग इंजन एक मालगाड़ी को खींच रहा था तो सातवें डिब्बे की 'कपलिंग' पीछे से टूट गई और सात डिब्बे धनवाद यार्ड से कुसुंडा की दिशा में नया बाजार समपार के फाटक, जो उस सड़क यातायात के लिये खुला हुआ था, की ओर लुढ़क गये । उसी समय यात्रियों से भरी हुई एक बस और एक ट्रक रेल की पटरी पार कर रहे थे । कुसुंडा की ओर का पहला माल डिब्बा इन मोटर गाड़ियों से टकराया तथा उन्हें फाटक से लगभग २० गज दूर खींच ले गया । दुर्घटना के फलस्वरूप ७ व्यक्ति स्थल पर ही मर गये । अन्य ३९ व्यक्ति घायल हुए तथा उन्हें धनबाद के विभिन्न अस्पतालों में पहुंचाया गया । बाद में उन में से ९ व्यक्ति मर गये । प्राथमिक चिकित्सा करने के पश्चात् एक व्यक्ति को अस्पताल से वापस कर दिया गया शेष २९ व्यक्ति अभी तक अस्पताल में हैं ।

दुर्घटना के तुरन्त बाद एक ७५ टन का क्रेन तथा डाक्टरी सहायता ट्रेन तथा चिकित्सा कर्मचारी घटनास्थल पर भेजे गये । रेलवे के उच्चपदाधिकारी भी वहां घटना-स्थल पर गये और लोगों को दी जाने वाली सहायता का उन्होंने निरीक्षण किया । कलकत्ता से पूर्व रेलवे के मुख्य चिकित्सक भी गये हैं और उन्होंने अस्पताल में घायल व्यक्तियों को देखा है । आज सवेरे ५.३५ पर रेल की लाइन पर आवागमन खुल गया ।

'केबिन' के कर्मचारियों के माल डिब्बों के लुढ़क जाने की स्थिति मालूम होने पर समपार के फाटक पर नियुक्त गेट मैन को सचेत करने का प्रयत्न किया ताकि उसे सड़क यातायात के लिये बन्द किया जा सके परन्तु गेट मैन के वैसा कर सकने के पूर्व ही माल डिब्बे मोटर गाड़ियों से टकरा गये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दुर्घटना के कारण की जांच करने के लिये वरिष्ठ अधिकारियों को नियुक्त किया गया है।

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : क्या मृत व्यक्तियों के परिवारों को प्रतिकर दिया जायेगा ।

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : अभी इस के बारे में कुछ बताना बहुत जल्दी है । मैं सभी जानकारी एकत्रित कर रहा हूं और जानकारी प्राप्त हो जाने पर उत्तर दूंगा ।

रेलवे आय-व्ययक—सामान्य चर्चा—(जारी)

†**श्री श्याम लाल सर्राफ** (जम्मू तथा काश्मीर) : एक सुझाव दिया गया है कि रेलवे के कार्य संचालन की जांच करने के लिए एक आयोग स्थापित किया जाये । मैं समझता हूं कि यह एक निषेधात्मक सुझाव है, रचनात्मक नहीं । पिछले ३० या ३५ वर्षों के अनुभव से यह कहा जा सकता है कि रेलवे ने प्रगति की है । किन्तु आवश्यकता यह जानने की है कि क्या यह प्रगति पर्याप्त है । इसके लिये जरूरी है कि एक उच्च-शक्ति आयोग विभिन्न परिवहन प्रणालियों—रेलवे, नौपरिवहन, सड़क, नदी आदि के सम्बन्ध में विचार करके प्रत्येक प्रणाली की जिम्मेदारी को निर्धारित करे । अंग्रेजों के जमाने में देश के उत्तर पश्चिम खंड में रेलवे को बहुत महत्व दिया जाता था, किन्तु अब रेलवे लाइने हर दिशा में फैल रही हैं, जगह जगह पर वर्कशाप खोले जा रहे हैं अच्छे औजारों आदि के विषय में रेलवे ने आत्म-निर्भरता प्राप्त कर ली है ।

इतने बड़े संगठन में कभी कभी दुर्घटनाओं का हो जाना अनिवार्य है । इन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है । रेलवे जैसी महत्वपूर्ण सेवा में यह आवश्यकता है कि अधिकारियों और कर्मचारियों में बहुत ऊंचे दर्जे का अनुशासन रहे ताकि उसका संचालन सुचारू रूप से हो सके और दुर्घटनायें न हों ।

मैं श्री आलवा से सहमत हूं कि पिछड़े हुए क्षेत्रों में, जहां परिवहन के साधन बहुत कम हैं, रेलवे लाइने बनाने के कार्य को प्राथमिकता देनी चाहिये। इस क्षेत्र में मैं जम्मू और काश्मीर भी सम्मिलित करूंगा। वहां पर सर्वोत्तम किस्म की देवदार लकड़ी उपलब्ध है जोकि रेलवे के लिए स्लीपर बनाने के काम आती है । यदि रेलवे लाइन काश्मीर में ले जाई जा सके तो हम इस लकड़ी का पूरा उपयोग कर सकेंगे और स्लीपरों की संख्या में दुगनी, तिगुनी या चौगुनी वृद्धि कर सकेगा ।

मैं, रेलवे मंत्री का, जो पहले इस्पात और खानों के मंत्री थे, आभारी हूं, जिन्होंने मेरे राज्य को खनन कार्य में सहायता दी है। बहुत से क्षेत्रों के सर्वेक्षण किये गये हैं । रेलवे लाइन बन जाने पर राज्य की खनिज सम्पत्ति को, विशेष रूप से कोयले की देश को मांग पूरा करने के लिए प्रयोग किया जा सकेगा। यदि लाइन अखनूर तक ले जाई जाये, तो हिमाचल, पंजाब और दिल्ली तक कच्चा माल भेजा जा सकेगा ।

यात्रियों को सुविधा देने के लिये समस्त रेलवे कर्मचारी धन्यवाद के पात्र हैं । मेरे विचार में इस सम्बन्ध में कुछ और पग उठाना आवश्यक है । रेलवे सम्पत्ति की समुचित देखभाल होनी चाहिये । यात्रा में यात्रियों को सुरक्षा का अनुभव होना चाहिये ।

---

†मूल अंग्रजी में

[श्री श्यामलाल सर्राफ]

व्यापारियों में विश्वास उत्पन्न करने के लिए रेलवे द्वारा भेजे गये माल की चोरी की घटनायें रोकनी चाहियें । समाज विरोधी तत्वों का पता लगाने के लिये नवीनतम प्रकार की गुप्तचर व्यवस्था होनी चाहिये । सब महत्वपूर्ण जंकशनों पर जनसम्पर्क अधिकारी नियुक्त किये जाने चाहियें ।

†श्री उ० मू० त्रिवेदी (मंदसौर): यद्यपि भारत का क्षेत्र बहुत है फिर भी रेलवे लाइनों की कुल लम्बाई बहुत कम है, जैसा कि अमेरिका के साथ तुलना करने से मालूम होगा ।

आश्चर्य की बात है कि रेलवे जो कि एक वाणिज्यिक उपक्रम है, कोई लाभ नहीं कमा रही , बल्कि घाटे पर चल रही है । अवक्षयण निधि बहुत कम रह गई है और विकास निधि लगभग समाप्त हो चुकी है और रेलवे चलाने के लिए सामान्य राजस्व से उधार लिया जा रहा है ।

किरायों में प्रति दिन वृद्धि की जा रही है । पिछले ५ वर्षों में इन में ३० प्रतिशत वृद्धि की गई है । किन्तु क्या सुविधाओं में भी उतनी वृद्धि हुई है ? मालूम होता है कि रेलवे आय-व्ययक केवल लोगों पर कर लगाने का एक साधन है, चूंकि रेलवे को एकत्र एकस्व प्राप्त है, इसलिए रेलवे इस मामले में मनमानी कर सकती है ।

यदि रेलवे दुर्घटनाओं की संख्या पर नज़र डाली जाये, तो मालूम होगा कि प्रति वर्ष ५५०२ व्यक्ति रेलवे दुर्घटनाओं में मारे जाते हैं । अर्थात् एक दिन में १५ व्यक्ति मारे जाते हैं । घायल होने वालों की संख्या प्रतिवर्ष ३२६०० है अर्थात् ९० व्यक्ति प्रतिदिन । इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिये हम ने क्या कदम उठाये हैं । पिछले रेलवे मंत्री की अवधि में ६ वर्षों में १८८८ दुर्घटनाएं हुई थीं, किन्तु खेद का एक शब्द भी नहीं कहा गया । क्या दुर्घटनाओं की संख्या इस तरह बढ़ती जायेगी ? अधिकतर घटनायें शन्ट करते समय कर्मचारियों की लापरवाही के कारण होती हैं ।

श्वेत पत्र में विभागीय भोजन व्यवस्था की बहुत प्रशंसा की गई है और कहा गया है कि यह बहुत लोकप्रिय है, परन्तु यह बिल्कुल गलत है । जो खाना दिया जाता है, वह खाने योग्य भी नहीं होता ।

बिना टिकट यात्रा सम्बन्धी जो आंकड़े दिये गये हैं वे बहुत बढ़ा चढ़ा कर दिखाये गये हैं । अनेक स्थानों पर यात्रियों को जानबूझ कर उन के गन्तव्य स्थानों के टिकट नहीं दिये जाते क्योंकि टिकट चेक करने वाले चाहते हैं कि वे बिना टिकट यात्री पकड़ने का अपना पूरा कोटा दिखा सकें । यदि इस बात की जांच की जाये तो मालूम होगा कि बिना टिकट यात्रा उस से ८० प्रतिशत कम है, जितनी कि बताई गई है और यह वास्तव में बढ़ नहीं रही, कम हो रही है । टिकटें चेक करने वाले कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने की अपेक्षा टिकटें जमा करने वालों की संख्या बढ़ानी चाहिए ।

नये नियमों के अन्तर्गत छोटे छोटे स्टेशनों के स्टेशन मास्टरों से क्वार्टरों का किराया लिया जाने लगा है, जबकि पहले वे उन को बिना किराये के मिलते थे । चूंकि उन्हें उन में रहने के लिए बाध्य किया गया है और वे अपने हित में या अपनी इच्छा से उन में नहीं गये हैं, बल्कि रेलवे के हित में गये हैं, इसलिए उन से किराया नहीं लेना चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रतिस्थापन संहिता नियम संख्या २०४४ में किया गया संशोधन अवैध है, क्योंकि यह संविधान के अनुच्छेद ३१ और ३११ का उल्लंघन करता है।

समय-सारणियों से मालूम होता है कि अनेक स्थानों पर गाड़ियों की रफ्तार कम हो गई है। अजमेर-खंडवा विभाग पर ४० मील की रफ़तार कम हो कर २३ मील रह गई है। कहा जाता है कि रेलवे के पास स्लीपर नहीं हैं। इन की व्यवस्था क्यों नहीं की गई ?

कहा जाता है कि नई लाइनें बिछाते समय भारी पटरी का प्रयोग उपयोगी होता है। यद्यपि ब्रिटेन में लाइगों का गेज ४ फीट ६ इंच है, वहां १०५ पौंड भारी पटरी प्रयोग की जाती है, किन्तु गेज ५ फीट ६ इंच होते हुए भी ९० पौंड भारी पटरी बिछाई जा रही है।

मध्य प्रदेश में १५,००० वर्ग मील क्षेत्र ऐसा है, जिस में रेलवे की लाइन नहीं है। क्या यह प्रगति का चिह्न है ?

सड़क परिवहन और रेलवे में समन्वय होना आवश्यक है। किन्तु अब समन्वय के स्थान पर मुकाबला चल रहा है। मोटर गाड़ी अधिनियम के संशोधन के बावजूद कुछ राज्यों ने सड़क परिवहन का राष्ट्रीयकरण नहीं किया, जिस के कारण रेलवे को बहुत हानि हो रही है।

रेलवे के भाड़े भी बराबर बढ़ाये जा रहे हैं, और १५ मील से अधिक दूरी तक की यात्रा पर कर लगा दिया है। यह कर ५० मील से अधिक दूरी की यात्रा पर होना चाहिये था, क्योंकि रेलवे का सड़क परिवहन से थोड़ी दूरी की यात्रा के क्षेत्र में मुकाबला हो रहा है। हमारे देश में जो नई सिगनल व्यवस्था चालू की जा रही है वह ब्रिटेन में लगभग ६० वर्ष पूर्व लागू की गई थी और असफल रही है। इसलिये हमें ऐसी चीजों पर करोड़ों रुपया नहीं खराब करना चाहिये।

†**श्री अ० चं० गुह** (बारसाट) : यह कहना ठीक नहीं कि रेलवे केवल एक वाणिज्यिक उपक्रम या विभाग है। देश के आर्थिक विकास में इस का अपना महत्व है।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

रेलवे का एक पहलू सेवा का भी है।

किन्तु आयव्ययक पत्रों का अध्ययन करने के बाद यह आभास होता है कि रेलवे को इस स्थिति का अनुभव नहीं है और वह बहुत हद तक परिवहन व्यवस्था में संकट पैदा करने के लिये ज़िम्मेदार है। संकट न केवल परिवहन में ही है, बल्कि कोयले और विद्युत् के उत्पादन में भी है और यह बहुत हद तक रेलवे की असफलता के कारण है। किन्तु श्वेत पत्र में केवल रेलवे की सफलताओं का उल्लेख है, असफलताओं का नहीं।

१९६१ और १९६२ में माल का परिवहन लक्ष्य से ७० से ८० लाख टन कम हुआ है। कहा गया है कि यह इसलिये हुआ है कि इस्पात कारखानों के कम उत्पादन और सामान्य हड़ताल के कारण हुआ है। किन्तु मुझे शक है कि उत्पादन जानबूझ कर कम किया गया है, ताकि रेलवे परिवहन संकट से बच जाये।

†**रेलवे मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह)** : यह सत्य नहीं है ; क्योंकि इस्पात भी मेरे अधीन था।

†**श्री अ० चं० गुह** : प्रशासनीय मामलों में अधिक सुधार होना चाहिये था। देखा गया है कि खाली माल डिब्बों और इंजनों की यात्रा के समय में सामान्य वृद्धि हुई है। ११ दिनों में से वे केवल २ दिन चलते रहते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री अ० चं० गुह]

मालगाड़ी में जाने वाले माल की चोरी अथवा उस के गुम हो जाने के कारण प्रतिवर्ष कई करोड़ रुपया प्रतिकर के रूप में दिया जाता है। इस के एक बड़े भाग की जिम्मेदारी अधिकारियों के भ्रष्टाचार पर है। इस समस्या को न केवल भ्रष्टाचार रोकने बल्कि मितव्ययता के पहलू से हल करने की कोशिश करनी चाहिए। भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में ठेके और खरीद की प्रणालियों की भी जांच होनी चाहिये। यदि इन विभागों में भ्रष्टाचार रोका जाये, तो बहुत बचत की जा सकती है।

जनसाधारण के लिए बिना बखशीश दिये पार्सल बुक करवाना बहुत कठिन होता है। इस मामले की ओर विभाग को ध्यान देना चाहिये।

सामान्य स्थिति को देखते हुए रेलवे का न उचित आयोजन रहा है और न उचित नीति ही। तीसरी योजना में सामान्य माल के वहन के लिए ८५० लाख टन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और १९६५-६६ में १०९० लाख टन का। आशंका है कि यह लक्ष्य बहुत कम सिद्ध होगा और रेलवे को वहन के लिए इस से कहीं अधिक माल प्राप्त होगा। तीसरी योजना में ५ प्रतिशत वृद्धि का अनुमान है। किन्तु वार्षिक उत्पादन में वृद्धि १० से १२ प्रतिशत तक होगी। दूसरी योजना में रेलवे की वहन शक्ति में ८ प्रतिशत वार्षिक वृद्धि हुई थी। तो अब यह समझ नहीं आता कि ५ प्रतिशत का अनुमान कैसे लगाया गया है।

यदि उत्पादन १० या १२ प्रतिशत बढ़ जाता है और रेलवे का कार्यक्रम केवल ५ प्रतिशत वृद्धि के लिए ही परिवहन की व्यवस्था करना है तो बताइये बाकी के माल का क्या बनेगा। अब तो रेलवे परिवहन और सड़क परिवहन के मुकाबले की भी कोई बात नहीं रही है। अब तो दोनों के समन्वय का प्रश्न है। मेरा निवेदन है कि रेलवे का आयोजन उचित नहीं रहा और न ही इस की नीति ही उचित रही है। इस बात की पूरी आशंका है कि जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है वह बहुत कम सिद्ध होगा और रेलवे को वहन के लिए बहुत अधिक माल मिलने की संभावना है। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि एक बड़ा गम्भीर आरोप यह लगाया जा रहा है कि रेलवे बोर्ड नियोगी समिति के साथ सहयोग नहीं कर रहा है। यही कारण है कि रिपोर्ट तैयार करने में काफी देर हो रही है। इस मामले में और अधिक प्रतीक्षा नहीं की जा सकती।

मैं कोयले की बात की ओर आता हूं। कोयले की स्थिति में १९६२ में भी कुछ सुधार नहीं हुआ है। कोयला नियंत्रक ने १९६१ में केवल बंगाल बिहार क्षेत्र के लिए ६१५० गाड़ियां दैनिक मांगी हैं। यह वह क्षेत्र है जहां देश में खपत होने वाले कोयले का ८० प्रतिशत पैदा होता है। यहां भी ४,७६८ गाड़ियों से अधिक की व्यवस्था नहीं हो सकी। मेरा निवेदन यह है कि देश के विकास के लिए कोयला बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तु है। देश के प्रत्येक प्रकार के उत्पादन में उस की आवश्यकता होती है। अतः मैं इस बात पर जोर दूंगा कि कोयले के परिवहन के लिए अधिक से अधिक डिब्बों की व्यवस्था की जानी चाहिये। मैं यह भी निवेदन करूंगा कि रेलवे बोर्ड को यह भी ध्यान रखना चाहिये कि भाड़े और किराये की वृद्धि का उत्पादन की लागत और रहन सहन के खर्च पर कैसा प्रभाव होने वाला है। मैं इस सुझाव को ठीक नहीं समझता कि रेलवे को सामान्य राजस्व से ऋण लेना चाहिए। ऐसा करने का अर्थ यह होगा कि वित्त मंत्रालय अधिक कर लगाने पर मजबूर हो जायेगा।

†**श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह** (राजनन्द गांव) : रेलवे मंत्री के भाषण से मैं ने अनुमान लगाया है कि रेलवे में योजना और समन्वय का नितान्त अभाव रहा है। प्राथमिकता का भी विशेष ध्यान नहीं रखा गया। यह तो बड़ी स्पष्ट बात है कि जब एक बार प्राथमिकता निश्चित कर दी जाय तो उन का

---

†मूल अंग्रेजी में

समुचित ढंग से पालन किया जाना चाहिये । १० से १५ प्रतिशत तक किराया और भाड़ा बढ़ा लिया गया, उस के मुकाबले में यात्रियों को दी जाने वाली सुविधा में कोई भी वृद्धि नहीं की गयी हैं ।

इस बात को गत पांच वर्षों में कई बार सदन में कहा गया है परन्तु इस ओर कोई ध्यान ही नहीं दिया जा रहा कि भोपाल से मध्य प्रदेश के अन्य स्थानों के लिये पर्याप्त रेलगाड़ियों की व्यवस्था की जानी चाहिये । मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि इस बात पर विचार किया जाना चाहिये । इस दिशा में मेरा सुझाव यह है कि यदि विभिन्न गाड़ियों में विशेष डिब्बे लगा दिये जायें तो मेरे विचार में यह समस्या काफी हद तक हल हो सकती है । परन्तु खेद की बात यह है कि बातें कही जाती हैं, नोट भी कर ली जाती हैं, परन्तु किया कुछ नहीं जाता ।

अब मैं रेलवे सुरक्षा बल का उल्लेख करना चाहता हूं। रेलों में हत्या; अपराध और चोरियों की संख्या बराबर बढ़ रही है और रेलवे सुरक्षा बल द्वारा इस दिशा में कोई उल्लेखनीय अंशदान दिखाई नहीं देता । हमें बताया जाय कि उस ने इस दिशा में क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य किया है । मेरे विचार में तो इस से पहिले के सुरक्षिगणों ने अच्छा कार्य किया था । बात यह है कि इस बारे मे अधिकारियों की ओर से विशेष ध्यान नहीं दिया गया । इस में ठीक ढंग के लोग भर्ती नहीं किये गये । मेरा निवेदन है कि प्रशासन को इस विशष पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये और रेलवे सुरक्षा बल को एक शक्तिशाली संगठन का रूप देने का प्रयत्न करना चाहिये ।

जहां तक सुविधाओं का प्रश्न है वहां भी कोई विशेष प्रगति की बात दिखाई नहीं देती । भोजन व्यवस्था की स्थिति बहुत ही खराब है । हैरदराबाद और नागपुर से परे परे तो कुछ अच्छी व्यवस्था है परन्तु उत्तरी रेलवे में तो हालत बहुत ही खराब है । रेलवे की भोजन व्यवस्था में सुधार किया जाना चाहिये । इस मामले में यात्रियों के असन्तोष की ओर अधिकारियों का ध्यान तुरन्त जाना चाहिये । विदेशी पर्यटकों के लिए दिल्ली से आगरा तक आने जाने के लिए स्पेशल गाड़ियां चलाई जानी चाहियें । ये गाड़ियां इस दृष्टि से बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगी ।

उच्च पदों पर पदोन्नति देते हुए किसी परिमाप का ध्यान रखा जाना चाहिये । बिना किसी कसौटी के, आधार के अथवा बिना किसी कारण के कनिष्ठ अधिकारियों को वरिष्ठ अधिकारियों के ऊपर नहीं बैठाया जाना चाहिये । चाय, काफी आदि जैसी निर्यात की जा सकने वाली वस्तुओं को भी बढ़ी हुई भाड़ा-दरों से छट मिलनी चाहिए ।

गाड़ियों के देर से चलने की शिकायत बहुत ही आम है अतः मेरा अनुरोध है कि गाड़ियों के देर से चलने को रोकने के लिए प्रभावपूर्ण कदम उठाये जाने चाहिए। इसके कारण यात्रियों को बहुत ही परेशानी उठानी पड़ती है और कई असुविधायें भी होती हैं । यह भी मेरा अनुरोध है कि विलासपुर और गोंदिया के बीच मंडला, जबलपुर और भोपाल को मिलाने वाली सीधी लाइन तुरन्त बनाई जानी चाहिए । उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर भारतक की यात्रा के लिए ग्रांड ट्रंक रोड ही एक साधन है। दिल्ली से खण्डव-हगोली होकर हैदराबाद तक मीटर लाइन बनाने के प्रस्ताव पर भी सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाना चाहिए ।

अन्त में मैं इस बात की ओर ध्यान आकृष्ट करवाना चाहता हूं कि जहां दोहरी लाइन का काम हो रहा है, वहां रास्ते के गांवों के तालाबों का रेलवे द्वारा उपयोग किया जाता है । गौंडिया और रामपुर के बीच ऐसा किया गया है । परन्तु जब गांव वालों ने तालाब की देखभाल के लिए सहायता मांगी तो रेलवे अधिकारियों की ओर से इन्कार कर दिया गया । न धन की ही कुछ सहायता दी न कुछ और ही । आजकल सामुदायिक विकास का कार्य चल रहा है, उससे भी रेलवे को लाभ उठाना चाहिए और धन और अन्य साधनों से परियोजनाओं को सहायता देनी चाहिए।

†**डा० उ० मिश्र** (जमशेदपुर) : तीसरे दर्जे के जो किराये बढ़ाये गये हैं इससे मध्य वर्ग और मजदूरों म काफी चिन्ता व्यक्त की जा रही है। भाड़ा बढ़ने पर भी काफी असन्तोष है। मैं जानता हूं कि हमारे प्रबल विरोध करने पर भी किराये अवश्य बढ़ जायेंगे परन्तु मैं निवेदन करूंगा कि मंत्री महोदय को तीसरे दर्जे के यात्रियों पर अवश्य कुछ रहम खाना चाहिए। उन्हें तो कोई विशेष सुविधा भी नहीं दी जा रही। उनके लिए तो न कोई एक्सप्रैस है और न ही कोई वातानुकूलित गाड़ी ही। उनमें बढ़ रही भीड़भाड़ की कोई व्यवस्था नहीं की जा रही। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बहुत पहले से यही स्थिति रही है। रांची और टाटानगर के बीच गाड़ियों की संख्या नहीं बढ़ी है। पटना और टाटानगर के बीच केवल एक ही गाड़ी है। टाटानगर का स्टेशन जो अभी हाल ही में बनाया गया है बहुत ही सुन्दर है परन्तु उसकी देख के लिए कुछ नहीं किया जा रहा। वहां मेहतरों को अधिक सुविधायें दी जानी चाहिए ताकि वे ठीक ढंग से काम करें।

रांची और टाटानगर के बीच अधिक रेलगाड़ियों की व्ववस्था की जानी चाहिए। नागपुर होकर हावड़ा-बम्बई लाइन पर और हावड़ा-मद्रास लाइन पर वातानुकूल एक्सप्रैस गाड़ियों की व्यवस्था की जानी चाहिए।

इसके अतिरिक्त दिन प्रति दिन दुर्घटनायें बढ़ रही हैं। इन दुर्घटनाओं की संख्या के बढ़ जाने का एक कारण यह भी है कि रेलों पर चलने वाले कर्मचारियों पर काम का भार बहुत अधिक है। प्रशासन को ड्राइवरों, फायरमैनों तथा अन्य कर्मचारियों की सुविधाओं का ध्यान रखना चाहिए। उन्हें मकान इत्यादि की समुचित सुविधा दी जानी चाहिए। मैं ने स्वयं देखा है कि २४,२४ घंटे लगातार काम करने पर भी उनके पास रात को सोने का स्थान नहीं होता। इसी प्रकार टाटानगर में जो रेलवे अस्पताल बनाया गया है उसमें कर्मचारियों के लिए पर्याप्त चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था नहीं है। कई मामलों में वहां का मेडीकल आफीसर बेचारा कुछ नहीं कर सकता। रेलवे को अपने अस्पतालों में व्यवसायिक रोगों की जांच के लिए व्यवस्था करनी चाहिए। रेल कर्मचारियों में क्षय रोग बड़ रहा है। कर्मचारियों की सामूहिक रूप से एक्सरे परीक्षा की जानी चाहिए।

रेलवे में क्षय सम्बन्धों के सुधारने के बारे में मेरा मत यह है कि भाई भतीजवाद बन्द किया जाना चाहिए और सरकारी और गैरसरकारी ढंग का व्यवहार विभिन्न कार्मिक संघों से नहीं होलाँ चाहिए। जनता की शिकायतों की ओर पर्याप्त ध्यान दिया जाना चाहिए। तीसरे और चौथे दज के जिन लोगों को पदोन्नति नहीं मिल रही उनके मामले पर विचार करना चाहिए। आशा है रेलवे मंत्री मेरी बातों की ओर अपेक्षित ध्यान देंगे।

डा० महादेव प्रसाद (महाराजगंज): उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सभा के नये सदस्य के नाते नये रेलवे मंत्री को पहले बधाई देना चाहता हूं।

मैं ऐसा मानता हूं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सरकार ने रेलवे यातायात में काफी उन्नति की है, किन्तु फिर भी यह नहीं कहा जा सकता है कि हमारे इस पिछड़े हुए देश में, विशेषकर, मैं जिस निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुआ हूं उस पिछड़े भू-भाग में, रेलवे यातायात में जितनी वृद्धि करने की आवश्यकता है, उतनी हो सकी है। बहुत से माननीय सदस्यों ने किराये और फ्रेट की वृद्धि के विषय में ऐतराज किया है। इस में कोई सन्देह नहीं कि जब कि रेलवे के बजट में, जैसा कि हम को बतलाया गया है, काफी लाभ की गुंजाइश है, उस में किराये और फ्रेट की वृद्धि पर ऐतराज हो सकता है। लेकिन फिर भी मैं अत्यन्त विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि दूसरे देशों में रेलवे के किराये और फ्रेट के रेट की जो स्थिति है, उस के मुकाबले में हमारे देश में उस को बढ़ाने की कहीं ज्वादा गुंजाइश हैं।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

एक बात मैं अवश्य कहना चाहता हूं कि जहां तक रेलवे फ्रेट और किराये में वृद्धि का प्रश्न है, वह एक व्यापारिक स्थिति को ध्यान में रख कर करना चाहिये । व्यापार का तरीका यह होता है कि जिस प्रकार की सुविधा हम कस्टमर को पहुंचाते हैं उस के अनुसार ही उस के किराये में हम कमी या वृद्धि किया करते हैं । मुझे कोई ऐतराज नहीं है यदि सरकार ने फर्स्ट या सेकेन्ड क्लास के किराये में वृद्धि की है, लेकिन हमें जरूर आपत्ति है कि थर्ड क्लास के किराये में वृद्धि की जाती है, जब कि हम जानते हैं कि थर्ड क्लास में चलने वाले जो यात्री हैं उन को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ता हैं । मैं आप का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं खास तौर पर मीटर गेज पर जो गाड़ियां चलती हैं, उन की स्थिति अत्यन्त शोचनीय होती हैं । मैं विशेष रूप से जो गाड़ियां कटिहार से अमीनगांव की ओर जाती हैं उन की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । अगर रेलवे अधिकारी थर्ड क्लास के डब्बे में इस लाइन पर सफर करते तो उन को यह तजुर्बा होता कि उस में क्या परेशानियां होती हैं ।

एक माननीय सदस्य : वे सैलूनों में चलते हैं ।

डा० महादेव प्रसाद: हां, चूंकि वे सैलूनों में चलते हैं इसलिये उन को इस बात का ज्ञान नहीं हो पाता है ।

जहां तक भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारे इस पिछड़े भू-भाग के रेलवे यातायात की उन्नति का प्रश्न है, मैं सरकार का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि मुद्दत से इस पिछड़े इलाके में बहुत कम लाइनें रही हैं । मुझे यह बतलाने की आवश्यकता नहीं है कि अंग्रेजी राज्य के जमाने में अंग्रेजी हुकूमत ने लाइनें उन्हीं तरफ निकालीं जिधर उन को लाभ होता था । उन के लाइनें निकालने का खास मकसद यह होता था कि हमारे स्वतन्त्रता आन्दोलन को किस तरह से कुचला जा सके । उन्होंने इस का कभी ध्यान नहीं रक्खा कि जनता को सुख सुविधा पहुंचायें ताकि व्यापार को उन्नत किया जा सके । जो कुछ थोड़ी बहुत लाइहें है हमारे यहां वह मीटर गेज की हैं । मीटर गेज होने से ब्राड गेज लाइन से उसका सीधा सम्बन्ध नहीं है इस कारण ट्रांशिपमेंट में जो दिक्कत होती है उससे व्यापार की वृद्धि में काफी कठनाई उपस्थित होती है ।

यह बात जरूर है कि आज सरकार उन हिस्सों में ही रेलवे लाइन बनाने के बारे में सोचती है जहां कोई किसी तरह का औद्योगीकरण हो रहा हो, जहां उद्योग के नाते कुछ सुविधा पहुंचाने की आवश्यकता होती है । यह एक वीशस सरकिल है । जिस हिस्से में औद्योगीकरण होता है वहां रेलवे लाइन बनाने की जरूरत समझी जाती है । इसका एक यह पक्ष भी होता है कि जिस हिस्से में औद्योगीकरण नहीं हुआ है वहां रेलवे लाइन की सुविधा न होने के कारण कठिनाइयां उत्पन्न हो जाती हैं । इस सम्बन्ध में मैं आपका ध्यान एक खास उदाहरण की ओर दिलाना चाहता हूं । यद्यपि अभी इस बात का ज्ञान स्पष्ट नहीं है, लेकिन पता चला हैं कि हमारी सरकार ने कृपा करके गोरखपुर में एक फरटीलाइज़र फैक्टरी खोलने का विचार किया है । कुछ दिन पहले मैं ने सुना था कि फरटीलाइज़र फैक्टरी खटाई में पड़ गयी क्योंकि हमारी तरफ़ मीटर गेज लाइन है ब्राडगेज नहीं है जिस कारण बड़ा हैवी प्लांट वहां नहीं पहुंचाया जा सकता । मुझे यह भी मालूम हुआ है कि एक आध हफ्ते पहले कुछ उच्च अधिकारी फरटीलाइज़र फैक्टरी की साइट देखने के लिए वहां गये थे । वहां कई साइट्स हैं । उनमें से एक साइट मेरी अपनी कांस्टीट्यूएंसी में है । यह कहा जाता है कि उस साइट में और सब कुछ ठीक है लेकिन एक सब से बड़ी दिक्कत है यह साइट गोरखपुर के आगे आनन्द नगर के पास है और उसके और गोरखपुर के बीच महेसरा का ब्रिज है जिस पर हैवी प्लांट

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[डा० महादेव प्रसाद]

नहीं ले जाया जा सकता। यह कितने अफसोस की बात है कि एक पिछड़ा हुआ इलाका, जो बहुत दिनों से पिछड़ा हुआ है और जिसकी कोई उन्नति इस आजादी के जमाने में नहीं हो सकी है, इतनी बड़ी योजना से मुस्तफीद नहीं हो सकता क्योंकि रेलवे के यातायात की दिक्कत उसके सामने आ जाती है। मैं रेलवे मंत्री का इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और प्रार्थना करता हूं कि यह कोशिश होवे कि हमारी तरफ़ मीटरगेज की जगह ब्राडगेज की व्यवस्था की जाये। मैं यह नहीं कहता कि यकायक यह कार्रवाई की जाये, लेकिन उस दिशा में प्रयास होना चाहिए।

हमें यह जानकारी हुई है कि लखनऊ और गोरखपुर के बीच में जो चौका घाट का ब्रिज बदला जा रहा है उस पर काफी रुपया खर्च हो रहा है। लेकिन अफसोस होता है कि उस ब्रिज को हम बदल रहे हैं केवल मीटर गेज स्टेंडर्ड के लिए न कि ब्राड गेज स्टेंडर्ड के लिए। मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि जब इतना रुपया खर्च हो रहा है तो उसको ब्राड गेज स्टेंडर्ड का बनाने की चेष्टा करनी चाहिए। इसी प्रकार महेसरा ब्रिज में भी सुधार हो रहा है इसकी बात सुनी जाती है। इसमें भी ब्राडगेज स्टेंडर्ड का ही बनाने की कोशिश होनी चाहिए।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हमें वह जानकारी है कि लखनऊ से बुढ़गल तक तो मीटरी गेज के अलावा ब्राडगेज भी थी। किसी कारण से बाराबंकी से बुड़वल तक उसको हटा दिया गया। इसलिए अगर चौका घाट का पुल ब्राड गेज स्टेंडर्ड का बनाया जाये तो उस लाइन को ले जाने में सुविधा हो सकती है।

इधर समस्तीपुर तक ब्राडगेज आ गयी है और अगर गोरखपुर से बरौनी को कनेक्ट किया जाये तो गोरखपुर से बुढ़वल को कनेक्ट किया जा सकता है।

जहांतक रेलवे की क्षमता का प्रश्न है यह अत्यन्त अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इसमें काफी उन्नति की गुंजाइश है। अभी हम ज्यादा काम उधर नहीं कर पाए हैं। अभी हमारे देश में आर्थिक उन्नति की रफ्तार काफी तेज करने की बात जरूर होती है लेकिन उसमें जो बाटिल नैक उपस्थित होता है वह रेलवे के कारण उपस्थित होता है। यह बड़े अफसोस की बात है कि १५ वर्ष हमें आजाद हुए पूरे होने को हैं। लेकिन अभी तक हमारी मालगाड़ियां दिन भर में ज्यादा से ज्यादा ३५ मील चल पाती हैं, यानी मीटर गेज पर उनकी रफ्तार पांच मील प्रति घंटा है। ब्राडगेज पर शायद उनकी रफ्तार दस, बारह मील फी घंटा की हो। मैं आशा करता हूं कि रेलवे मंत्रालय रेलों की इस क्षमता पर ध्यान देगा और उसको उन्नत करने की चेष्टा करेगा।

इस सिलसिले में एक बात और कहना आवश्यक है। जब हम ऐफीशेंसी की बात करते हैं तो ऐफीशेंसी की एक एडमिनिस्ट्रेटिव साइड भी है। मुझे यह जानकर खेद है कि जब आवश्यकता इस बात की है कि नए लोगों को जिनमें योग्यता और ऐफीशेंसी होवे, जिनकी जिन्दगी में कोई जीवन होवे, एडमिनिस्ट्रेशन का काम दिया जाए, हमारे रेलवे बोर्ड में, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन चलाने की सबसे ऊपर की संस्था है, पांच में से चार आदमी सुपरएनुएटेड हैं। अगर ऐसा करने का औचित्य सिद्ध करने के लिए आप अनुभव की बात करते हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं कि यह नियम आप जनरल मैनेजर्स के लिए क्यों नहीं लागू करते। यदि यही नियम उनके बारे में लागू किया जाए तो परेशानी होती है

अब मैं आपका ध्यान अपने क्षेत्र की कुछ छोटी-छोटी समस्याओं की ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं।

मैं महाराज गंज लोक-सभा क्षेत्र से निर्वाचित हुआ हूं। आपको यह सुनकर ताज्जुब होगा कि महाराज गंज का बड़ा हिस्सा उस स्थान पर है जहां भारत और नेपाल की सीमाएं मिलती हैं, पर उस सीमा पर यातायात की इतनी दिक्कत है कि जिसका कुछ कहना नहीं। मैं कहना चाहता हूं कि एक समय जब माननीय लाल बहादुर शास्त्री जी रेलवे मंत्री थे तो उन्होंने कदाचित् इस सदन में ही हमारे एक सहयोगी के प्रश्न के उत्तर में यह आश्वासन दिया था कि महाराज गंज में रेलवे लाइन ले जाने की चेष्टा की जाएगी। लेकिन दुःख है कि आज इतने वर्ष हो गए पर उधर कोई ध्यान नहीं दिया गया। मैं आशा करता हूं कि इस समय जो हमारे वर्तमान रेलवे मंत्री हैं वह इधर ध्यान देंगे और जनता को इस कष्ट से मुक्त करेंगे।

दूसरी बात जिसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षिक करता चाहता हूं वह यह है कि हमारे तरफ जो गोरखपुर से नौतनवा या गोरखपुर से गोंडा के लिए लूप लाइन है उस पर जो गाड़ियां चलती हैं उनको तादाद नाकाफी है। मैं आपको बतलाऊं कि गोंडा को चार बजे शाम को गाड़ी चलती है और उसके बाद रात के पौने दो बजे दूसरी गाड़ी जाती है। अगर किसी को चार बजे की गाड़ी न मिले तो उसको शाम के चार बजे से लेकर रात के पौने दो बजे तक गोरखपुर स्टेशन पर बैठा रहना पड़ता है। इसमें उसका कितना नुकसान होता है और कितनी परेशानी होती है। यही हाल नौतनवा जाने वाली ट्रेनों का है। मैं उम्मीद करूंगा कि रेलवे मंत्री उस पिछड़े भू-भाग के लोगों की मुसीबत को ध्यान में रखते हुए उस लाइन पर गाड़ियों में वृद्धि करने की बाबत कुछ सोचेंगे।

इन बातों के साथ मैं एक बार फिर रेलवे मंत्री को उनके संतुलित बजट के लिए बधाई देता हूं और यह आशा रखता हूं कि मैं ने जो कुछनिवेदन उस के सामने किया है उस पर उनका ध्यान जाएगा और उसको पूरा करके वह हमारे पिछड़े हुए भू भाग के लोगों का आशीर्वाद ग्रहण करेंगे।

श्री जगन्नाथ राव (नौरंगपुर) :—रेलवे की विभिन्न माननीय सदस्यों ने विभिन्न प्रकार की आलोचना की है। परन्तु मैं उनसे सहमत नही हूं। मेरा मत यह है कि रेलवे ने अपना कार्य बहुत ही अच्छे ढ़ंग से किया है। देश के आर्थिक विकास में रेलवे का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है इस्पात, सीमेंट और कोयला इत्यादि को लाने ले जाने का काम इसी साधन के द्वारा ही होता है जिस के बिना देश की औद्योगिक प्रगति एक दम रुक जाय। देश में औद्योगिक उत्पादन, कृषि उत्पादन में निश्चित रूप में प्रगति हुई है। और हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि औधोगिक एवं कृषि उत्पादन में वृद्धि के परिणामस्वरूप माल का यातायात जितना बढ़ा है उसे रेलवे ने अधिकांश में संभाल लिया है। यात्री यातायात में भी वह २५ प्रतिशत की वृद्धि भली प्रकार संभाल सकी है यह कार्य प्रशंसा के योग्य है।

इस बारे में मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि यदि विनियोजित पूंजी की राशि बढ़ाई नहीं जायेगी तो रेलवे तीसरी योजना में अपना भाग अदा नहीं कर पायेगी, क्योंकि देश में उद्योग बढ़ रहे हैं। इस बात को योजना आयोग द्वारा विचारा जाना चाहिए। जहां तक किराया भाड़ा बढ़ाने का प्रश्न है माननीय सदस्यों ने इसकी आलोचना की है, परन्तु मैं उनसे सहमत नहीं हूं। यदि किराया बढ़ा है तो सुविधायें भी बढ़ी हैं, अतः हमें इस मामले को व्यावहारिक दृष्टि से देखना चाहिए। इस सम्बन्ध में यह भी उल्लेखनीय है कि जनता में दूसरे दर्जे की यात्रा लोकप्रिय नहीं हुई मालूम होती है। इस बात की जांच की जानी चाहिये कि क्या इस दर्जे को बिल्कुल खत्म नही किया जा सकता है ?

रेलवे माल की क्षतिपूर्ति के रूप में बहुत बड़ी राशि का भुगतान करती है। प्रशासन को यह व्यवस्था करनी चाहिऐ कि स्टेशन यार्डों और चलती हुई गाड़ियों से माल की चोरी

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जगन्नाथ राव]

न की जा सके। बिना टिकट यात्रा के मामले भी काफी बढ़ रहे हैं। यद्यपि इसे रोकने के लिए पग उठाये गये हैं परन्तु कोई लाभदायक परिणाम निकला नहीं इस दिशा में लोगों की ओर से कोई सहयोगप्राप्त नहीं हो रहा है। आम तौर पर लोग राष्ट्रीय आय की इस हानि के प्रति उदासीन हो रहते हैं। यह खेदजनक बात है और राष्ट्रीय भावना के अभाव का द्योतक है यहां संचालन की योग्यता का सम्बन्ध है उस सम्बन्ध मे भी प्रति मील में वृद्धि तो हुई है परन्तु अभी और सुधार की गुंजाइस है।

इंजन तथा डिब्बे बहुत पुराने हैं, उनकी उपयोगिता की अवधि कभी की पूरी हो चुकी है। इसीलिये दुर्घटनायें होती हैं। सवारी डिब्बे पुराने होने के कारण यात्री लोग असुविधाओं की शिकायत करते हैं।

उड़ीसा में तालचेर स्थान के पास कोयले के निक्षेप हैं, जहां अनुमान है कि डेढ़ से दो करोड़ टन कोयला मिल सकता है। तालेचर रूरकेला से लगभग ६५ मील के फ़ासले पर है। इसलिये वहां एक नयी रेलवे लाइन होनी चाहिये।

अब तालचेर में अमरीकी सहयोग से एक तापीय संयंत्र भी लगाया जा रहा है। इसलिये वहां नयी रेलवे लाइन के लिये सर्वेक्षण कराया जाना चाहिये।

नौपदा से गुण्टूर तक एक ५६ मील लम्बी रेलवे लाइन है। वहां एक लाइट रेलवे है, जो पार्लिकेमेडी के महाराजा ने १९०० में शुरू कराई थी। वहां इंजन और डिब्बे पुराणों जितने पुराने हैं। उनकी जगह नये इंजन डिब्बे नहीं लगाये जाते। इसी कारण वह ५६ मील की दूरी १२-१२ घण्टों में पूरी हो पाती है। सवारी डिब्बों में पंखे तो क्या बिजली की रोशनी तक नहीं है। संडासों में पानी तक नहीं है।

यदि वहां लाइट रेलवे के स्थान पर बड़ी लाइन नहीं डाली जा सकती तो कम से कम पुराने इंजनों के स्थान पर नये डीज़ल इंजन तो चलाये जा सकते हैं।

माल-डिब्बों का निर्माण भी निश्चित योजना के अनुसार नहीं हो रहा है। एक ही सामग्री के लिये कई बार टेण्डर मांगे जाते हैं। रेलवे बोर्ड को अधिक सतर्क रहना चाहिये।

वैसे रेलवे अपनी त्रुटियों को दूर करने का भरसक प्रयास कर रही है, फिर भी सुधार की काफ़ी गुंजाइश है।

†**श्री सेन्दियान** (पेरम्बलूर) : इस रिपोर्ट में बड़े-बड़े आंकड़े दिये गये हैं। उनसे पता चलता है कि रेलवे की सकल आय, यात्रियों की संख्या, माल परिवहन, इत्यादि सभी में वृद्धि हुई है। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या सामान्य जनता पर भी इन आंकड़ों का कोई असर पड़ता है। सामान्य जनता तो यही देखती है कि उनकी कितनी शिकायतें दूर की गई हैं। उसे तो सबसे अधिक मतलब इसी बात से है कि रेलवे ने यात्रा को कितना अधिक सुविधाजनक बनाया है।

यह आंकड़े भ्रामक हैं। जनसंख्या की वृद्धि के साथ यात्रियों की संख्या में वृद्धि होना तो स्वाभाविक है। इसलिये वास्तविक कसौटी यह होनी चाहिये कि आजकल यात्री कितनी दूर तक यात्रा करते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

रिपोर्ट में इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है। लेकिन हम इसका हिसाब लगा सकते हैं। १९५६–५७ में यात्रियों द्वारा तय की गई औसत दूरी ४९.१ किलोमीटर थी, और १९५७–५८ में ४८.८ किलोमीटर ही रह गई थी। और अगले तीन वर्षों में, १९५८–५९, १९५९–६० और १९६०–६१ में क्रमशः ४७.५, ४८.५ और ४८.४ किलोमीटर ही रही। मतलब यह कि औसत दूरी कम ही हुई है। जब कि देश के औद्योगिक विकास की अवस्था में यात्रा की दूरी बढ़नी चाहिये थी। इससे स्पष्ट है कि यात्री लोग रेलवे से सन्तुष्ट नहीं हैं।

१९३९–४० में यात्रियों द्वारा तय की गई औसत दूरी ५६ किलोमीटर थी और १९५०–५१ में ५२ किलोमीटर। इससे स्पष्ट है कि परिवहन के अन्य साधन कहीं अधिक सुविधाजनक हो गये हैं।

रेलवे यात्रियों की संख्या १५० करोड़ तक पहुंचती है। अब औसत दूरी में आई कमी को इसके साथ रख दीजिये। रेलवे को इससे कितनी हानि हो रही है। यह यात्री सुविधाओं की उपेक्षा करने का ही फल है। फिर किराये और भाड़े बढ़ने की बात कहां तक उचित है ?

रेलवे के किराये और भाड़ों में वृद्धि का प्रभाव दैनिक आवश्यकता की चीजों के मूल्यों पर भी पड़ेगा। सारा भार सामान्य जनता पर ही आ पड़ेगा।

और होता यह है कि यदि किसी वस्तु के भाड़े में साढ़े तीन या साढ़े चार नये पैसे की वृद्धि हो, तो विक्रेता उसे चार या पांच नये पैसे बढ़ा देते हैं।

खाद्यान्नों के परिवहन का मुख्य साधन रेलवे ही है। इस वृद्धि से खाद्यान्नों के मूल्य बढ़ जायेंगे।

जब कि जनता मांग कर रही है कि खाद्यान्नों को बिक्री कर से मुक्त किया जाये।

किरायों और भाड़ों की इस वृद्धि का प्रभाव सड़क परिवहन पर भी पड़ेगा। बस और लारियों वाले भी भाड़े बढ़ा देंगे। और उससे मुद्रा स्फीति को और बल मिलेगा।

नयी लाइनों के बारे में यह है कि दक्षिण भारत में ऐसे बड़े-बड़े प्रदेश हैं, जिनमें बड़ी औद्योगिक संभावनायें हैं, पर वहां रेलवे लाइनें नहीं हैं। रेलवे न होने के कारण योजना आयोग भी वहां नये उद्योगों की योजनाओं की स्वीकृति नहीं देता। नतीजा यह है कि वे प्रदेश पिछड़े बने रहते हैं। समाजवादी ढंग के समाज में हमें मुनाफे को नहीं, जनता की उपयोगिता को ही प्राथमिकता देनी चाहिये। आगे चल कर सार्वजनिक उपयोगिता की योजनाओं से लाभ भी होने लगेगा। नयी लाइनों के बारे में पिछड़े हुए प्रदेशों को प्राथमिकता दी जानी चाहिये।

रेलवे मंत्री को दक्षिण भारत के पिछड़ेपन की ओर विशेष ध्यान देना चाहिये।

१९६१–६२ में ६–७ नयी लाइनें डाली गई हैं, फिर भी दक्षिण भारत को एक भी नयी लाइन नहीं दी गई। १९६२–६३ के आय-व्ययक में नये निर्माण के लिये ५६.०७ करोड़ रुपये रखे गये हैं, पर दक्षिण रेलवे को उसमें से केवल ३.३५ करोड़ रुपये ही मिलेंगे। मनमदुरै-विरुद्धनगर छोटी लाइन पर अनुमित व्यय २५० लाख रुपये है, जिसमें से केवल पांच लाख ही १९६१–६२ तक व्यय किये गये हैं। १९६२–६३ में उसके लियेदस लाख रुपये रखे गये हैं। फिर १९६३–६४ तक योजना पूरी कैसे होगी ?

दक्षिण भारत में कम से कम दस नयी लाइनों की अविलम्बनीय आवश्यकता है।

[श्री सेन्दियान]

साथ ही, हमे यह भी ध्यान रखना चाहिये कि निवेली लिगनाइट परियोजना जैसी कई परियोजनायें दक्षिण भारत में खड़ी हो रही हैं। उनके लिये रेलवे लाइनें अत्यावश्यक हैं।

रेलवे दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ती जा रही है। यदि पुरानी लाइनों की ठीक-ठीक संधारण किया जाये और पुलों की ठीक-ठीक जांच-पड़ताल कराई जाये, तो दुर्घटनाओं की वृद्धि रोकी जा सकती है।

रेलवे आय व्ययक में १९६०-६१ के लिये अनुमित अतिरिक्त राशि १८.४३ करोड़ थी, जबकि वास्तविक अतिरिक्त राशि ३२.०१ करोड़ रुपये है। इसका कारण यह है कि रेलवे संचालन पर उतना व्यय नहीं हो रहा है जितना कि अपेक्षित है।

राजनीतिक कार्यवाहियों में भाग लेने के लिये रेलवे कर्मचारियों की अंधाधुंध छंटनी की गई है। उनके विरुद्ध आरोपों को प्रमाणित भी नहीं किया गया है। यह लोकतन्त्र के लिये शोभा की बात नहीं।

†**श्री लीलाधर कटकी** (नवगांव) : मैं रेलवे मन्त्री की कठिनाई समझता हूं। १९६०–६१ में शुद्ध अतिरिक्त राशि ३२.०१ करोड़ रुपये थी, लेकिन १९६१–६२ में वह १६.४८ करोड़ रुपये ही रह गई। और दूसरी ओर रेलवे कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देने के लिये १२.२० करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय होगा। रेलवे मन्त्री को इसीलिये किरायों और भाड़ों मे वृद्धि करने का प्रस्ताव रखना पड़ा है।

पर साथ ही मैं इस वृद्धि का विरोध भी करता हूं। अत्यावश्यक वस्तुओं के यातायात पर इस का बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। खास तौर से नेफा जैसे क्षेत्रों में जहां रेलवे के अतिरिक्त परिवहन का अन्य कोई साधन है ही नहीं। उन क्षेत्रों की अर्थ-व्यवस्था पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा, खास तौर से नयी-नयी परियोजनाओं की कार्यान्विति पर।

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : मैं माननीय सदस्य को बतला दूं कि इस्पात और सीमेट पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। वे सभी शुरूआती स्टेशनों पर समान मूल्यों पर सुलभ रहेंगे।

†**श्री लीलाधर कटकी**: फिर भी अन्य उपभोग वस्तुओं पर तो प्रभाव पड़ेगा ही। माननीय मन्त्री इसकी जांच करें।

पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे की स्थापना १९५८ में हुई थी। तब से उसमें कई सुधार हुए हैं। साथ ही, उत्तरी रोन्गोपाड़ से उत्तर लखीमपुर तक एक नयी लाइन भी उसमें जोड़ी गई है। अब उसे मुर्कोन्डसलक तक विस्तरित करने का प्रस्ताव है। तब वह नेफा प्रदेश की पहाड़ियों की तलहटी तक पहुंच जायेगी। इससे नेफां के आर्थिक विकास में बड़ी सहायता मिलेगी। इसके लिये मैं पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे को धन्यवाद देता हूं।

लेकिन उस क्षेत्र की कुछ अविलम्बनीय आवश्यकतायें हैं। सिलीगुड़ी से गोहाटी तक एक बडी लाइन होनी चाहिये। इसलिये कि अब उस क्षेत्र में नदियों से होने वाला यातायात क्रमशः रेलवे परिवहन की ओर आता जा रहा है। १९५६ में स्टीमरों से ८,२८,०८५ टन माल का परिवहन होता था। १९५७, १९५८ और १९५९ मे उसमें क्रमशः ८,१८ और १३ प्रतिशत वृद्धि हुई थी। रेलवे ने १९५६ मे उसके लिये ८७,३५४ माल डिब्बे जुटाये थे, १९५७ में उसमें १२ प्रतिशत और १९५८ में ५० और

†मूल अंग्रेजी में

१९५९ में ३३ प्रतिशत वृद्धि हुई थी। अब रेलवे को और अधिक क्षमता जुटाने के लिये तैयार रहना चाहिये।

आसाम में रेलों में बड़ी भीड़ होती है। वहां ट्रेनों की संख्या बहुत कम है। उनको बढ़ाया भी नहीं जा सकता क्योंकि लाइनें काफी कमजोर हैं। इन सभी समस्याओं की ओर ध्यान दिया जाना चाहिये। इसका एक यही हल दिखाई पड़ता है कि सिलीगुड़ी से गौहाटी तक एक बड़ी लाइन डाली जाये। साथ ही, कटिहार से बरौनी तक भी एक बड़ी लाइन बननी चाहिये।

काचर जिले में लुम्डिग होकर जाने वाली रेलवे लाइन की दशा बड़ी खराब है। वहां कोई सड़क भी नहीं है। मानसून के दिनों में सारी लाइन बेकार हो जाती है। उसके सुधार के उपाय सोचे जाने चाहिये।

पाण्डु से गारो पहाड़ी क्षेत्र तक जाने वाली एक नयी लाइन का निर्माण होना चाहिये। उसका सर्वेक्षण तो हो ही चुका है।

और, कालकालीघाट से त्रिपुरा के धर्म नगर तक एक लाइन बननी चाहिये। उसकी प्रगति बड़ी मन्द है।

रेलवे मन्त्रालय को सिलचाट होती हुई एक वैकल्पिक लाइन अपर आसाम से डालने के प्रश्न पर भी विचार करना चाहिये।

†**श्रीमती लक्ष्मी कान्तमा** (खम्मम) : मैंने यह चर्चा सुनी है। विरोधी दल के सदस्य चाहते हैं कि रेलवे सुविधायें तो बढ़ें, पर उसके लिये उनको पैसा न देना पड़े।

मैं आन्ध्र की कठिनाइयां आपके सामने रखती हूं। माल-डिब्बों की कमी के कारण आन्ध्र को उर्वरक इत्यादि आवश्यकतानुसार नहीं मिल पाये हैं। उससे खाद्य-उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा।

आन्ध्र में प्रतिवर्ष २५ लाख टन कोयला होता है। तृतीय योजना काल में उसे ३० लाख टन तक पहुंचाने के लिये उस पर २० करोड़ रुपये विनियोजित किये जा रहे हैं। लेकिन लाभ क्या, जब उसे आन्ध्र से बाहर ले जाने के लिये माल-डिब्बे ही नहीं मिलते ?

विद्युत् सम्भरण में भी कमी कर दी गई है। आन्ध्र प्रदेश को अधिक सुविधायें दी जानी चाहियें।

१९६१ में आन्ध्र के लिये २,०४० माल-डिब्बे रखे गये थे, लेकिन वास्तव में उसे १,७८२ माल-डिब्बे ही मिल पाये थे। इससे आन्ध्र के औद्योगिक विकास पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। इससे वहां उत्पादन का वर्तमान स्तर भी कायम नहीं रह सकेगा।

तिरुपति एक बड़ा तीर्थ स्थान है। उससे रेलवे को पर्याप्त आय होती है। वहां लगभग ६,००० तीर्थ-यात्री प्रतिवर्ष जाते रहते हैं। लेकिन उन को गुंटूर से छोटी लाइन द्वारा ७० मील तिरुपति तक जाना पड़ता है। इससे बड़ी असुविधा होती है। उसे बड़ी लाइन द्वारा संयोजित किया जाना चाहिये।

मेरा व्यक्तिगत अनुरोध है कि ग्रांड ट्रंक एक्सप्रेस खम्मम स्टेशन पर भी रुका करे। आशा है माननीय मन्त्री इस पर ध्यान देंगे।

किरायों तथा भाड़ों की वृद्धि की बड़ी आलोचना हुई है। पर लोकतन्त्र में हमें जनता को उसके दायित्व भी सिखाने चाहियें। आखिर जब रेलवे का विकास होगा तो उसका व्यय बढ़ेगा ही, और जनता को उस व्यय का भार सम्भालना ही पड़ेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्रीमती लक्ष्मी कान्तभा]

साथ ही, हमें यह भी ध्यान रखना चाहिये कि रुपये का मूल्य घट गया है। इसलिये सरकार को जो छः प्रतिशत लाभ रेलवे से हुआ है, वह वास्तव में १९५०–५१ के पांच प्रतिशत लाभ के बराबर ही है ।

फिर पुराने इंजन तथा डिब्बों की मरम्मत तथा उनके स्थान पर नये इंजन डिब्बे लाने और नयी लाइनें डालने पर भी व्यय बढ़ता जा रहा है। इसका भार आखिर करदाताओं को ही तो उठाना पड़ेगा ।

१९५०–५१ में रेलवे कुल कोयला उत्पादन का ९४ प्रतिशत ढोती थी, १९६०–६१ में वह ९५ प्रतिशत ढोने लगी है। अन्य प्रकार के माल-यातायात में भी वृद्धि होती जा रही है । इसलिये माल-भाड़े में वृद्धि होना स्वाभाविक है।

मेरे कुछ सुझाव हैं। योजनापूर्ण अर्थ-व्यवस्था में हमें ऐसे संसाधन निकालने चाहियें जिनसे अधिकाधिक लाभ हो। केवल छः प्रतिशत पर हमें संतोष नहीं कर लेना चाहिये। शुद्ध राजस्व बढ़ाने की हर कोशिश की जानी चाहिये। इसके लिये रेलवे अधिकारियों को विभिन्न वस्तुओं के भिन्न-भिन्न दूरियों तक परिवहन की विभिन्न लागतों का ब्यौरेवार अध्ययन करना चाहिये।

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : विवाद में २९ माननीय सदस्यों ने भाग लिया है और उनमें अधिकांश नये हैं। कुछ माननीय सदस्यों ने सामान्य बातों को लेकर समालोचना की है और कुछ ने स्थानीय महत्व की बातों की चर्चा की है। कुछ ने हमारे पक्ष में और कुछ ने विपक्ष में बातें कही हैं। प्रत्येक का उत्तर देना तो सम्भव नहीं, मैं मोटे तौर पर विषय के अनुसार उत्तर देना चाहता हूं। पहले मैं कुछ आर्थिक और वित्तीय मामलों की चर्चा करूंगा और फिर कर्मचारियों की ओर अन्त में विभिन्न बातों को लूंगा।

रेलवे के कार्य की छानबीन करने के लिए एक विशेष समिति की स्थापना का सुझाव कुछ माननीय सदस्यों की ओर से दिया गया है। इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन यह है कि पहले ही इस मतलब के लिए एक अभिसमय समिति विद्यमान है, अतः मेरे विचार में रेलवे के कार्यकरण की जांच के लिए किसी विशेष समिति की नियुक्ति की कोई आवश्यकता नहीं है। यह समिति समय समय पर सारी स्थिति पर विचार करती रहती है। इस दिशा में यह भी उल्लेखनीय है कि रेलवे की वित्त स्थिति पर भी पंचवर्षीय योजनाओं को बनाते समय सविस्तार विचार किया जाता है। रेलवे की कार्यक्षमता के सम्बन्ध में इस अभिसमय में १९६० में तथा भाड़ा ढांचा जांच समिति ने १९५६–५७ में जांच की थी। इस जांच के पश्चात समिति इस परिणाम पर पहुंची थी कि रेलवे की अधिकतम महत्वपूर्ण सम्पत्ति का १९५७ में १९५२–५३ की तुलना में कही अधिक क्षमता से प्रयोग किया गया था। रेलव के कार्यकरण तथा वित्तीय स्थिति पर भी अन्तर्देशीय बैंक के विशेषज्ञों तथा कनाडा रेलवे के विशेषज्ञ मिशन द्वारा विचार किया गया था। इन्होंने मार्च से अप्रैल १९६१ में भारत का दौरा करके इस मामले की व्यापक जांच पड़ताल की थी। श्री के० सी० नियोगी की अध्यक्षता में स्थापित परिवहन नीति तथा सहयोजन सम्बन्धी समिति भी रेलवे के कार्यकरण के बारे में भी एक जांच कर रही है । इस समिति के अन्तरिम प्रतिवदन में रेलवे वित्त और कार्यकरण के परिणामों को सम्मिलित किया गया है । और

---

†मूल अंग्रेजी में

सामान्य रूप में इन सब के परिणाम संसद के समक्ष आ रहे हैं। अतः इस समय किसी विशेष समिति की कोई आवश्यकता नहीं। हालात १९४७ अथवा १९३७ वाले नहीं हैं जब कि कार्यकरण की कोई जांच नहीं होती थी। अब तो समन्वित तथा नियोजित विकास ये सब काम होते रहते हैं। अब मैं कुछ उन वित्तीय मामलों का उल्लेख करूंगा जिसका उल्लेख श्री नम्बियार ने किया है। पता नहीं उन्होंने किस आधार पर कहा है कि रेलवे को इस वर्ष किराया भाड़ा बढ़ जाने के बाद २१.२६ करोड़ प्राप्त होगा। यह तो अनुमान है थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। भाड़ों तथा किरायों में वृद्धि होने के कारण रेलवे को २१.१६ करोड़ रुपये से अधिक प्राप्त होने की कोई सम्भावना नहीं है। कुल जो लाभ होगा १८८.५६ करोड़ है १७८.५ करोड़ रुपये नहीं जैसा कि कहा गया है। यह १० करोड़ रुपये की अतिरिक्त बचत है। रेलवे अभिसमय समिति ने यह निश्चित कर दिया है कि इस बचत का कैसे विभाजन किया जाय। सामान्य राजस्व को ४.२५ प्रतिशत लाभांश मिलना चाहिए। ६० करोड़ रुपया लाइनवर्क पर और ३५० करोड़ विनियोग पर दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त ११५ करोड़ रुपया विकास कोष से लेकर खर्च किया जायेगा जो कि बचत में से लिया जायेगा। बचत कितनी होगी इसका पता रेलवे अभिसमय समिति के प्रतिवेदन से पता चलता है।

यह ठीक है कि १९५४ के अपने प्रतिवेदन में सामान्य राजस्व से कर्जा लेने की व्यवस्था की थी ताकि रेलवे विकास कोष को बढ़ाया जाय और बाद में आय होने पर इस कर्जे को वापिस कर दिया जाय। परन्तु हमेशा कर्जा लेने की बात न ठीक ही है और न व्यवहारिक ही। इस से राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ने की सम्भावना है। राजस्व रक्षित निधि में बकाया राशि से आय व्ययक सम्बन्धी अन्तर की पूर्ति करने का विचार है तथा बढ़ी हुई वारताओं को पूरा करने का नहीं। मैं यह भी निवेदन कर देना चाहता हूं कि यह सुझाव निराधार है कि प्रायक्ष आयव्ययक नहीं बनाया गया है तथा आंकड़ों को गलत पेश करके बचत को कम या अधिक दिखाने का प्रयास किया गया है।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

तीसरी योजना में कुछ अतिरिक्त काम भी किये जाने हैं और कुल बचत की १९६१–६२ में कम हो जाने की सम्भावना है। पुनरीक्षत अनुमान १६.४८ करोड़ का है। १९६१–६२ की बचत का अनुमान १३.१६ करोड़ है और इस हालत में विकास निधि में कुछ नहीं बचेगा। तीसरी योजनाकाल में २३ करोड़ वार्षिक देना जारी रहेगा। यह बात भी ठीक ही है कि भाड़ों तथा किरायों में वृद्धि बड़ी साधारण है, परन्तु इससे रेलवे को काफी निधि प्राप्त हो जायेगी। रेलवे प्रतिदिन १ करोड़ मनसे अधिक भार उठाती है। जैसा कि सुझाव दिया गया है रेलवे द्वारा सामान्य राजस्व को देय लाभांश पर बाधा लगाने का कोई औचित्य नहीं है। ब्रिटिश रेलवे का उल्लेख किया गया है परन्तु मैं सदन को बताना चाहता हूं कि वहां रेलवे का किराया बराबर बढ़ रहा और हमारा किराया और भाड़ा संसार भर से कम है। सुविधाओं की भी व्यवस्था की जाती है अतः किसी न किसी रूप में अतिरिक्त संसाधनों को उपलब्ध करना ही होगा जिससे बढ़ी हुई वारिताएं पूरी हो सके।

अब मैं चालन की ओर आता हूं। इस दिशा में माल डिब्बों को समय में बांध तेजी से प्रयोग में लाने की व्यवस्था करनी होगी। संचालन में तेजी के लिए कोयला क्षेत्रों से उपभोग केन्द्रों तक कोयला ले जाना पड़ेगा। इस्पात संयंत्रों तक कच्चे माल को बन्द "सर्किट" द्वारा ले जाने तथा कच्चे लोहे का "ब्लाक रेक" द्वारा पत्तनों तक निर्यात के प्रयोजन से ले जाने की व्यवस्था करनी होगी। इस बात की भी ध्यान रखना होगा कि अन्तर्मार्गीय बातों पर कोई रुकावट न हो।

निर्यात सम्बन्धी यातायात की दरों का प्रश्न भी उठाया गया है। इसके लिये एक अन्तर्मन्त्रालयी स्थायी समिति बनी हुई है। उसमें वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय, रेलवे मंत्रायल और वित्त

[श्री सें० वें० रामास्वामी]

मंत्रालय के प्रतिनिधि हैं । वही समिति निर्यात के लिये आवश्यक वस्तुओं के भाड़े में रियायतें देने के प्रश्न पर विचार करती हैं । मैंगनीज़ अयस्क के अतिरिक्त, अन्य निर्यात वस्तुओं पर रियायत देने के प्रश्न पर रियायत की मंजूरी देते समय विचार किया जायेगा । निर्यात के लिये, मैंगनीज़ के अतिरिक्त ५४ अन्य वस्तुओं पर भाड़े में रियायतें दी गई हैं । समिति अन्य वस्तुओं के बारे में भी विचार करेगी ।

अगस्त, १९६१ से फरवरी, १९६२ तक सीमेंट की लदान के बारे में, किस्तना सीमेंट वर्क्स के अतिरिक्त, अन्य सभी जगह स्थिती संतोषजनक रही है । उसमें कुछ कठिनाई इसलिये पड़ी थी कि हमें दक्षिण रेलवे के विजयवाड़ा डिवीजन में चावल और धान की लदान को प्राथमिकता देनी पड़ी थी । उससे दक्षिण-पूर्व और पूर्व रेलवे पर स्थित कारखानों के लिये कुछ कठिनाई हो गई थी । कोयले और इस्पात को प्राथमिकता दी गई थी । वैसे स्थिति संतोषजनक है ।

छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का प्रश्न एक बड़ा प्रश्न है । १९५७ में इसकी परीक्षा के लिये एक विशेष अधिकारी नियुक्त किया गया था । उस विशेषज्ञ ने अपने प्रतिवेदन में स्पष्ट कहा था कि सभी छोटी लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलना अव्यावहारिक है । उसका सुझाव था कि छोटी लाइन पर ट्रैक स्टैण्डर्ड बढ़ा दिया जाना चाहिये, ६० पौंड की लाइन से ७५ पौंड की लाइन कर देनी चाहिये । छोटी लाइन के माल डिब्बे ऐसे बनाये जाने चाहियें जिनमें अधिक माल ढोया जा सके । रेलवे बोर्ड ने इसे स्वीकार किया है और अब भविष्य में छोटी लाइन के जो माल डिब्बे तैयार किये जायेंगे उनमें १०–११ टन माल वहन करने की क्षमता होगी । हम ऐसे ही अन्य सुधार भी छोटी लाइन में कर रहे हैं । रेलवे बोर्डने १२ टन एक्सिल लदान वाले डीज़ल इंजनों के लिये आर्डर दे दिये हैं । वे १,५०० टन माल ढो सकेंगे ।

छोटी लाइनों को बड़ी लाइन में बदलना तो सम्भव नहीं हैं, पर कुछ खास-खास लाइनों को बदलने के प्रश्न पर विचार किवा जा रहा हैं । प्रत्येक पर अलग-अलग, गुण दोषों के अनुसार विचार किया जायेगा । भीमावरम् गुडीवाडा सैक्शन और गुटूर रेनीगुण्टा सैक्शन को बदला जा चुका हैं ।

दुर्घटना निरीक्षणालय १९४० से पहले रेलवे बोर्ड के अधीन था । लेकिन रेलवे बोर्ड के एक अधिकारी द्वारा रेलवे दुर्घटना की जांच करना ठीक नहीं समझा गया । इसीलये अब उसे परिवहन तथा संचार मंत्रालय के अधीन रख दिया गया है, जिससे कि वह स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके । हम उनको अपेक्षित ब्योरा जुटा देते हैं ।

श्री नाम्बिर ने फिर शिकायत की है कि गाड़ियों के साथ चलने वाले रेलवे कर्मचारियों के काम के घण्टे १२ से अधिक हो जाते हैं । इस सम्बन्ध में नियमों में अभी हाल में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है । नियम अभी भी वही है जो दस वर्ष पहले जस्टिस राज्याध्यक्ष की सिफारिशों के आधार पर बनाये गये थे । उस सिफारिश में कहा गया था कि गाड़ी के साथ चलने वाले रेलवे कर्मचारियों के काम के घण्टे गाड़ी चलने के समय से लिखे जाने चाहिये, रजिस्टर पर दस्तखत करने के समय से नहीं; और लगातार दस घण्टे से अधिक काम नहीं होना चाहिये । यही नियम हैं ।

इसलिये गाड़ी चलने के समय से ही उनके काम के घण्टे लिखे जाते हैं । हम उसका दृढ़ता से पालन कर रहे हैं ।

श्रमिक संघों को मान्यता देने के सम्बन्ध में कहा गया था कि सरकार कुछ संघों के साथ पक्षपात कर रही है। यह आरोप बिल्कुल ग़लत हैं। मान्यता देने के लिये कुछ शर्तें निश्चित कर दी गई हैं, एक कसौटी बना दी गई है और जो भी संघ उस पर खरा उतरता हैं, उसे मान्यता दे दी जाती है।

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : चित्तरंजन लोकोमोटिव्ज़ के कर्मचारी संघ को मान्यता क्यों नहीं दी गई है ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : उसके कुछ दूसरे कारण है। सुरक्षा का भी विचार रखना पड़ता है।

माननीय सदस्य इसके सम्बन्ध में लिख कर पूछ लें।

श्री फ्रैन्क एन्थनी और श्री हरिश्चन्द्र माथुर ने कहा है कि कर्मचारियों द्वारा रखी गई शिकायतों की ओर व्यक्तिगत तौर पर ध्यान दिया जाना चाहिये। रेलवे बोर्ड, कई रेलवे प्रशासनों और डिवीज़न के स्तर पर भी एक संस्थापन है जो विभिन्न स्तरों पर कर्मचारियों की शिकायतों की जांच करता है और कार्यवाही करता है। मंत्री के लिये स्वयं उन सब के लिये समय निकालना असम्भव होगा। वह व्यक्तिगत रूप से ११ लाख कर्मचारियों की शिकायतें कैसे सुन सकेगा ? रेलवे बोर्ड को भेजी गई अपीलों को तो कभी कभी मंत्री देखत ही हैं।

श्री प्रिय गुप्त को समझौतें की वार्ता की स्थायी व्यवस्था पसन्द नहीं आई। पर मेरा ख्याल है कि वह व्यवस्था बड़ी उपयोगी सिद्ध हुई हैं।

†**श्री प्रिय गुप्त** (कटिहार) : मैंने दूसरी बात पूछी थी। मैं उसके काम का लेखाजोखा चाहता था। मैं जानना चाहता था कि स्थायी वार्ता व्यवस्था की कुल कितनी बैठकें हुईं और उनमें से कितनी मदों पर रेलवे सहमत हुई और उनको कार्यान्वित किया। । मैंने इसके पांच वर्ष के आंकड़े मांगे थे। वार्ता व्यवस्था की बैठकों में हमेशा एक ही उत्तर दे दिया जाता है कि जांच की जा रही हैं।

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : १९६०–६१ में विभिन्न स्तरों पर ११,८५७ विषयों पर वार्ता हुई थी, और उनमें से ८५ प्रतिशत मामलों का निबटारा हुआ था। श्री प्रिय गुप्त शायद शेष १५ प्रतिशत का हवाला दे रहे हैं। मेरा तो ख्याल है कि व्यवस्था संतोषप्रद ढंग से चल रही है। किन विषयों परचर्चा हो, इसके लिये भी एक कसौटी बना दी गई हैं। उदाहरण के लिये अनुशासन, पदोन्नतियों और तबदीलियों के बारे में वहां चर्चा नहीं की जा सकती।

†**श्री प्रिय गुप्त** : उत्तर अस्पष्ट है।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य को धैर्य के साथ पूरा उत्तर सुनना चाहिये।

†**श्री सें० वे० रामस्वामी** : फिर एक प्रश्न था हड़ताल में भाग लैने वाले कर्मचारियों को शिकार बनाने का। लगभग दो लाख कर्मचारियों व हड़ताल में भाग लिया था। और जिनके विरुद्ध कार्यवाही की गई है उनकी संख्या इस प्रकार है : निकाले गये .....

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य अपने प्रश्न के उत्तर के लिये अधीर हो रहे हैं। यदि माननीय मंत्री उनके प्रश्न का सीधा उत्तर दे सकते हों, तो अभी दे दें।

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : अभी नहीं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : तब उस प्रश्न को किसी दूसरे अवसर पर लिया जायेगा ।

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : हमने केवल ५१ कर्मचारियों को सेवा से हटाया और ३ को निकाला है । छः के मामले विचाराधीन हैं । १९६० की हड़ताल के लिये केवल इतने ही कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है । फिर भी उसे इतना तूल दिया जा रहा है । सरकार ने तो बड़ी उदारता से काम लिया है, जिससे कि बाद में कोई कटुता पैदा न हो सके ।

अब विविध प्रश्नों को लीजिये । लगभग प्रत्येक सदस्य ने अपने निर्वाचन क्षेत्र में नयी लाइनें बनाने की मांग की है । आपको विदित ही है कि तृतीय योजना में कुछ लाइनों का उल्लेख किया गया है और उनके लिये राशियों की व्यवस्था की गई है । उसमें यह भी बताया गया है कि निधियां सीमित हैं । जब अधिक राशियों की व्यवस्था नहीं होती, तब तक लाख चाहने पर भी, पूरी सहानुभूति के बाद भी, हम और अधिक नई लाइनों की व्यवस्था नहीं कर सकते । हम यथा समय मांगी गई नयी लाइनों के प्रश्न पर विचार करते रहेंगे । अभी इस समय तो निधियां बहुत सीमित हैं । दो-तीन माननीय सदस्यों ने अलनावर डण्डेली लाइन का प्रश्न उठाया था । वह एक वनीय रेलवे है जो मैसूर राज्य सरकार के अधिकार में है । जब तक वह हमारे अधिकार में नहीं आती उसके सुधार के लिये कुछ भी नहीं किया जा सकता । इसके लिये मैसूर सरकार के साथ काफी दिनों से वार्ता चल रही है ।

श्री जगन्नाथ राव ने अपने क्षेत्र की एक लाइन का जिक्र किया था । वहां सभी छोटी लाइनें हैं । संकरी लाइनों में भी कई प्रकार की संकरी लाइनें हैं २.६ और २ फीट की । उन संकरी लाइनों के लिये डीज़ल इंजन तैयार करना कठिन होगा । हमें तो बड़ी लाइनों तक के लिये मुश्किल से डीज़ल इंजन मिल पाते हैं । फिर भी हम देखेंगे कि क्या सुधार किये जा सकते हैं ।

मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूं ।

श्री बड़े (खरगोन) : एक औचित्य प्रश्न है । रेलवे बजट के सिलसिले में यह जो दो किताबें दी गई हैं जिनमें से एक दो व्हाइट पेपर ओन दी रेलवे बजट १९६२-६३ है और दूसरी किताब एपेंडिक्स टु दी सप्लीमेंट टु दी एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम आन दी रेलवे बजट १९६२-६३ है । पहली किताब के पेज १०० पर नार्थ ईस्टर्न रेलवे के स्टेटमेंट और रेवेन्यु ऐंड एक्सपेंडीचर के लास्ट कौलम में ८ करोड़ १७ लाख और २३ हजार रुपये का लौस दिखाया गया है । इसी तरह से दूसरी किताब के पेज ३६ पर स्टेटमेंट आफ रेवेन्यू ऐंड एक्सपेंडीचर के लास्ट कौलम में लौस ७ करोड़, ९५ लाख और ९३ हज़ार रुपये का दिखाया गया है इसी प्रकार से व्हाइट पेपर के पेज़ १०२ पर स्टेटमेंट आफ रेवेन्यु रिसीट्स ऐंड एक्सपेंडीचर के लास्ट कालम में ११ करोड़, ९० लाख और ६६ हजार रुपये का लौस दिखाया गया है जब कि दूसरी किताब अर्थात् एपेंडिक्स टु दी सप्लीमेंट टु दी एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम ओन दी रेलवे बजट के स्टेटमेंट औफ रेवेन्यु रिसीट्स ऐंडस एक्सपेंडीचर के लास्ट कौलम में लौस ११ करोड़, ७९ लाख और २३ हजार रुपये का दिखलाया गया है । इसी तरह की ग़लती सदर्न रेलवेज के बारे में हैं । अब मैं जानना चाहता हूं कि दोनों किताबों की फीगर्स में जो फर्म है तो मिनिस्टर साहब हमें यह बतलायें कि कौन फीगर गलत है और कौन सही है ताकि हमें सही स्थिति मालूम हो सके ।

अध्यक्ष महोदय : मैं मिनिस्टर साहब से कहूंगा कि वह इसको अपने फायनल रिप्लाई में एक्सप्लेन कर दें ।

श्री बड़े : दोनों किताबों में अलग अलग फीगर्स दी गई है और हाउस को यह पता नहीं है कि कौन मलत है और कौन सही है .....

---

†मूल अंग्रेजी में

अध्यक्ष महोदय : मैंने कहा तो कि मिनिस्टर साहब इसको देख लें कि कौन सही है और कौन गलत है और हाउस को इसकी इत्तिला दें। वह इस बारे में अभी देख लेंगे। माननीय सदस्य जरा सब्र करें।

श्री उ० म० त्रिवेदी : लेकिन श्वेतपत्र और व्याख्यात्मक ज्ञापन के आंकड़ों में अन्तर बना रहने पर, अनुदानों की मांगों पर मतदान कैसे हो सकेगा ? इसलिये अभी, इसी अवस्था पर, उनको शुद्ध कर लिया जाना चाहिये।

†**अध्यक्ष महोदय :** यदि माननीय सदस्य को वास्तव में ऐसी कोई आशंका हो, तो माननीय मंत्री उसकी व्याख्या करेंगे, और उस व्याख्या के बाद ही हम विचार करेंगे कि मांगों पर मतदान हो सकता है या नहीं, या दोनों के आंकड़ों में कोई अन्तर वास्तव में है या नहीं।

†**श्री ऊ० प्र० शर्मा :** (बक्सर) : माननीय उपमंत्री ने अभी कहा है कि स्थायी वार्ता व्यवस्था बिलकुल ठीक चल रही है। क्या इसका मतलब है कि उसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं ?

†**अध्यक्ष महोदय :** सुधार की गुंजाइश तो आदमी के हर काम में रहती है।

†**श्री बटेश्वरसिंह** (गिरडीह) : मैं विरोधी पक्ष के उन सदस्यों से सहमत हूं जिन्होंने किरायों और भाड़ों में वृद्धि का विरोध किया है। मेरे विचार में माननीय मंत्री ने इस के लिये जो कारण दिये हैं, वह उचित और न्यायपूर्ण नहीं हैं।

उनके वक्तव्य से ज्ञात होता है कि केवल २२ करोड़ रुपये का घाटा रहेगा। यह घाटा किराये भाड़े न बढ़ा कर और कई तरीकों से पूरा किया जा सकता है। यदि संचालन व्यय में कमी की जाये, तो केवल इसी मद से कई करोड़ रुपये की बचत हो सकती है। अवक्षयण व्यय में परिवर्तन से भी कई करोड़ रुपये की आय हो सकती है। घाटा ऋण लेकर या केन्द्रीय सरकार से साहाय्य लेकर भी पूरा किया जा सकता है, जैसा कि पहले रेलवे मंत्री ने स्वयं सुझाव दिया था। मेरे विचार में यह दो तरीके पहले तरीकों से अच्छे हैं। इन से यात्री जनता पर अधिक भार नहीं पड़ेगा।

माननीय मंत्री ने कहा है कि वर्ष में १३.१६ करोड़ रुपये की बचत होगी और श्री जगजीवन राम ने उसे विकास निधि में डालने का सुझाव दिया है। किन्तु वर्तमान मंत्री का प्रस्ताव है कि यह रकम कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देने के काम में लाई जायेगी, जिसके लिए १२.२० करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। अतः केवल २२ करोड़ रुपये का घाटा पूरा किया जाना है। मैं सदन से पूछना चाहूंगा कि क्या बढ़े हुए किरायों और भाड़ों की आय को रेलवे विकास निधि में डालना आवश्यक है। प्रश्न यह है कि क्या ऐसा करने के लिए किराये भाड़े बहाना आवश्यक है। यदि विकास निधि में रुपया डालना आवश्यक भी हो, तो यह कुछ वर्षों की अवधि में किया जा सकता है। या इस के लिए केन्द्रीय सरकार से ऋण या साहाय्य लिया जा सकता है।

मैं ने माल डिब्बों के संभरण की स्थिति का अध्ययन किया है। मैं समझता हूं कि प्रति दिन केवल ६० डिब्बे बढाना पर्याप्त नहीं है। माननीय मंत्री ने इस सम्बन्ध में गैर-सरकारी क्षेत्र की आवश्यकताओं की ओर ध्यान नहीं दिया। उनके पास माल डिब्बों की बहुत कमी है।

सरकार ने एक कम्पनी—राष्ट्रीय कोयला विकास निगम—स्थापित की है। गैर-सरकारी क्षेत्र के एक प्रतिनिधि के नाते मैं कह सकता हूं कि यह निगम कोयला उद्योग के विकास की राह में बाधा डाल रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री गु० सिं० मुसाफिर (अमृतसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत से मेम्बरान ने रेलवे बजट पर बहुत सी बातें कह दी हैं । मैं कोशिश करूंगा कि उन को दोहराऊं नहीं । एक बात तो मेरी नयी होगी ही कि मैं अपनी जबान में बोल रहा हूं, दूसरी स्पीचेज जो हुई हैं वह तकरीबन सारी अंग्रेजी में हुई हैं ।

रेलवे एक चलती फिरती चीज है, यानी यह चलना फिरना उस की जिन्दगी की निशानी है और इस डिपार्टमेंट का असर तकरीबन हर शोबे पर पड़ता है । एकानमिक डेवेलपमेंट सामाजिक तरक्की को भी एकता के काम में, देश की तामीर के लिये जितनी जरूरी बातें हैं वह सारी की सारी रेलवे चलाती है और यह सारी बातें उसी के गिर्द घूमती हैं । यह ठीक है कि रेलवे डिपार्टमेंट ने आजादी के बाद बहुत तरक्की की है । यह कोई मामूली बात नहीं है कि हमारे यहां अच्छे अच्छे वेगन बनने शुरू हुए हैं या इंजन बनने शुरू हुए हैं । इस लिहाज से रेलवे के अफसरों. रेलवे बोर्ड के मेम्बरों और खास कर उस के काबिल इंजीनियर चेअरमैन की छाप हर एक बात के ऊपर नजर आती है, जो जो तरक्की हुई है उस के सिलसिले में । मैं ने खुद चितरंजन और दूसरी जगहों पर जा कर देखा है । यह चीज खाली जा कर देखने की ही नहीं है । जो वैगन और इंजन आज चल रहे हैं उन में यह चीज सामने नजर आ रही है । इसमें कोई शक नहीं कि रेलवे ने काफी तरक्की की है । चूंकि इस दर्म्यान रेलवे डिपार्टमेंट ने बहुत तरक्की की, बहुत से काबिले तारीफ काम किये हैं, इसलिये जो कमियां हैं उन की तरफ भी हौसले से तवज्जह दिलाई जा सकती है ताकि वह भी दूर की जा सकें ।

जैसा मैं ने अर्ज किया, एकानमिक डेवेलपमेंट में आज कल हमारा सारा जोर जो है वह इंडस्ट्री पर है । हमारा देश इंडस्ट्री की तरफ बराबर तेजी से जा रहा है । मैं चाहता हूं कि पंजाब के मुताल्लिक और पंजाब के साथ लगे हुए इलाके जम्मू और काश्मीर की तरफ और साथ ही हिमाचल प्रदेश की तरफ भी तवज्जह दिलाऊं । पिछले दो सालों से कोयले की बहुत शार्टेज रही है । जो भी इंडस्ट्रियल टाउन्स हैं, खास तौर पर मेरी कांस्टिटुएन्सी अमृतसर, जब कभी वहां जाने का अवसर मिला है तो हमेशा इस बात की शिकायत रही है कि वहां के लोगों को कोयला नहीं मिलता है । उस वक्त कोयले की शार्टेज नहीं थी, कोयला काफी था, लेकिन वैगन्स की शार्टेज की वजह से कोयला पहुंच नहीं सका । मुझे खास तौर पर अमृतसर का पता है कि वहां पर बहुत सी स्माल स्केल इंडस्ट्रीज की फैक्ट्रियां और कारखाने बन्द हो गये हैं, जिस से हजारों लोग बेकार हो गये हैं । इस की वजह सिर्फ कोयला न मिलना ही रहा है । यह तो एक बात हुई कोयला न मिलने की ।

पंजाब में और खास तौर पर अमृतसर में यह मानी हुई बात है कि इंडस्ट्रीज की बहुत तरक्की हुई है, खास तौर पर स्माल स्केल इंडस्ट्रीज की । लुधियाना जैसे शहर भी जो हैं वह इस काबिल हो गये हैं कि वह सीने की मशीनें या होजिरी का सामान बनायें और वहां से एक्स्पोर्ट करें, दूसरे मुल्कों को भेजें । अमृतसर आज एक इंडस्ट्रियल सेन्टर है । वहां पर जो इतना सामान पड़ा है उस के सिलसिले में खास तौर पर यही शिकायत रही है कि वैगन नहीं मिलते जिस में कि वह अपना सामान पहुंचायें और उस का जो भी फायदा उठाया जा सकता है वह वक्त पर उठाया जाय । मैं समझता हूं कि इस तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी है ।

पंजाब में एक और खास बात हुई है कि वहां रोड्स वगैरह की बड़ी तरक्की हुई है, बहुत प्राग्रेस हुई है । बहुत सी सड़कें बनी हैं और इस सिलसिले में जो रोड ट्रान्स्पोर्ट का काम है वह ५०—५० बेसिस पर चलता है । यानी ५० परसेन्ट गवर्नमेंट चलाती है और ५० परसेन्ट प्राइवेट लोग । मुझे मालूम है और मैं बिना संकोच के कह सकता हूं कि जो ट्रक्स वगैरह हैं उन्होंने

सामान वगैरह पहुंचाने में और लाने में बड़ी साख पैदा की है । उतनी साख हमारी रेलवे ने भी नहीं पैदा की है । मुझे खास तौर पर एक दो कम्पनियों का पता है कि क्लेम के सिलसिले में और हिफाजत के सिलसिले में उन्होंने बहुत काम किया है । मैं ने पिछले बजट के वक्त पर भी इस बात की तरफ इशारा किया था कि अमृतसर के जलियांवाले बाग में हम ने एक नैशनल मेमोरियल बनवाया है साढे नौ लाख रुपये की लागत का । पिछले वैसाखी के दिन ही वह खत्म हुआ है । इस के सिलसिले में हमें भरतपुर से डेढ़ डेढ़ सौ मन के पत्थर मंगवाने पड़े । हम ने महसूस किया .क वह ट्रकों पर बहुत आसानी से और थोड़े पैसों में पहुंच सकते थे बजाय रेलवे के । अगर रेलवे इस काम को जल्दी नहीं कर सकती तो फिर रोड ट्रान्स्पोर्ट को एनकरेज करना पड़ेगा जिस से कि पब्लिक को आसानी हो और आराम से हम अपने सामान को जहां चाहें वहां पहुंचा दें । एक बात तो मैं यह कहना चाहता हूं । दूसरी बात चन्डीगढ़ के मुताल्लिक है . . .

डा० मा० श्री० अणे (नागपुर): यह काम आप रेलवे से करने को कहते हैं या यह काम लोग ही कर लेंगे ?

श्री गु० सिं० मुसाफिर : रेलवे ही करेगी । मैं रेलवे की तवज्जह इस तरफ दिला रहा हूं कि जिस तरह उसने दूसरी तरफ ऐफीशेंसी के काम किये हैं इस तरफ भी थोड़ा सा ध्यान दें ताकि ये कमियां भी पूरी हो जायें । यही मेरे कहने का मतलब है ।

दूसरी बात चंडीगढ़ के मुताल्लिक है । चंडीगढ़ के बारे में आज से दो तीन चार साल पहले तो शायद तसल्ली नहीं थी कि वहां कुछ बनेगा । इस वजह से शायद रेलवे डिपार्टमेंट ने भी इस तरफ ज्यादा तवज्जह न दी हो लेकिन अब तो पंजाब गवर्नमेंट ने चंडीगढ़ को एक खूबसूरत शहर बना दिया है और वहां बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर दी हैं, वहां छावनी भी बन गयी है, हवाई अड्डा भी वहां बन गया है । इसलिए इस वक्त इसमें कोई शक नहीं कि चंडीगढ़ एक शानदार कैपीटल पंजाब का बनना है । चंडीगढ़ के नजदीक पंजोर में हैवी इंडस्ट्री (मशीन टूल्ज) की फैक्टरी लग रही है । इन सारी बातों की वजह से यह बहुत जरूरी है चंडीगढ़ को जितनी जल्दी हो सके मेन लाइन से लुधियाना के साथ मिला दिया जाये ।

जी० टी० रोड पर दिल्ली से अमृतसर तक के रास्ते में बहुत से रेलवे क्रासिंग आते हैं । इन पर बड़ा रश रहता है । मैं कई दफा पहले भी उस तरफ तवज्जह दिला चुका हूं मगर इस तरफ कोई ख्याल नहीं किया गया । जब तक चंडीगढ़ को मेन लाइन से नहीं मिलाया जाता, राजपुरे का क्रासिंग ब्रिज बहुत जल्दी बनना चाहिये । यह मुझे दूसरी बात आप से अर्ज करनी है । तीसरी बात की तरफ मैं खास तौर से आपकी तवज्जह दिलाना चाहता हूं । उसका ताल्लुक जम्मू काश्मीर से है । इसकी इम्पारटेंस की तरफ सरकार की तवज्जह दूसरे मेम्बर साहिबान ने भी दिलायी होगी । जम्मू पहले अंग्रेजों के वक्त में रेलवे से कनेक्टेड रहा है । अगर इस वक्त जम्मू को बहुत जल्दी रेल से पठानकोट से न मिलाया जाए तो यह एक बहुत बड़ी कोताही होगी । यहां कालाकोट का जिक्र आया है । वहां बहुत अच्छे कोयले की कानें निकली हैं । इस लिये यह और भी ज्यादा जरूरी है कि पठान कोट से कालाकोट तक और अगर स्टेट की प्राग्रेस के लिये और इंडस्ट्री के लिये जरूरी हो तो और आगे तक रेलवे ले जाने पर ध्यान देना जरूरी है ।

एक और छोटी सी बात है, लेकिन छोटी बातों से ही रेपुटेशन बनती है, इस लिये उसकी तरफ तवज्जह दिलाना मैं जरूरी समझता हूं । अमृतसर एक अहमियत वाला शहर है, इसलिये नहीं कि वह मेरी कांस्टीट्यूएंसी है, बल्कि इसलिए कि वह हमारे गुरु महाराज की नगरी है, वहां पापुलेशन भी काफी है, इंडस्ट्री भी वहां बहुत है, वहां जलियांवाला बाग भी है । तो हर लिहाज से अमृतसर

श्री गु० सिं० मुसाफिर

पंजाब का एक बड़ी अहमियत वाला शहर है। हमारी बहुत कोशिश के बाद यह फैसला किया गया था कि फ्रंटियर मेले के साथ थर्ड क्लास की स्लीपिंग बर्थ्स लगायी जाएं। वह लगा दी गयीं, उधर से और इधर दिल्ली से भी। मगर अप्रैल से उसको हटा दिया गया है। शायद रेलवे के साहिबान का यह ख्याल है कि अप्रैल में लोगों को नींद नहीं आती या उनको सोने की जरूरत नहीं होती। मैं कहना चाहता हूं कि ये स्लीपिंग बर्थ्स हमेशा रहनी चाहियें। इनमें कुछ सीटें ऐसी हैं कि जिन पर ठीक से बैठा भी नहीं जा सकता। तो इनमें सुधार किया जाए और थर्ड क्लास के मुसाफिरों के लिए इस गाड़ी में हमेशा स्लीपिंग बर्थस लगायी जाएं। और वह सीटें सही माइनों में स्लीपेबल हों।

श्री रघुनाथ सिंह (वाराणसी) : लम्बी भी कम हैं।

श्री गु० सिं० मुसाफिर : एक और काबिले तारीफ काम रेलवे ने किया है कि दिल्ली से अमृतसर तक एक डीलक्स ट्रेन चलायी है। यह एक बहुत अच्छा फैसला है और अच्छा काम है। इसमें तो इतनी खूबियां हैं कि बाज दफा तो पार्लियामेंट के मेम्बरों का दिल भी, जिनके पास फर्स्ट क्लास का पास होता है, इससे सफर करने का होता है क्योंकि इसमें बहुत आराम है। इस सिलसिले में मैं इतना ही अर्ज करना चाहता हूं कि यह डीलक्स ट्रेन हफ्ते में सिर्फ एक बार ही चलायी जाती है। मैं चाहता हूं कि इसको हफ्ते में कम से कम दो बार चलाया जाए।

इसमें एक और दिक्कत है सामान की। मुसाफिरों को अपना सामान ब्रेक में रखना पड़ता है और मंजिले मकसूद पर पहुंचने के बाद उसको वापस लेने में मुसाफिरों को एक एक घंटा रुके रहना पड़ता है जिससे उनको बड़ी परेशानी होती है। मैंने उनकी यह तकलीफ देखी है। तो इस डीलक्स ट्रेन को हफ्ते में दो बार चलाया जाए और जो समान की दिक्कत है उसको दूर किया जाए।

एक बात जिसकी तरफ मैं हमेशा तवज्जह दिलाता रहा हूं, वह हमारे केटरिंग का सवाल है। यह तो मैं कभी भी नहीं कहूंगा कि यह डिपार्टमेंटल न हो। मैं तो चाहता हूं कि इस तरफ तरक्की हो, और ज्यादा इस तरफ बढ़ा जाए क्योंकि आखिर इस तरफ बढ़ना ही है। मगर यह कहने में मुझे कोई संकोच नहीं कि इसमें हमें बिल्कुल कामयाबी नहीं हुई है। जनता मील्स का जो सिस्टम चालू किया गया था वह तो बिल्कुल ही फेल हुआ है।

इस वक्त हम रेलवे की बहुत सी अच्छी अच्छी बातें देखते हैं। बहुत से अच्छे अच्छे प्लेटफार्म देखते हैं, उन पर अच्छी अच्छी बेंचें बिछी देखते हैं। वेटिंग रूम भी कुछ अच्छे बन गए हैं, स्टेशन भी कुछ अच्छे बन गये हैं। ये सारी बातें हुई हैं, मगर एक बात में कोई तबदीली नहीं आयी है। जो लोग स्टेशनों पर छाबड़ी वाले या रेढे वाले जो छोले और इस किस्म की चीजें बेचते हैं उनमें कोई तबदीली नहीं आयी है। ये कोई अच्छी चीजें नहीं होतीं सेहत के लिहाज से या और किसी लिहाज से। इसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है और न कोई तबदीली आयी है।

दूसरी बात पानी की किल्लत है। गरमियों में थर्ड क्लास के पैसिंजरों के लिये पानी की बड़ी किल्लत होती है। पानी की दुहाई हमेशा दी जाती है। हमारे बड़े बड़े काबिल लोग, जिन्होंने रेलवे में बहुत से सुधार किए हैं, अभी इस बात का अन्दाजा नहीं लगा पाए हैं कि एक थर्ड क्लास के पैसिंजर को गरमी के मौसम में पानी न मिलने की वजह से कितनी दिक्कत होती है और कितनी तकलीफ होती है। हालत यह है कि जब इंजिन व्हिसिल दे देता है तो पानी वाला आता है और किसी को पानी मिलता है, किसी को नहीं मिलता, इसकी तरफ ध्यान देना निहायत ही जरूरी है।

बाकी किराये की बढ़ोतरी के मुताल्लिक बहुत से मेम्बर साहिबान ने कहा है। मैं उसके मुताल्लिक कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहता। थर्ड क्लास के पैसिंजर्स के किराए के बारे में भी मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता क्योंकि उनके बारे में बहुत से मेम्बरों ने कहा है। अपर क्लास वालो के लिये तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं क्योंकि उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वे तो दस की जगह पन्द्रह और बीस या पच्चीस भी दें दे तो उनको कोई फर्क नही पड़ता। मगर अपर क्लास और थर्ड क्लास के बीच चक्की के दो पुड़ों में एक तरह से मिडिल क्लास पिस रहा है। उनकी हालत बहुत खराब हो रही है। आखिर हमने सोशलिस्ट पैटर्न की सोसाइटी का निजाम बनाना है तो यह जरूरी है कि अपर क्लास थोड़ा नीचे आवे और थर्ड क्लास थोड़ा ऊपर उठे। इन दोनों क्लासों को हमें लाकर मिडिल क्लास में ही मिलाना है। और यहीं हमारा सोशलिस्ट पैटर्न बनने वाला है। इसलिये इस तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी है। मिडिल क्लास के लिये इस वक्त काफी मुसीबत है, काफी तकलीफ है। वह अपनी सफ़ेद पोशी को कायम रखना चाहता है लेकिन उसकी हालत थर्डक्लास से भी ज्यादा बदतर है और यह अपनी सफैदपोशी में मारा जा रहा है।

एक तजवीज और कर के मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। एफिशिऐसी के मुताल्लिक मेरा यह ख्याल है कि हमें रूस की तरह जो चिल्ड्रेन रेलवे का सिस्टम है उस को किसी न किसी तरह से यहां रायज कर देना चाहिए। यकीनन उस से एफिशिएंसी आती है क्योंकि शुरू से ही बच्चे को रेलवे के बारे में ट्रेनिंग मिलती है। रेलवे के हर एक काम के बारे में उसको ट्रेनिंग मिलती है। यह सिस्टम वहां रूस में कामयाब साबित हुआ है। सन् १९५४ में जब मैं रूस गया था तो उस वक्त यहां से रेलवे अफसरान का एक डेपुटेशन भी वहां गया था। उन्होंने वहां के हालात देखे थे। मुझे अब याद नहीं रहा कि उन्होंने क्या रिपोर्ट दी क्योंकि उसको काफी वक्त हो गया। लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि यह चिल्ड्रेन रेलवे का सिस्टम अच्छा है और उसको यहां हिन्दुस्तान में अगर चलाया जाय तो मुझे यकीन है कि रेलवेज जो कि हमारा एक एम्पौर्टेंट डिपार्टमेंट है और जिसके कि गिर्द हमारी सारी बातें घूमती हैं, एफिशिएंसी के लिहाज से यह चिल्ड्रेन रेलवे का सिस्टम जारी करना मुफीद साबित होगा और बाकी हर लिहाज से भी मुफीद साबित होगा। इन अल्फाज के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं।

श्री कि० पटनायक (सम्बलपुर) : अध्यक्ष महोदय, नये रेल मंत्री महोदय का आरम्भ कुछ नापाक ढंग से हुआ है। एक तो किराये में वृद्धि हुई है और दूसरे उन का स्वागत करने के लिए इतनी बड़ी रेल दुर्घटना हुई है ....

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रक्खें।

इसके पश्चात् लोक-सभा की बैठक बुधवार, २५ अप्रैल, १९६२/वैशाख ५,१८८४ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

मंगलवार, २४ अप्रैल, १९६१
४ वैशाख, १८८४ (शक)

विषय	पृष्ठ
सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण	३१५
२ सदस्यों ने निम्नलिखित भाषाओं में शपथ ली अथवा प्रतिज्ञान किया: १ ने बंगला में; और १ ने तेलगू में।	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	३१५—४४
तारांकित प्रश्न संख्या	
१३२ अलौह धातु	३१५–१६
१३३ भेषजों का निर्यात	३१७–१८
१३४ औद्योगिक बस्तियां	३१८–१९
१३५ भारतीय काफी का निर्यात	३१९—२१
१३६ बम्बई में टेलीविज़न केन्द्र	३२१–२२
१३७ अनुशासन संहिता	३२३–२४
१३८ मूल्य स्तर	३२५—२७
१३९ छंटनी किये गये अनुसूचित जाति के कर्मचारी	३२७–२८
१४० रूस को भारतीय तम्बाकू	३२८—३०
१४१ योजना प्रचार प्रदर्शनी	३३०
१४२ दिल्ली में दूकानों के काम के घंटे	३३१—३३
१४३ सूत के मूल्य	३३३
१४४ हथकरघा सहकारी समितियां	३३४—३६
१४५ पाकिस्तानियों द्वारा पश्चिमी बंगाल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक दल (नेशनल वालन्टियर फोर्स) के सदस्य का अपहरण	३३६—३८
१४६ पाकिस्तानियों द्वारा छापा	३३८—४१
१४७ चाय बोर्ड द्वारा सर्वेक्षण	३४१–४२
अल्प सूचना प्रश्न संख्या	
२ रुई का अभाव	३४२—४४

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर		३४५ –५७
तारांकित प्रश्न संख्या		
१४८	आविष्कार प्रोत्साहन योजना	३४५
१४९	भूटान के लिए भारतीय मजदूर	३४५
१५०	पश्चिम बंगाल के शिविरों में विस्थापित	३४६
१५१	कार्मिक संघ	३४६
१५२	कृषि, उद्योग तथा चिकित्सा में अणु शक्ति	३४६–४७
१५३	चाय साफ करने वाली मशीनें	३४६–४७
१५४	एशियाई आर्थिक सहयोग संगठन	३४८
१५५	कार्य कुशलता संहिता	३४८–४९
१५६	भूतपूर्व पुनर्वास मंत्रालय के कर्मचारी	३४९
१५७	कोयला खान भविष्य निधि योजना	३४९–५०
१५८	नागालैंड में पुलिस के डी० आई० जी० की मृत्यु	३५०
१५९	तिरुचिरापल्लि में आकाशवाणी के लिए भवन	३५०
१६०	रेयन के कारखानों में काम के घन्टे	३५१
१६१	मजूरी बोर्ड	३५१
अतारांकित प्रश्न संख्या		
१२७	पश्चिमी पाकिस्तान से लाकर	३५१
१२८	पंजाब में ग्रामीण औद्योगिक बस्तियां	३५२
१२९	आन्ध्र प्रदेश में खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड	३५२
१३०	खादी	३५२–५३
१३१	पाकिस्तानियों द्वारा मारे गये भारतीय	३५३
१३२	जम्मू तथा काश्मीर में पाकिस्तानियों द्वारा महिला का मारा जाना	३५३
१३३	सरकारी क्षेत्र के उपक्रम	३५३–५४
१३४	अग्निकांड के पीड़ितों के लिए नेपाल सरकार को सहायता	३५४
१३५	कानपुर में श्रमिकों को भविष्य निधि का बकाया का भुगतान	३५४–५५
१३६	मध्य प्रदेश में अल्युमीनियम संयंत्र	३५५
१३७	विस्थापित व्यक्तियों के लिए संस्थाओं आदि की वित्तीय सहायता	३५५
१३८	उर्दू में कार्यक्रम	३५६
१३९	नयी औद्योगिक परियोजनाओं के लिए लाइसेंस	३५६
१४०	सार्थों के नाम "काली सूची" में दर्ज किया जाना	३५७

विषय	पृष्ठ
प्रधान मंत्री द्वारा वक्तव्य	३५७--५९
प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) ने संयुक्त राज्य अमेरिका के परमाणु परीक्षणों को पुनः आरम्भ करने के प्रस्तावित निश्चय तथा नागा उग्रवियों द्वारा पकड़े गये वायुसेना के अधिकारियों के बारे में एक वक्तव्य दिया।	
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	३६०
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती ने पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों में निरन्तर होने वाले उपद्रवों की ओर गृह-कार्य मंत्री का ध्यान दिलाया।	
गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) ने इस बारे में एक वक्तव्य दिया	
सभा पटल पर रखे गये पत्र	३६१
(१) कम्पनीज अधिनियम, १९५६ की धारा ८९ की उप-धारा (४) के अन्तर्गत दिनांक २४ मार्च, १९६२ के आदेश संख्या १८(१)--सीएल--चार-६० की एक प्रति।	
(२) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग आधिनियम, १९५६ की धारा २६ की उपधारा (३) के अन्तर्गत दिनांक ७ अप्रैल, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ४४३ में प्रकाशित खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग (तीसरा संशोधन) नियम, १९६२ की एक प्रति।	
राज्य सभा से सन्देश	३६१
सचिव ने राज्य-सभा से प्राप्त एक सन्देश की सूचना दी कि राज्य-सभा ने अपनी १९ अप्रैल, १९६२ की बैठक में भेषज (संशोधन) विधेयक, १९६२ को पारित कर दिया है।	
राज्य सभा द्वारा पारित विधेयक--सभा पटल पर रखा गया	३६२
सचिव ने भेषज (संशोधन) विधेयक, १९६२ को राज्य-सभा द्वारा पारित किये गये रूप में सभा पटल पर रखा।	
मंत्री द्वारा वक्तव्य	३६२--६३
रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) ने २३ अप्रैल, १९६२ को धनबाद के निकट रेलवे फाटक पर हुई रेल दुर्घटना के बारे में एक वक्तव्य दिया	
रेलवे आय-व्ययक--सामान्य चर्चा	३६३--८५
आयव्ययक (रेलवे), १९६२-६३ पर सामान्य चर्चा आरम्भ हुई।	
चर्चा समाप्त नहीं हुई।	
बुधवार, २५ अप्रैल, १९६२/५ बैसाख १८८४ (शक) के लिये कार्यावलि--	
रेलवे आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा।	